LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, March 12, 2025 / Phalguna 21, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, March 12, 2025 / Phalguna 21, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MADAGASCAR 1

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 181 – 185) 1A – 30

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 186 – 200) 31 – 50

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2071 – 2300) 51 – 280

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, March 12, 2025 / Phalguna 21, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, March 12, 2025 / Phalguna 21, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 85

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 286

Minutes

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING 286

7th to 9th Reports

STANDING COMMITTEE ON ENERGY 286

3rd to 5th Reports

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 287

7th and 8th Reports

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS 287

3rd Report

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 287

5th to 7th Reports

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 288

4th Report

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 288

163rd to 165th Reports

BUSINESS OF THE HOUSE 288 - 89

MOTION RE: APPOINTMENT OF ONE MEMBER TO THE JOINT COMMITTEE ON CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY – NINTH AMENDMENT) BILL AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL 289

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 290 - 306

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 307 - 17B

- **Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi** 307
- **Shri Arun Kumar Sagar** 308
- **Shrimati Smita Uday Wagh** 308
- **Shri Gajendra Singh Patel** 309
- **Shri Anurag Sharma** 309
- **Shri Vijay Kumar Dubey** 310
- **Shrimati Mahima Kumari Mewar** 310
- **Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal** 311
- **Shri Pradeep Purohit** 311
- **Shri Ashok Kumar Rawat** 312
- **Shri Chamala Kiran Kumar Reddy** 312
- **Shri Kodikunnil Suresh** 313
- **Shri Vamsi Krishna Gaddam** 313
- **Shri Robert Bruce C.** 314
- **Dr. Shashi Tharoor** 314
- **Shri Devesh Shakya** 315
- **Shri Lalji Verma** 315
- **Shrimati Kanimozhi Karunanidhi** 315
- **Shri G. Lakshminarayana** 316
- **Shri Amra Ram** 316

Dr. D. Ravi Kumar	**317**
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	**317**
Shri P.P. Chaudhary	**317A**
Shri Vishweshwar Hegde Kageri	**317A**
Dr. Manna Lal Rawat	**317B**
Shri Arun Nehru	**317B**
OILFIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL	**318 - 57**
Motion for Consideration	**318**
Shri Hardeep Singh Puri	**318 - 22 & 352 - 55**
Shri Manish Tewari	**323 - 26**
Shri Dilip Saikia	**327 - 30**
Shri Ramashankar Rajbhar	**331**
Shrimati Pratima Mondal	**332 - 34**
Shri D.M. Kathir Anand	**335 - 36**
Shri Krishna Prasad Tenneti	**337 - 39**
Shri Kaushalendra Kumar	**340 - 41**
Shri Ravindra Dattaram Waikar	**342 - 43**
Dr. Gumma Thanuja Rani	**344**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**345 - 46**
Adv. Gowaal Kagada Padavi	**347 - 48**
Shri Jagdambika Pal	**349 - 51**
Motion for Consideration – Adopted	**355**
Consideration of Clauses	**355 - 57**
Motion to Pass	**357**
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**358 - 398**

(1100/SK/PS)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मेडागास्कर के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन की विशेष दीर्घा में मेडागास्कर की नेशनल असैम्बली के प्रेजीडेंट श्री जस्टिन टुकेली के नेतृत्व में मेडागास्कर का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री जस्टिन टुकेली और उनके उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा भारत-मेडागास्कर के परस्पर संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी।

हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मेडागास्कर की संसद और वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 181.

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल

(प्रश्न 181)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का उत्तर सही नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि विगत दस वर्षों में राजस्थान के बाड़मेर में कोयले का कितना उत्पादन हुआ? इन्होंने जवाब दिया कि कोयले का उत्पादन हुआ ही नहीं है। वहां लिग्नाइट आधारित कोयले की तीन बड़ी खदानें हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लिग्नाइट कोयले की श्रेणी में नहीं आता है?

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, कोल मिनिस्ट्री ने जब से लिग्नाइट का काम शुरू किया है, लिग्नाइट की एक्टिविटी और कोल की एक्टिविटी को अलग माना जाता है, इसलिए कोल माइन और लिग्नाइट माइन को अलग-अलग बोलते हैं। राजस्थान में जो भी माइन्स हैं या लिग्नाइट माइन्स हैं, इसी दृष्टिकोण से आपको जवाब दिया गया है।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, लिग्नाइट का जवाब कौन देगा?

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ही जवाब देंगे, आप प्रश्न पूछिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : बाड़मेर में 1050 मेगावाट का राजवैस्ट पावर प्लांट है, इसके पास दो बड़ी खदानें हैं – जलीपा और कपूरदी। इसके पास ही सरकारी कंपनी का गिरल में 125X2 मेगावाट के पावर प्लांट लगा है। गिरल पावर प्लांट कोयले की सही क्वालिटी न होने की वजह से प्लांट बंद पड़ा है।

साउथ वैस्ट माइनिंग के पास जलीपा और कपूरदी माइन्स में जरूरत से ज्यादा कोयला है, क्या यह कोयला गिरल पावर प्लांट को दिया जा सकता है?

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में लगभग पांच लिग्नाइट माइन्स काम कर रही हैं। कपूरदी में प्राइवेट माइन है। गिरल में राजस्थान स्टेट माइन्स मिनरल लिमिटेड कंपनी राज्य सरकार का पीएसयू है। यह कंपनी वहां काम करती है। जलीपा में भी लिग्नाइट की एक प्राइवेट माइन है। सोनारी भी राजस्थान मिनरल लिमिटेड का पीएसयू है।

(1105/KN/SMN)

दूसरा, बरसिंगसार में भी एक पीएसयू है और तीसरा, गुरहा में भी एक प्राइवेट माइन है। मातासुख-कसनाऊ में भी एक पीएसयू है। ये टोटल 7 लिग्नाइट माइन्स हैं। आपने जो इश्यूज़ बताए हैं, उनमें तीन प्राइवेट कंपनीज़ हैं और तीन स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं तथा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। इसमें टोटल 7 कंपनीज़ काम करती हैं। अभी आप इनमें प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनमें प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से हम आगे आएंगे और काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राम शिरोमणि वर्मा जी।

क्या आपके यहां कोयले की माइन्स है? आप यह बता तो दीजिए कि माइंस है या नहीं है?

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सर, मेरे यहां नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आपके यहां माइंस नहीं है ना। इसलिए आप बैठ जाइये।

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी जी।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity to ask a question.

माननीय अध्यक्ष : देखो, मुझे भी जानकारी रहती है कि आपके यहां माइंस नहीं है।

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : सर, महाराष्ट्र का एक सवाल है। महाराष्ट्र में रिसेंट्ली तीन लोगों की मृत्यु हुई है। असम में दो अलग इंसीडेंट्स हुए हैं, जहां 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मेघालय में माइनिंग एक्सीडेंट्स में पिछले पांच सालों में तीस से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है।

मैं कन्सर्न्ड मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि the rat-hole mining is considered as illegal mining. What steps have you taken regarding that?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, राजस्थान के बारे में क्वेश्चन था, मगर माननीय सदस्य ने एक्सीडेंट्स के बारे में पूछा है। एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हम लगातार अलग-अलग कमेटीज़ गठित कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज करे रहे हैं। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेन्टर हो, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट हो, रियल टाइम एक्सीडेंट मॉनीटरिंग के लिए 5जी टेक्नोलॉजी हो। हम पहली बार 5जी टेक्नोलॉजी भी अंडरग्राउंड माइन्स में यूज कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भी यूज कर रहे हैं। डम्पर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। आज असम में जो इल्लीगल माइनिंग है, यह असम की स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित विषय है। जो भी इल्लीगल माइनिंग का काम होता है, चूँकि इल्लीगल माइनिंग का प्रश्न आदरणीय सदस्य ने उठाया है कि वह इल्लीगल माइनिंग का काम है। देश में जो भी इल्लीगल माइनिंग होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पोंसबिलिटी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री के लेवल पर एक सेफ्टी कमेटी रहती है। कोल इंडिया की भी एक सेफ्टी कमेटी रहती है। जो पीएसयू है, उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहती है। उसके अलावा डीजीएमएस की एक सेफ्टी कमेटी रहती है। लेबर मिनिस्ट्री की भी एक कमेटी रहती है। मैं बताना चाहता हूं कि कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में इसे और कम करने के लिए भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है।

रेट-होल माइन में जो एक्सीडेंट हुआ है, मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी से बात की है। लगभग 245 इल्लीगल रेट-होल माइंस को असम सरकार ने सीज किया है। जो संबंधित लोग हैं, कल्प्रिट्स हैं, जो इनोसेंट लोगों से माइनिंग करवा रहे हैं, हमने 12 लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स में अभी-अभी एक्सीडेंट हुआ है। इसमें भी भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनी है। मिनिस्ट्री की तरफ से, अलग-अलग कोल माइंस की तरफ से कमेटी बनाई है। मैं बताना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह सेफ्टी को प्रायरिटी देती है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के लगतार प्रयास से सेफ्टी से संबंधित विषय पर हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आज

इस साल वर्ष 2023-24 में इंसीडेंट्स बिल्कुल कम हो गए हैं। मैं वर्कर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स में एक इंसीडेंट हुआ है।

(1110/VB/SM)

भारत में पहली बार 1 करोड़ 80 लाख रुपए कम्पेनसेशन दिया गया है। कोल इंडिया में अंडर ग्राउंड में जान हथेली पर रखकर वर्कर्स काम करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम पूरा कम्पेनसेशन दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनके परिवार को जॉब देते हैं। भारत सरकार की कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री सेफ्टी मेजर्स पर पूरा ध्यान देकर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज भी कर रही हैं, हम पूरे इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रहे हैं।

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से झारखंड के धनबाद और झरिया के बारे में जानना चाहता हूँ। झरिया में अंडरग्राउंड फायर के कारण गांव के गांव खाली करने पड़ रहे हैं। वहाँ वर्षों से खदानों में आग लगी हुई है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जी. किशन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं झरिया गया हूँ। वहाँ ब्रिटिश के समय से ही लगातार अंडरग्राउंड फायर जलती रहती है। इसके लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की है। दो-तीन बार यह मीटिंग हुई है। इसे रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का को-ऑपरेशन जरूरी है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए हमने क्वार्टर्स भी बनाये हैं। हमने वर्कर्स के लिए लगभग 30 हजार क्वार्टर्स बनाये हैं, हम और भी क्वार्टर्स बनाने के लिए तैयार हैं। हम झरिया के लिए पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं।

झरिया मास्टर प्लान के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी एक हाई लेवल कमेटी कांस्टिट्यूट की है। नीति आयोग के ऑफिसर्स एवं कुछ बड़े अधिकारियों ने वहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया है, वहाँ के लोगों से मिले हैं, वर्कर्स से मिले हैं और झरिया के आसपास के लोगों से भी मिले हैं। मेरा विश्वास है कि एक-दो महीने में इसके एक्शन प्लान का अप्रूवल हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही यह एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा, तो पूरे झरिया की खदानों में जो फायर जल रही है, उसके आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ से निकालकर उनको अच्छे घर देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए प्रयास किया जाएगा। केवल कोल सेक्टर में ही रोजगार नहीं, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं। आज भी जमीन के अंदर कोल जलता रहता है। यह एक सौ वर्षों से, चौबीसों घंटे जलता रहता है। हम जैसे-जैसे प्रयास करेंगे, तो यह कम भी होता जाएगा। अभी यह थोड़े एरिया तक ही सीमित है। सीमित एरिया में भी जलती हुई आग को कम करने के लिए भारत सरकार कोल मिनिस्ट्री की ओर पूरा प्रयास कर रही है। मेरा विश्वास है कि झरिया में स्टेट गवर्नमेंट के को-ऑपरेशन से काम किया जाएगा।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा में राजमहल कोल ब्लॉक है, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लाक है। इस देश में अधिकांश कोकिंग कोल का

उत्पादन सीसीएल और बीसीसीएल के द्वारा झारखंड में होता है, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा। वहाँ लगातार इल्लीगल माइनिंग के कारण सेफ्टी मेजर्स की दृष्टि से सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी हाल ही में, एनटीपीसी के एक जीएम की डेथ हो गई, उन्हें गोली मार दी गई थी। श्री सी.एम. रमेश जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनके परिवार की एक कम्पनी के जीएम की भी हत्या हो गई। हमारे यहाँ पेनेम कोल ब्लॉक है, उसके स्टाफ की भी हत्या हो गई। इन सबका कारण केवल यह है कि वहाँ इल्लीगल माइनिंग होती है। वहाँ पर दो-दो किलोमीटर तक सुरंग बन गया है। इसे रोकने का जो भी प्रयास करता है, तो उसकी सेफ्टी पर असर पड़ता है, लोग मरते हैं। हमारे यहाँ इसी इल्लीगल माइनिंग के कारण 18 लोग मारे गये हैं।

मैं आपके माध्यम से, भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में जो सुरंग बने हैं और जो सेफ्टी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, राज्य सरकार इसके ऊपर सहयोग नहीं कर रही है, इसके बारे में भारत सरकार क्या सोचती है?

श्री जी. किशन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैंने अभी बताया था कि इल्लीगल माइनिंग रोकने का काम और कोल माफियाज को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट पुलिस का काम होता है। यह काम बिना स्टेट गवर्नमेंट के को-ऑपरेशन के सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत वर्षों से लगातार इल्लीगल माइनिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं। चूंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसे रोकने के लिए, चुनाव के बाद ही, मैं स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से मिला था और इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए मीटिंग की थी।

(1115/PC/RP)

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इललीगल माइनिंग को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आना चाहिए। अलग-अलग प्रांतों में माफियाओं द्वारा इल्लीगल माइनिंग होती है। रीसेन्टली, एक एनटीपीसी अधिकारी की इल्लीगल माइनिंग करने वाले माफिया ने हत्या की है। मैं इस सदन के माध्यम से इसकी बहुत निंदा करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमने इस वॉयलेंस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्टैन्ड लिया है। जो भी माइनिंग एरियाज़ में वॉयलेंस करते हैं, उनके ऊपर भारत सरकार की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से बिलकुल एक्शन होना चाहिए। भारत सरकार इस विषय पर 100 परसेंट ध्यान देती है।

अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी बताया गया है, कोल सैक्टर में दुनिया भर में लार्जेस्ट रिज़र्व्स भारत में हैं। आज भारत में कोल के फिफ्थ-लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं। यदि चाइना को छोड़ दें, तो इंडिया कोल का नंबर वन कन्ज्यूमर भी है और नंबर वन प्रोड्यूसर भी है। India is also the number one consumer of coal other than China. इसी प्रकार दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन 'गेवरा' भारत में है। कोल सैक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है।

अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि वर्ष 2014 से पहले पावर सैक्टर में शॉर्टेज होती थी। आज पावर सैक्टर में लगभग 72 परसेंट से लेकर 74 परसेंट तक थर्मल पावर से पावर जनरेट होती है। इस पावर जनरेशन के लिए कोल का उपयोग होता है। कोल की सप्लाई और प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, अलग-अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सैक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए, उतना प्रोडक्शन भारत सरकार कर रही है। इसके कारण पावर शॉर्टेज भी है।

(इति)

(प्रश्न 182)

माननीय अध्यक्ष : सुश्री महुआ मोइत्रा – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान उपलब्ध कराया जाता है।

क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि यह सुविधा एकल सदस्य वाले राशन कार्ड धारकों को दी जा रही है या दो सदस्य वाले राशन कार्ड धारकों को दी जा रही है?

इसके तहत लक्षित लाभार्थियों तक सही तरीके से राशन पहुंचाने के लिए क्या सरकार ने अन्य विभागों या मंत्रालयों के साथ डेटा एकीकरण की दिशा में कोई प्रयास किया है?

यदि हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जहां तक एक मेंबर इन फैमिली या दो मेंबर्स इन फैमिली का सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा हम जो राशन देते हैं। अंत्योदय अन्न योजना में हम 35 किलोग्राम राशन देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक मेंबर की फैमिली में 35 किलोग्राम राशन पहुंचता है और कभी-कभी दो मेंबर्स की फैमिली में भी 35 किलोग्राम राशन पहुंचता है।

इसलिए, आज के दिन में सिंगल मेंबर एएवाई राशन कार्ड्स की संख्या 30,63,000 है। Single member ration cards, having beneficiaries below 18 years of age, are 2,11,000. साइलेंट राशन कार्ड होल्डर्स, मतलब वे लोग राशन खरीदते ही नहीं हैं, ऐसे 2.2 करोड़ लोग हैं। जो डुप्लीकेट माने गए हैं, वे 30.06 लाख हैं। डिसीज़्ड बेनिफीशरीज़, मतलब जो गुजर चुके हैं, मर गए हैं, ऐसे 34.12 लाख लोग हैं। आधार कार्ड – यूआईडीएआई के हिसाब से वे गुजर गए हैं। ऐसी बहुत बड़ी यह संख्या है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार गाइडेंस और आदेश देते रहते हैं। इसका ठीक तरह से सर्वे करके, एग्जामिन करके, जो रियली एलिजिबल हैं, जिनको वास्तव में मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इसमें एडिशन और डिलीशन करना चाहिए। यह राज्य सरकारों का काम है। इसके लिए हम राज्य सरकारों को बार-बार लिखते रहते हैं।

(1120/CS/NKL)

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन मिलता है, वह यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी, जिसके पीछे आदरणीय सोनिया गाँधी जी थीं, जो उनकी ब्रेनचाइल्ड थी। महाराष्ट्र को जो राशन का स्टॉक मिलना चाहिए, वह पिछले 10 सालों से नहीं मिल रहा है। जब से सरकार बदली है तब से महाराष्ट्र पर अन्याय किया गया है। न शोलापुर में प्राप्त हुआ है और न ही किसी अन्य जिले में राशन का स्टॉक प्राप्त हुआ है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों के बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से बीड़ी कामगार हैं, उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं या किसानों के बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को राशन

नहीं मिल रहा है। क्या आप ऑफलाइन राशन देने का कुछ प्रावधान करने वाले हैं? यह मेरा पहला सवाल है।

जो लोग फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं हैं, उन पर भी यह लागू नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को, आज ऑलमोस्ट 40 से 50 परसेंट लोगों को अनाज फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र को पिछले 10 सालों से जो स्टॉक प्राप्त नहीं हुआ है, वह आप कब देंगे? जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप उनको राशन देंगे? धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, एक प्रश्न तो ई-श्रम पोर्टल का है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्डर दिया गया है, उसके बारे में है। यह संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : यह ई-श्रम पोर्टल वह है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है।

श्री प्रहलाद जोशी : नहीं सर। ई-श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था।

माननीय अध्यक्ष : यह वही ई-श्रम पोर्टल है।

श्री प्रहलाद जोशी : जी-जी, वही है।

माननीय अध्यक्ष : आप दोबारा राज्य सरकारों को इसके संबंध में गाइडलाइन दें। अभी राज्य सरकारें इन गाइडलाइंस को मान नहीं रही हैं।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, यह ई-श्रम पोर्टल का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को कहा है। ई-केवाईसी करने के लिए भी हमने कहा है। आज के दिन में 74 परसेंट ई-केवाईसी हुआ है, उसमें मेजर दिल्ली राज्य का नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। अभी ई-केवाईसी हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न बेसिकली ई-श्रम पोर्टल से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बारे में है। फिर भी माननीय नई सदस्या ने यह प्रश्न पूछा है और यह भी कहा है कि यह सोनिया गाँधी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यूपीए का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं आपको और सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2013 में चुनाव के कारण हड़बड़ी में पारित किया। जो भी राज्य एनएफएसए में आया,... (व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद उन लोगों ने एमओयू साइन किया है।... (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, after Prime Minister Modi ji assuming the charge, हम पूरा फ्री राशन 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं।... (व्यवधान) यह जो मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताया है।... (व्यवधान) आप लोग सुनिए।... (व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखिए।... (व्यवधान) टैगोर जी, सुनने की क्षमता रखिए।... (व्यवधान) आपने ठीक नहीं किया था, इसलिए लोगों ने आपको उधर बिठाया, हमें इधर बिठाया।... (व्यवधान) आप कम से कम यह तो समझो।... (व्यवधान) At least, try to understand this much. बाकी राज्यों में भी,... (व्यवधान) सारे देश में भी, स्पीकर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे राज्यों में, केवल तीन राज्यों को छोड़कर, बाकी कांग्रेस को ऐसे क्यों बिठाया है।... (व्यवधान) ये लोग जो भी करते हैं, वह

सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं।... (व्यवधान) मोदी जी ने ऐसे नहीं किया है।... (व्यवधान) मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री धान्य दे रहे हैं।... (व्यवधान) ये लोग, जहाँ इनकी सरकार है, मैं फिर से यह रिपीट करना चाहता हूँ, मैं सब हमारे सदस्यों के लिए रिपीट करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने वर्ष 2013 में हड़बड़ी में पारित किया और रूल भी नहीं बनाया था। एक राज्य भी उसमें नहीं था। हमारे आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद इसको लागू किया है। हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। This is the status. ... (व्यवधान)

(1125/VR/IND)

अध्यक्ष जी, ये लोग जो भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, लेकिन मोदी जी जो करते हैं, वह भूखे लोगों की भूख निवारण के लिए करते हैं क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि गरीबी क्या है?... (व्यवधान) आप पहले यह समझ लो कि ये काम हमने किया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, सैकेंड पाइंट यह है कि हमने राशन में ईपीओएस, वन नेशन वन राशन कार्ड इसलिए किया है कि अगर माइग्रेंट लेबर जैसे किसी भी राज्य से मुम्बई गए, दिल्ली गए, तो उन्हें राशन लेने के लिए अपने गांव में न जाना पड़े, उन्हें राशन दिल्ली में मिलना चाहिए, मुम्बई में मिलना चाहिए, बैंगलुरू में मिलना चाहिए, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड देश में लागू किया है तो वह भी मोदी सरकार ने किया है। सभी को राशन मिल रहा है। स्पेसिफिक इंसीडेंस के एग्जाम्पल के साथ अगर सदस्य मुझे लिखते हैं, तो मैं उन्हें जवाब दूंगा।

(इति)

(Q.183)

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. I am happy to say that Atal Tinkering Labs provide activity-based learning in the identified schools in the country where young minds can give shape to their ideas for a number of societal problems which we encounter in our day-to-day life, and also pave way for innovation, enabling over three million students between Grade-6 to Grade-12 to acquire a problem-solving, tinkering and innovative mindset.

This is my first Supplementary Question to the hon. Minister of Planning through the Chair. Has the Government any proposal to provide Atal Tinkering Labs in private schools also to include their participation as their contribution will also play a crucial role in the Amrit Kaal to make India a global tech hub by 2047? They will play a vital role in achieving the goal of India becoming a US $ five trillion economy by 2027-28. If so, the details thereof, and if not, what are the reasons for not including the private schools in this scheme?

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-17 के अंदर यह स्कीम प्रधान मंत्री जी की पहल थी। यह सवाल अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित है और नीति आयोग को इसका जिम्मा दिया गया। इसके चार-पांच वर्टिकल्स हैं, जिनके अंदर पहला अटल टिंकरिंग लैब है। दूसरा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तीसरा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, चौथा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज और पांचवां मैंटर इंडिया है। इसके अंदर जिन 10 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स हमें बनानी थीं, वे नीति आयोग ने मुकम्मल कर दी हैं। इन 10 हजार टिंकरिंग लैब्स के अंदर प्राइवेट और पब्लिक या सरकारी स्कूल्स हैं। करीब 6000 लैब्स सरकारी स्कूल्स में हैं तथा करीब 4000 लैब्स प्राइवेट स्कूल्स में हैं। हाल ही में इस बजट सैशन के दौरान इन 10 हजार टिंकरिंग लैब्स को बढ़ाकर केबिनेट ने निर्णय लिया कि देश के अंदर 50 हजार टिंकरिंग लैब्स बनानी चाहिए। इसके अधीन नीति आयोग ने पिछले पांच-सात सालों में यह स्पीयर हैड किया था, क्योंकि इस योजना का विस्तार हो रहा है, इसलिए इस योजन को आइंदा के लिए मिनिस्टरी ऑफ एजुकेशन करेगी। अगली 50 हजार टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी, वे केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रखी जाएंगी।

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Sir, as the House is aware, the Atal Tinkering Lab initiative has grown significantly. There is still much work to be done to ensure that every student has access to these transformative learning environments.

This is my second Supplementary Question to the hon. Minister of Planning through the Chair. What steps is the Government taking to expand the reach of Atal Tinkering Labs to underserved communities and rural areas to unlock the potential of millions of young minds, empower and enlighten them to become agents of change and innovation in their communities to achieve their dreams as part of AatmaNirbhar Bharat.

(1130/GG/SNT)

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, हमारे देश के जो एस्पिरेशनल जिले हैं, हिल्ली एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहां पर भी इनोवेशन की स्प्रिट लागू करने के लिए एक वर्टिकल, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वह अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स कुल मिला कर 50 स्थापित किए जाने थे, अभी तक 14 कर दिए गए हैं। जब ये 50 हज़ार नए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे, तब इनका भी विस्तार किया जाएगा। जो रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं, जिनको इनोवेशन का नहीं पता, जिनको एसडीजी गोल्स का नहीं पता, उनकी कैसे डेवल्पमेंट हो सकती है? 1000 लैब्स आकांक्षी जिलों में हैं, 60 प्रतिशत लैब्स रिमोट एरियाज में हैं। मैं समझता हूँ कि इससे माननीय सदस्य को तसल्ली हो जानी चाहिए।

श्री राजीव राय (घोसी) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो 50 हज़ार स्कूलों का सिलेक्शन हुआ है, उसका क्राइटेरिया क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? मेरा दूसरा सुझाव है, प्रोफेसर होने के नाते और आपके आशीर्वाद से शिक्षा की कमेटी में रहने की वजह से कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजनाओं की तारीफ भी करनी चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सीबीएसई के माध्यम से यह एक कम्पलसरी सब्जेक्ट के रूप में टीचिंग में लागू किया जाए, क्योंकि टैलेंट हंट हर पैमाने पर होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए और जो बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं और दूसरा, क्या सीबीएसई के माध्यम से सारे स्कूलों में इसे कम्पलसरी लागू करने पर सरकार विचार करेगी?

राव इन्द्रजीत सिंह : सर, जो 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब्स लगाए गए हैं, वे सभी प्रदेशों और यूनियन टैरिटरीज़ के अंदर बांट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिला कर 955 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। इसके ऊपर 137.12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सर, जो सिलेक्शन होता है, वह एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है। आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह से ही सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर स्कूल में कौन सी चीज़ पढ़ाई जाती है, कौन सी पढ़ाई नहीं जाती है, यह आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जा रहा है। अभी तक तो बीएसई के तौर पर नहीं किया गया था। आइंदा जो फैसला कैबिनेट करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी, उसके हिसाब से इसको आगे पढ़ाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार शेटकर – उपस्थित नहीं।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, I would like to know how many Atal Tinkering Labs are actually functioning in the country? What is the equipment which is provided in each of these labs? The Minister must list out the equipment which is provided for each of these labs.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I have a State-wise list. I have not put them all together as to how many tinkering labs are there on the whole. But I can have that sent over to him. The question was not on Tamil Nadu. It was about Andhra Pradesh and Telangana. In Telangana, there are 379 labs. (1135/AK/MY)

In Andhra Pradesh, there are 713. If they want information regarding other States, I can have it passed on to them as to how many are functioning there. … (*Interruptions*)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, my question was not answered. … (*Interruptions*) What equipment are provided there? … (*Interruptions*)

(ends)

(Q. 184)

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Hon. Speaker Sir, I rise to address two crucial aspects that will propel India's renewable energy journey forward.

First, I would like to shed light on the incentives and concessions provided by the Union Government for setting up solar power and other renewable energy projects on government lands more particularly in Telangana. The Union Government has implemented various initiatives to encourage the growth of renewable energy in the country. One such initiative is the provision of incentives and concessions for setting up renewable energy projects on government lands. The country has set an ambitious target of 450 GW of renewable energy power by 2030.

I would like to ask this from the hon. Minister. What are the details of the incentives and concessions provided by the Union Government for setting up solar power and other renewable energy projects on government lands in Telangana?

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मेम्बर, आपका प्रश्न क्या है?

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): What are the details of the incentives and concessions provided by the Union Government for setting up solar power and other renewable energy projects on government lands more particularly in Telangana?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, we are providing funds for solar parks not specifically on the government land, but for the solar parks. PM-KUSUM is for the farmers where they will get subsidy. In some cases, it is 30 per cent and in some of the special-category States it is 50 per cent. In PM Surya Ghar for 3 kW they will get Rs. 78,000. In the PM-KUSUM there are three components, and in the various components there are different types of subsidies. Overall, it is not on the government land.

Steps were taken for the overall development of renewable energy in the country after Prime Minister, Shri Modi took over. In the entire country, the solar power generated in 2014 was 2.83 GW, that is before Shri Modi came to power. In the last 10 years, I am very happy to announce -- which I had mentioned yesterday in the other House also -- that from 2.83 GW in 2014, today we have reached 100 GW of solar power in the country. Overall, 75 GW energy was

generated in 2014 from non-fossil fuel. Today, we are generating 222 GW. This is what we have done, and modules, cells, wafers, ingots and even polysilicon, we are trying to manufacture domestically.

But as far as the State of Telangana is concerned, I can only say that some of the schemes are demand-driven. We have given whatever was sanctioned to the Telangana Government. If they work on it, the Government of India is always ready to support irrespective of the Party that is ruling there. But some of the State Governments in spite of our repeated reminders including the State of Telangana are not working and they are not making use of the Government of India schemes.

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Sir, are there any other benefits such as low-interest loans or grants available to support the growth of renewable energy in Telangana? Further, I would request the hon. Minister to provide detailed information about the subsidies, tax breaks, and other benefits offered to encourage investment in the renewable energy sector. (1140/GM/CP)

I believe that that these details will help the investors make informed decision and support the country's renewable energy goals.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as I have told, PM-KUSUM is a progress-driven scheme. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is also a demand-driven scheme. We are continuously receiving demands from the States based on their implementation.

During September 2023, based on the request of Telangana, the State implementing agency was changed and we accepted that. In October 2024, we requested all State implementing agencies including TGREDCO to implement the scheme and sign the pending PPAs on 31st December 2024. So far, no PPAs have been sent by the Telangana Government. Under Component A, Telangana was allocated 500 megawatts in January 2021. No progress was shown either by this Government or the previous Government which was there. Four-thousand megawatt was sanctioned to the TGREDCO in June 2024. Since there was no progress, 3,000 megawatt was cancelled after six months because absolutely कुछ भी नहीं हुआ था। An EOI was issued in January. There was no information on bids and LOAs.

In February 2025, Telangana requested for the use of Government land and inclusion of self-help groups under the Component A in PM-KUSUM. PM-KUSUM means PM Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan which means the farmer should always get electricity. As Members of Parliament, we deal with the people, we meet the people and we know that in majority of States, फार्मर्स के इरीगेशन परपज के लिए रात में बिजली की सप्लाई होती है। इन लोगों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए, यह सोचकर हमने पीएम किसान योजना शुरू की। पीएम किसान योजना में किसान का उत्थान भी है। इसीलिए पीएम कुसुम का जो प्रोजेक्ट होता है, उसे किसान की लैंड पर ही करना है। Keeping that in mind, we have advised Telangana not to use Government land for PM-KUSUM. If they adhere to the guidelines, if they make progress, if they sign the PPAs, then the Government of India is ready to support them.

The Prime Minister has given me the target that by 2030, we should achieve 500 gigawatts. Today, I would like to announce, and all the Members should hear this, that India is the third largest producer of renewable energy in the entire world. We are marching fast. Irrespective of the party which is ruling in the respective States, we want to support them. The only thing is that they have to perform, PPAs should be there and PPAs should be signed. If all such things are done, the Government of India is always ready to support. But so far as Telangana is concerned, progress is very low. I request all the Members from Telangana on this side and that side to pursue the Telangana Government to make the progress.

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, भारत देश का 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करने का टार्गेट था, लेकिन अभी तक केवल 220 या 230 गीगावॉट तक ही हार्नेस हुआ है। (1145/NK/SRG)

इसमें भी मेजोरिटी सोलर एनर्जी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी बताती है कि भारत में विंड एनर्जी में लगभग 1100 गीगावाट तक हार्नेस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नम्बर 198 को रेफर करके बता रहा हूं कि जितनी भी स्कीम्स बनी हैं, इनमें ज्यादातर सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनी हैं। विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बहुत ही कम स्कीम्स बनी हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री कोई स्कीम बना रही है, जैसे पीएम कुसुम है, सूर्यघर बिजली योजना है। क्या आपने इसी तरह से विंड एनर्जी के बारे में भी सोचा है? रीसेंट स्टडी ने सजेस्ट किया है, जितने भी हाई एलटीट्यूड में विंड का वेलोसिटी रहता है, उस विंड वेलोसिटी को हार्नेस करते हुए विंड एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। क्या मिनिस्ट्री ने विंड एनर्जी को हार्नेस करने के बारे में सोचा है? क्या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कोई योजना बनाएंगे?

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, बेसिकली यह प्रश्न तेलंगाना के संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष: उनका अगला प्रश्न यही था।

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं कहना चाहता कि वर्ष 2014 में 75 गीगावाट से आज हम 222 गीगावाट तक पहुंच गए हैं। यह बहुत बड़ा जम्प है, इसे अप्रेसिएट करना चाहिए। मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा था, सोलर में 2.83 गीगावाट से 100 गीगावाट को पार कर लिया है। 180 गीगावाट अंडर इम्पिलिमेन्टेशन है, 79.9 गीगावाट ऑलरेडी टेंडर्ड है, टोटल इंसटॉल्ड गीगावाट को मिलाकर 480 गीगावाट हो जाएगा जबकि टारगेट 500 गीगावाट है।

हर वर्ष 50 गीगावाट का टेंडर फ्लोट करना, पीपीपी साइन करना, राज्यों के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। रीजन-वाइज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत हो रही है। ग्लोबल आरई इनवेस्टर्स मीट गांधीनगर में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आये थे, उसके साथ ही बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आये थे।

दुनिया के बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स रिन्यूएबल एनर्जी में भारत में इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। एमईए का सहयोग लेकर उनको बुलाया गया था। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में इनवेस्टमेंट करने के लिए बड़ी मात्रा में लोग आये थे। जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा एचीवमेंट होता है तो सहज रूप से इनको जलन होती है इसीलिए बीच-बीच में ऐसा टोका टाकी करते हैं। इनके काल में 2 गीगाावट से हम अभी 100 गीगावाट सोलर में पहुंच गए हैं। Everybody should acknowledge it. मैं आशावादी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 गीगावाट तक जरूर पहुंच जाएंगे।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्यों को विशेष सब्सिडी या वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बना रही है? जहां ऊर्जा की कीमतें अधिक हैं लेकिन क्रय शक्ति कम है, जैसे बिहार तो वहां के लोग सौर ऊर्जा जैसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

बिहार में आज भी लाखों लोग डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं, जिससे न केवल उनकी आय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति तैयार की है या प्रस्तावित की है जिससे बिहार जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा को किफायती और सुलभ बनाया जा सके?

(1150/MK/RCP)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारे देश का कोई भी राज्य हो, अगर सोलर एनर्जी या ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम्स के इंप्लिमेंटेशन की बात करें, तो हमारी बहुत सी स्कीम्स हैं, मैं उन सबको यहां पढ़ना नहीं चाहता हूं। जैसे पीएम-सूर्य घर है, इन-रियल-सेंस यह मुफ्त बिजली योजना है। हमने इसे लास्ट ईयर, जनवरी, 2024 में अनाउंस किया था और फिर इसे शुरू किया गया। उसके बाद इसके रूल्स वगैरह फ्रेम होकर आते-आते कोड ऑफ कन्डक्ट आ गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का इंप्लिमेंटेशन जून में शुरू हो गया। In 7-8 months, we have achieved 10 lakh installations under PM Surya Ghar.

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई राज्य फ्री अनाउंस करते हैं, लेकिन पीएम मोदी जी का अनाउंसमेंट क्या है? कुछ राज्य 200 यूनिट्स अनाउंस करते हैं, लेकिन बाद में 40 यूनिट्स भी नहीं देते हैं। लेकिन भारत सरकार की, मोदी जी की योजना सस्टेनेबल है। हम इसे सिर्फ फ्री ही नहीं देते हैं, बल्कि हम जो 300 किलोवॉट फ्री देते हैं, तो 78,000 रुपए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी के रूप में देते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत ज्यादा समय हो गया है।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इसके कारण यह 25 सालों तक फ्री होता है और 25 सालों के बाद 15 लाख का इसी स्कीम में फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। Not only free, बल्कि आप लोग इसमें पैसा भी अर्न करते हैं। इसके साथ ही साथ कॉम्पोनेंट-सी में हमने बिहार के लिए 70,000 पम्प्स एलोकेट किए हैं। वे इसका उपयोग करते हैं। इस तरह बिहार भी अन्नदाता के साथ-साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लग रही है। वह जो फैसिलिटी है, वह भारत-पाकिस्तान की सरहद के एक किलोमीटर तक जाएगी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स हैं, वे यह कहते हैं कि बॉर्डर के दस किलोमीटर तक कोई बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि खावड़ा में जो यह प्रोजेक्ट लग रहा है, इसको लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनको रिलैक्स किया गया है?

दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो कि एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विन्ड भी है, सोलर भी है और बाकी चीजें भी हैं, इसके लिए कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई है?

श्री प्रहलाद जोशी: सर, हम यह चाहते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेट हो। माननीय सदस्य ने खावड़ा के बारे में प्रश्न किया है। वैसे तो यह प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है, उनका प्रश्न इससे अनरिलेटेड है। … (व्यवधान) फिर भी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब भी हम प्रोजेक्ट का अनुमोदन देते हैं, राज्य, केंद्र और लोकल लेवल पर बाकी जो भी अनुमतियां लेनी हैं, क्लियरेंसेज़ लेने हैं, लाइसेंसेज़ लेने हैं, वे सभी विभागों से लेकर ही करते हैं। … (व्यवधान)

(इति)

(1155/SJN/PS)

(प्रश्न 185)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि माइनिंग सेक्टर में ऑक्शन के बाद राज्यों को क्या लाभ मिला है?...(व्यवधान) मंत्री जी, आप इसके बारे में बताइए।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : आपने वादा किया है कि आप प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद माइनिंग और कोल सेक्टर में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। माइनिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पीएसयूज़ हों या राज्य सरकारों के पीएसयूज़ हों, हम ऑक्शन के द्वारा ब्लॉक्स देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकारों को लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप यहां नारेबाजी करने आए हैं? प्लीज बैठ जाइए। यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न काल में बोलने का मौका दिया गया है। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। सभी से स्वीकृति के बाद चर्चा की जाती है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, चाहे रॉयल्टी हो, डीएमएफ हो, आयरन और कोल मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को लाभ दिया जाता है।...(व्यवधान) मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं। अभी भी कुछ राज्यों में माइन्स पर एक्शन नहीं हो रहा है, वह होना चाहिए।...(व्यवधान)

आज का जो मूलभूत सवाल है, उसके लिए हम आने वाले दिनों में पीएमयू और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। हम कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे तथा हम माइनिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाएंगे। जो एक्शन लिया गया है, पीएमयू के द्वारा राज्य सरकारों को लाभ देने के लिए, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, बल्कि ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरे क्लिरेंसेज़ लेने चाहिए।...(व्यवधान) सभी क्लियरेंसेज़ देने के लिए पीएमयू का गठन किया गया है। वह राज्य सरकारों के साथ अच्छी तरह से मिलकर काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो माइन्स हैं, उनको भी लाभ मिलेगा।...(व्यवधान) जिन्होंने अलग-अलग प्राइवेट सेक्टर्स के माइन्स लिए हैं, आगे आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्लिरेंसेंज दिए जा सकें, इसके पीएमयू प्रयास करेगा।...(व्यवधान)

1157 बजे

<u>(इस समय डॉ. मल्लू रवि, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)</u>

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बाद 131 कोल ब्लॉक्स में कितने लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिया गया है?...(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, आज भारत में माइनिंग सेक्टर में लगभग चार लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हो सके, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।...(व्यवधान) चाहे प्राइवेट सेक्टर्स के माइन्स हों, राज्य सरकारों की माइन्स हों, चाहे भारत सरकार की पीएसयू माइन्स हों, आज कोल सेक्टर में चार लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बिप्लब कुमार देब जी, क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं?

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, जी नहीं।

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज) : महोदय, मेरा सवाल है कि भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज क्रिटिकल मिनरल की आवश्यकता सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से डिमांड आ रही है। आज ग्रीन एनर्जी का उपयोग होता है। जैसे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबेलिटी की तरफ बढ़ रही है।...(व्यवधान) चाहे लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ग्रेफाइट हो, रेयर अर्थ एलीमेंट्स हों, हम इसके दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान)

आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' घोषित किया है। भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स को पाने के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। हम वर्ष 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हैं।...(व्यवधान)

1159 बजे

(इस समय डॉ. मल्लू रवि, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

हम नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पहली बार विदेशों में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का काम कर रही है। आज हम ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों, सेल फोन्स हों, अलग-अलग सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी हैं। पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए प्रयास कर रही है।...(व्यवधान)

(pp. 19-30)

(1200/SPS/SMN)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir. Andhra Pradesh has a lot of mineral deposits. 93 per cent of the Barytes is explored from Andhra Pradesh and 90 per cent of the limestone is explored from Andhra Pradesh, and as you mentioned just now, critical minerals are also being explored in Andhra Pradesh but unfortunately, even after 10 years of the bifurcation of the State, still we do not have the Geological Survey of India's State unit in Andhra Pradesh. This GSI will help in better data collection, will help in better Centre-State coordination, will help in mineral assessment and will help in mineral exploration.

So, my question, through you, is Sir, whether the Central Government is looking at establishing the Geological Survey of India's Permanent Regional Office in Andhra Pradesh? If so, by when?

श्री जी. किशन रेड्डी : आदरणीय अध्यक्ष जी, क्रिटिकल मिनरल के बारे में पहले भारत में ऐसा नहीं था। पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने क्रिटिकल मिनरल में 24 क्रिटिकल मिनरल्स की घोषणा की है।

दूसरा विषय इंपोर्ट करने का है, क्योंकि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स में सौ प्रतिशत विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इस डिपेंडेंसी के दृष्टिकोण को देखते हुए जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें पूरा सौ प्रतिशत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है। नरेन्द्र मोदी की सरकार के बजट में 24 क्रिटिकल मिनरल्स पर कोई ड्यूटी नहीं है। हम क्रिटिकल मिनरल्स के दृष्टिकोण से नए-नए कदम उठा रहे हैं। आदरणीय सांसद जी ने जीएसआई के बारे में पूछा है। बहुत खुशी की बात है कि जीएसआई इस 175वीं साल का सेलीब्रेशन कर रहा है। दुनिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया सबसे बड़ी संस्था है। भारत के लगभग दस हजार कर्मचारी, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स जीएसआई में काम करते हैं। इस साल 175वीं वर्ष का सेलीब्रेशन हम मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कर रहे हैं। आप आन्ध्र प्रदेश के ऑफिस की बात कर रहे हैं तो हम आपसे और स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके कैम्प ऑफिस विजयवाड़ा में जरूर शुरू करेंगे।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है, उनमें श्री राजेश रंजन, श्री मनीश तिवारी, श्री गौरव गोगोई और प्रो. सौगत राय जी हैं। सौगत राय जी रोज नोटिस लगाते हैं और मनीश तिवारी जी भी रोज एक विषय पर नोटिस लगाते हैं। इनके अलावा श्री राजकुमार रोत, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री शफी परम्बिल, श्री विजयकुमार, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री नीरज मौर्य, श्री के. सी. वेणुगोपाल और श्री बैन्नी बेहनन हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा पटल पर पेपर रखे जाने के पश्चात् जिन सदस्यों का आज शून्यकाल की लिस्ट में नाम आया है, उनको मौका दिया जाएगा। तेल क्षेत्र विधेयक की समाप्ति के पश्चात् जो माननीय सदस्य अनुमानित चार बजे के बाद शून्य काल पर अपना विषय रखना चाहते हैं, वे तीन बजे तक सारे विषय लिखकर टेबल ऑफिस पर दे दें। यदि मैं उचित समझूंगा तो तीन बजे के बाद सभी माननीय सदस्यों को शून्य काल में बोलने का अवसर दिया जाएगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1204 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रतखा हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख)के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय वैक्सीन निगम लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय वैक्सीन निगम लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1205/SM/KDS)

1205 hours (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

(i) The Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.88(E) in Gazette of India dated 31st January, 2025.

(ii) The Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2025

published in Notification F.No. F.No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E). in Gazette of India dated 29th January, 2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Unique Identification Authority of India, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Unique Identification Authority of India, New Delhi, for the year 2023-2024.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Education and Research Network of India (ERNET India), Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Education and Research Network of India (ERNET India), Delhi, for the year 2023-2024.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Informatics

Centre Services Incorporated, New Delhi, for the year 2023-2024.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai, for the year 2023-2024.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.754(E) in Gazette of India dated 6th December, 2024 under sub-section (3) of Section 56 of the Telecommunications Act, 2023.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (साधारण) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 14 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : महोदय, आपकी आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.791(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.924(अ) जो दिनांक 20 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 423(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(दो) का.आ.967(अ) जो दिनांक 24 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन प्रत्यायित निजी अन्वेषण एजेंसियों को 'क' श्रेणी अन्वेषण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Annual Report of the National Minorities Development and Finance Corporation, Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

SHRI BIPLAB KUMAR DEB (TRIPURA WEST): Sir, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the First sitting of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House held on 03.03.2025.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING

7th to 9th Reports

SHRI CHARANJIT SINGH CHANNI (JALANDHAR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2024-25):-

(1) Seventh Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare).

(2) Eighth Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(3) Ninth Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of Cooperation.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

तीसरा से पांचवां प्रतिवेदन

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, आपकी आपकी अनुमति से मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'जैव-ऊर्जा तथा अपशिष्ट से ऊर्जा-शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा की प्राप्ति तथा ऊर्जा प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका' विषय के बारे में 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

7th and 8th Reports

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution:-

(1) Seventh Report on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

(2) Eighth Report on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

3rd Report

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs (2024-25) on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Housing and Urban Affairs.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

5th to 7th Reports

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

(1) Fifth Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

(2) Sixth Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).

(3) Seventh Report on Demands for Grants (2025-26) pertaining to Ministry of Panchayati Raj.

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

4th Report

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) on Demands for Grants (2025-26) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel relating to the Ministry of Coal.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

163वां से 165वां प्रतिवेदन

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) :: महोदय, आपकी आपकी अनुमति से मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 46) संबंधी 163वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 47) संबंधी 164वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 4) संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(1210/RP/RAJ)

BUSINESS OF THE HOUSE

1210 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 17th of March, 2025, will consist of: -

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains (i) Consideration and passing of the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024, as passed by Rajya Sabha, (ii) Consideration and passing of the Carriage of Goods by Sea Bill, 2024; and (iii) Consideration and passing of the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025]

2. Discussion and voting on Demands for Grants for the year 2025-26 of the Ministry of Railways.

3. Discussion and voting on Demands for Grants for the year 2025-26 of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

4. Discussion and voting on Demands for Grants for the year 2025-26 of the Ministry of Jal Shakti.

5. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for the year 2025-26.

6. Consideration and passing of the Finance Bill, 2025.

MOTION RE: APPOINTMENT OF ONE MEMBER TO THE JOINT COMMITTEE ON CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY–NINTH AMENDMENT) BILL AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one Member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty–ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 in the vacancy caused by the resignation of Shri V. Vijayasai Reddy from Rajya Sabha and communicate to this House the name of the Member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा से श्री वी. विजयसाई रेड्डी के त्याग-पत्र से उत्पन्न हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

---

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1213 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम शून्य काल शुरू करेंगे।

माननीय संजय उत्तमराव देशमुख

•**श्री संजय उत्तमराव देशमुख (यवतमाल-वाशिम) :** Hon'ble Chairman, Yavatmal is an important city of Vidarbha region and it is also a district business centre. A lot of transport vehicles ply on roads here around Samvidhan square. Due to heavy traffic, more than 100. road accidents took place here last year and many people died in road mishaps. Many people got injured too. This is happening everyday just because of traffic Jams, narrow roads, and lack of traffic management system.

A new bridge should be constructed at Samvidhan square to improve traffic and logjams. So, I would like to request Hon'ble Gadkari ji to construct a flyover between Chintamani petrol pump and Pandharkawada Road cremation ground urgently.

Sir, NH161 passes through Washim city. This is a two lane road but, a promise was made by Hon'ble Minister to construct a 4 lane highway. So, I would like to request to make it 4 lane and fulfil the demand of people there.

Sir, it is now more than 75 years of independence, but a village road between Pimpalgaon to Dhargaon, Teh. Karanja, Distt. Washim has been pending for the last so many years due to reluctance of forest department. Students have to face problems as no vehicle can ply on this road due to potholes. People have demonstrated against the mismanagement of the department but still, that road has not been constructed or repaired.

For Digras to Pusad By pass road work, land has already been acquired but, no financial provision has been made for it in the Budget. So, it has also been stuck.

Hence, I would like to request Hon'ble Minister that a financial provision should be made for the construction of this road at earliest. Thank you.

---

* Pl see p. 306 for List of Members who have associated.

•Original in Marathi

(1215/SK/NKL)

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Sir, the purchase of paddy is done at the MSP rate. So, the Centre is purchasing the paddy at the guaranteed rate and storing it in their godowns. छः महीने तक राइस मिलिंग के लिए धान उठाया नहीं जाता है इसलिए स्टोरेज में ज्यादा दिन रहने लॉसिस आते हैं। पहले सैंट्रल गवर्नमेंट से घट एक क्विंटल के लिए एक किलोग्राम की मिलती थी, अब इसे आधा किलोग्राम कर दिया गया है। परचेजिंग सैंटर और सोसाइटीज़ किसानों से एक से दो किलोग्राम धान प्रति क्विंटल घट के नाम पर फ्री में लेते हैं। किसान बड़ी मुश्किल से धान उगाता है। उसे 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, केवल आठ से दस घंटे रात को ही बिजली मिलती है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में शेर और जंगली हाथियों का बहुत प्रकोप है। ये जानवर आए दिन किसी न किसी की जान लेते हैं इसलिए किसान रात को खेत में जाने से डरते हैं। दिन में बिजली नहीं मिलती है, किसान बड़ी मुश्किल से फसल तैयार करते हैं। जब वे सैंटर में बेचने के लिए लेकर जाते हैं तो एक या दो किलोग्राम प्रति क्विंटल धान घट के नाम पर फ्री में ले लिया जाता है। घट जो पहले एक किलोग्राम थी, अब इसे आधा किलोग्राम कर दिया गया है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इसमें बढ़ोतरी करे और कम से कम चार किलो कर दे। लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट हमारी होती है। यह हर स्टेट में अलग-अलग है। मध्य प्रदेश में 16 रुपये, पंजाब में 17 रुपये, असम में 24 रुपये और महाराष्ट्र में सिर्फ 10 रुपये 75 पैसे है। यह रेट एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह से असम में प्रति क्विंटल 24 रुपये दिया जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी प्रति क्विंटल 24 रुपये देना चाहिए। किसानों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उनके ऊपर सोलर बिजली का कम्पलशन है, धान के लिए सोलर बिजली से काम नहीं चलता है, उनको इलैक्ट्रिक कनैक्शन देना चाहिए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : माननीय सभापति जी, मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 494 दिनांक 05-02-2020 को दिये गये जवाब के अनुसार गोपालगंज जिला में पूर्णतः आंशिक रूप से पड़ने वाली हथ-भटनी नई लाइन परियोजना जो 79.64 किलोमीटर है, चालू है। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 770.08 करोड़ रुपये है। मार्च 2019 तक 277.13 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है। शेष 48.64 किमी पर कार्य को भूमि ,बिहार के गोपालगंज जिला में 36.00 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 12.64 किलोमीटर पड़ता है, उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया है।

बिहार राज्य में पंचदेओरी-भौरे जो 36 किलोमीटर खंड में है, 333 एकड़ और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 101.13 एकड़ के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऐसा जवाब दिया गया था। लेकिन Rule 377 (2024 MW-1/NER 377/05) के उत्तर में, यह बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण परियोजना के शेष खंड (पंचदेवरी-भटनी, जो 49 किलामीटर है, को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पंचदेवरी-भटनी रेल लाइन को यथाशीघ्र शुरु किया जाए तथा अर्थिक स्वीकृति देकर जमीन अधिग्रहण करके काम शुरू किया जाय।

(1220/VR/KN)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, the Delimitation Act, 2002 had freezed the total number of constituencies in both the Parliament and the State Assemblies and maintained the *status quo* till 2026. This was done mainly as the States, which had implemented family planning, widely, like Tamil Nadu, Kerala, and Punjab, would stand to lose many parliamentary seats, and the States, which have not implemented family planning programs like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, would gain more seats.

I rise to draw the attention of this House to a matter of grave concern that threatens the federal spirit of our democracy. The impending delimitation exercise, which disproportionately penalizes progressive States like Tamil Nadu, is rewarding those States which have failed to control their population in the last three decades. The Union Government's approach to delimitation is not clear, and it disregards the sustained efforts of Tamil Nadu in population control, economic growth and equitable development.

While doing the reorganization of Lok Sabha constituency seats based on the current population, there is a possibility of a loss of seats in Tamil Nadu. The Union Government has no clarity or any assurance regarding this issue so far. Tamil Nadu, under the Dravidian model rule, has been the most successful State in implementing effective family planning policies and ensuring socio-economic process.

Naam iruvar, namakku iruvar, that is, 'We Two, We Need Two' till 1990s and, at present, *naam iruvar, namakku oruvar,* that is, 'We two, We Need One' has been the approach of the Government for birth control in the State of Tamil Nadu. As a result, the population growth in Tamil Nadu has significantly been controlled compared to the northern States. Insisting population figures only for delimitation is totally unfair and injustice to Tamil Nadu.

It is my humble request that in the delimitation process, the Government should consider the performance of the States in respect of vital indices like GSDP, per capita income, GER, doctors, hospitals and medical infrastructure,

energy generation, road infrastructure, agriculture productivity, export earnings and overall achievements, and not the population statistics alone.

One of the fundamental ideas of our Constitution is the cooperative federalism. We, the people of Tamil Nadu, have been fighting for years to establish the rights of Tamil Nadu and protect the interests of the Tamil people.

The recent all-party Resolution passed by our hon. Chief Minister, urging the Centre to adhere to the 1971 Census for delimitation, is a testament of the State's united opposition to this unfair move. The Union Government must respect the voice of the people and of the States that have worked diligently for national progress. It should not impose a one-size-fits-all approach that undermines Tamil Nadu's rightful stand in the Indian Union. *....(Interruptions)* Delimitation should not become a secret weapon to weaken the progressive States that are contributing immensely to the country's progress. *....(Interruptions)*

The Union Government should ensure a fair and equitable representation of MPs and MLAs for all the States in the Parliament and the State Assemblies to uphold the federal spirit of the Constitution. *....(Interruptions)*

To address this issue, we must extend the freeze on delimitation for at least 30 more years, ensuring that States are not penalized for their good governance and responsible population policies. Thank you. *....(Interruptions)*

*DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon'ble Chairman, thank you very much for allowing me to speak. Today, I rise to draw you kind attention towards a serious issue of water scarcity in my Lok Sabha Constituency Dhule.

Union Government had promised to provide tap water to every household through Jal-Jeevan Mission, but it could not be materialized. This Government claims that around 78% households have been connected through tap water facility. They also claim that around 87% household in Maharashtra and 99% households in Dhule region have been provided with tap water connections. But, this is fake, not reality. Actually, Dhule Rural and Shinkheda area is getting tap water supply only once at the intervals of 10-15 days.

---

*Original in Marathi

In Baglan –Malegaon area, tap water supply is being provided only twice a week. The tribal villages like Dang, Saller, Muller, Wathoda, Wagamama do not get regular water supply because pipeline is there, but it has no water supply connection. This area lacks the facilities of water tank, pipeline and water bodies. So, regular and uninterrupted water supply cannot be ensured in this region. Here, Damaged pipelines, lack of infrastructure and dry taps are the living proofs of the complete failure of system.

I would like to refer article 21 of Constitution of India which protects the right to water as a fundamental right in our country.

I would like to request the Central Government to initiate an audit enquiry of the works under Jal-Jeevan Mission and also to make financial provisions to complete pending pipeline works to provide tap water to the poor and tribals in rural areas. Thank you.

(1225/VB/SNT)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जिनको हम संविदाकर्मी के नाम से जानते हैं।

अभी पिछले दिनों केरल के आशा बहुओं की आवाज़ उठी थी। इसी तरह की हालात पूरे देश के अन्दर है। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 4 लाख आशा बहुएं हैं, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए दो हजार रुपए मिलते हैं और छ: सौ रुपए प्रति केस मिलते हैं। लगभग 40 हजार रोजगार सेवक हैं, जिनको केवल 8,850 रुपए मिलते हैं। शिक्षा मित्र लगभग 1 लाख 48 हजार हैं, जिनका मानदेय 10 हजार रुपए है। आंगनबाड़ी सहायिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या लगभग साढ़े सात लाख है, इनको मानदेय के रूप में केवल 5 हजार रुपए और 2,700 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से, लगभग 40 हजार अनुदेशक हैं, जिनका मानदेय केवल 8,700 रुपए है। पंचायत सहायक लगभग 40 हजार हैं, जिनका मानदेय केवल 5 हजार रुपए है। 3,76,796 रसोइए हैं, जिनका मानदेय केवल दो हजार रुपए है। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्याएं हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, जिसने रोजगार देने के लगातार वायदे किये, पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के भाषण चलते हैं, बीजेपी के लोग जो देश के अन्दर सम्पन्नता का डंका बजा रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो डबल इंजन की बातें करते हैं, जो दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का यह हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे, तो पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। इसके साथ ही, इस बात का आश्चर्य है कि इसमें कहीं भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाये हुए संविधान के अनुसार, दलित भाइयों को जो रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, पिछड़ों को जो रिज़र्वेशन मिलना चाहिए था, उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। नित

नये षडयंत्र हैं कि कैसे रिज़र्वेशन को खत्म करें। अगर सीधे रिज़र्वेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसे खत्म कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है कि मनचाही एजेंसियाँ हायर हो रही हैं। अगर सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपए देती है, तो उन कर्मचारियों तक तीन हजार रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं जाता है।

इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि तमाम संविदाकर्मियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का पालन किया जाए, इन कर्मचारियों की भर्ती के तहत उनको और उनके परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे ईपीएफ आदि तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए।

(1230/PC/AK)

सभापति जी, आप यह बात सोचिए कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। … (व्यवधान) रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं। … (व्यवधान) रक्षा मंत्री जी, आप बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : डॉ. निशिकान्त दुबे जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। वर्ष 1991 में हमारे यहां, संथाल परगना में जनगणना हुई, जहां से मैं सांसद हूं। डीएमके के हमारे मित्र हमेशा डीलिमिटेशन का विषय उठाते हैं, उनके लिए यह ज्यादा सोचने वाली बात है। वर्ष 1991 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत थी। श्री बी. मणिक्कम टैगोर जी यह हंसने वाली बात नहीं है, आप ज़रा सीरियसली सोचिए।

संथाल परगना में जब 2011 की जनगणना हुई, तो आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28 प्रतिशत है। मुसलमानों की जनसंख्या, जो कि वर्ष 1991 में नौ प्रतिशत थी, आज 2011 की जनगणना के बाद वह 24 परसेंट है। यह हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं है। पूरे देश भर में मुसलमानों की जनसंख्या चार परसेंट बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल परगना में वह जनसंख्या 15 प्रतिशत बढ़ गई है। वे सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शीदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, पाकुर, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा तक पूरा फैलाव हो गया है। हम बाबासाहब अंबेडकर की बात करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूं कि आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजीशन की बैठक कर रहा है कि डीलिमिटेशन कैसे होगा और डीलिमिटेशन किस प्रकार से करना है? हमारे मुख्यमंत्री भी वहां जा रहे हैं। लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि वर्ष 2008 का डीलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। क्या झारखंड इस देश में नहीं है? हमारा ही राज्य एक ऐसा है, जिसमें वर्ष 2008 का डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डीलिमिटेशन हो जाता, तो आदिवासियों की एक लोक सभा की सीट

और आदिवासियों की तीन विधान सभा की सीटें कम हो जातीं। यही कुलदीप सिंह की डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है।

आप जिस 1971 के डीलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डीलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डीलिमिटेशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं बढ़ी है। इसलिए, आप पॉपुलेशन की बात मत कीजिएगा और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ी है। लेकिन सीट्स बढ़ी कहां है? सीट्स वहां बढ़ी हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज हम इस सिचुएशन में आए हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की सीटें घटेंगी। आप डीलिमिटेशन कर लो, बीजेपी डीलिमिटेशन कर ले, लेकिन 2008 का डीलिमिटेशन नहीं हुआ।

आज हमारी आदिवासी लड़कियों से जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरे देश में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर हमारे संथाल परगना और जामताड़ा में है। इसीलिए, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डीलिमिटेशन करेंगे, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डीलिमिटेशन कीजिएगा।

आर्टिकल-342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुसलमानों के साथ न हो, उनकी संस्कृति न बदले। आर्टिकल-355 के आधार पर यदि आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हैं, तो आप उसको बनाइए।

आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

जय हिंद, जय भारत।

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, ओडिशा में नव-निर्मित 'बुढ़ापंक-परजंग-कामाख्यानगर-सुकिंदा रोड' रेल लाइन पर सवारी गाड़ी चलाए जाने हेतु मांग करते हुए मैं यह मामला उठा रहा हूं। लगभग दो साल हो गए हैं, जब से इस लाइन पर मालगाड़ी चल रही है।

महोदय, वर्ष 1997 में जब श्री राम विलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तब इस लाइन का शुभ शिलान्यास किया गया था।

(1235/CS/GM)

लोगों ने लगभग 25 साल पहले बहुत ही कम मूल्य में अपनी जमीन दे दी थी। स्वाभाविक रूप से उस समय उनके मन में यह सपना था कि कभी उनके गाँव के रास्ते सवारी गाड़ी चलेगी, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन्स भी चलेंगी। दो साल हो गए हैं, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया है। यद्यपि माल गाड़ी चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी सवारी गाड़ी नहीं चलायी जा रही है। मैंने इस आशय में संसद में माँग की थी, तब बताया गया था कि यह लाइन फ्रेट कॉरिडोर नॉर्म में बनायी गई है। मगर लोक कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी नॉर्म में पटरी क्यों न बनायी जाए, उस पर सवारी गाड़ी चलाये

जाने में कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरी सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी से, जो हमारे ओडिशा से आते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अविलंब अंगुल से बुढ़ापंक, पर्जंक, कामाख्यानगर, भुबन, सुकिंदा रोड़ होकर जाजपुर रोड़ तक सवारी गाड़ी चलायी जाए। आगे हावड़ा तक भी एक्सप्रेस ट्रेन एवं सुकिंदा से साउथ में जाकर पुरी तक की भी सवारी गाड़ी चलायी जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

भारत सरकार तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में कई रोजगारपरक कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोक सभा क्षेत्र चन्दौली में महेन्द्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे क्षेत्र में बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था, लेकिन आज तक वहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ न तो अच्छे डॉक्टर हैं और न ही वहाँ जाँच हो पाती है। इसलिए वहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाये गए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन वहाँ पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, जिसके कारण एकल आदेश से माननीय कुलपति ने नियुक्ति से लेकर डेवलपमेंट तक के सारे फैसले लिए हैं। यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार वहाँ गए, उन्होंने एम्स का दर्जा देने के लिए बात कही, लेकिन वहाँ न तो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा न हो पायी।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : धन्यवाद।

माननीय एडवोकेट प्रिया सरोज जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, आप विसंगति मत कीजिए।… (व्यवधान) आप उधर के लोगों को टाइम देते हैं, हमें दो मिनट का समय भी नहीं देते हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी माँग तो कर लूँ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी माँग कर लीजिए। आपका माइक ऑन है, आप अपनी माँग कर लीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, मैं आपसे माँग करता हूँ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एकल आदेश के आधार पर जो भी अनियमितताएँ वहाँ हुई हैं, उनकी संसदीय समिति से जाँच करायी जाए। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएँ की जाएं तथा महेन्द्र पॉलिटेक्निक, जो हमारा

बहुत ही पुराना, प्रतिष्ठित चन्दौली का कॉलेज है, उसे अमृत योजना के तहत रिहैबिलिटेट किया जाए। यही माँग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(1240/IND/SRG)

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर रेलवे के मडियाहू रेलवे स्टेशन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे फाटक 9, SPL की ओर दिलाना चाहती हूं। यह फाटक मडियाहू-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस फाटक से बनारस, मछलीशहर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और जलालपुर आने-जाने वाले लोगों और वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहां अक्सर भारी जाम लगता है, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, मरीजों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर से सड़कें मिलती है, जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आम जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो और लोग राहत महसूस करें।

*SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Hon Chairman Sir, *Vanakkam*. I thank you so much for allowing me to raise an important issue pertaining to my Theni parliamentary constituency.

I am an elected Member of Parliament representing Theni in Lok Sabha. This is an important issue. I urge that there should be a new railway line between Dindigul and Sabarimala. This is the 18th Lok Sabha. All the elected MPs of this House including hon. MPs from Kerala have demanded for a new railway route between Dindigul and Sabarimala. This is a long pending demand. Almost one crore pilgrims visit Sabarimala every year. On a particular day during every month almost 5 lakh pilgrims visit Sabarimala. If this new railway line is laid, there is a possibility of even pilgrims from Jammu and Kashmir can visit Sabarimala on a regular basis. Traffic congestion along several rail routes may come to an ease. Moreover, accidents may be prevented and usual travel time can be saved.

Keeping in view all these aspects, and the importance of this demand which has been pending for the last 100 years, I urge upon the Hon. Minister for Railways, through the Chairperson of this august House, to immediately work in bringing this new railway line between Dindigul and Sabarimala a reality, in order to benefit lakhs of pilgrims and rail passengers. Thank you, *Vanakkam*.

* Original in Tamil

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति जी, मेरा कहना है कि 28 फरवरी, 2025 को राजस्थान के नार्थ-वेस्ट पार्ट में बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की फसल बिलकुल तबाह हो गई। ऐसी ओलावृष्टि सालों-साल से देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र राजगढ़ तहसील में तारानगर, भानीपुरा, नौहर में बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन स्पेशल गिरदावरी के केस में प्राब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइन के अंदर दो हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि दो हेक्टेयर से ज्यादा नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दो हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारी पर-केपिटा होल्डिंग 6-7 हेक्टेयर से ज्यादा की आती है। मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि एसडीआरएफ की गाइडलाइन्स में दो हेक्टेयर की कैपिंग को हटाकर किसानों को पूरे नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

महोदय, इसके अलावा हम मिनिमम जो नुकसान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में देते हैं, वह 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देते हैं। सर, एक-एक किसान की फसल एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होती है। हमारे राजस्थान के इलाके में किसान मौसम आधारित वर्षा पर ही खेती करते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में दो चेंजेज किए जाएं, पहला कैपिंग को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जाए और दूसरा प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये का जो नुकसान दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर किसान के एक्चुअल नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन्स हैं कि किसान की फसल कटी हुई है या खड़ी भी है, तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन वर्ष 2023 के अंदर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में चेंज कर दिया गया, अब खड़ी फसल को इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पीएमएफबीवाई की गाइडलाइन्स को दोबारा से रिवाइज किया जाए और यदि किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ भी है तो उसका मुआवजा भी दिया जाए ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Sir, India's tourism sector is rich in heritage, culture and diversity. This crucial sector is the key driver of economic growth towards achieving the agenda for Viksit Bharat 2047. Recognizing the potential of tourism sector for employment-led development, the Union Budget has allocated Rs. 2541 crore to enhance infrastructure, skill development, and travel facilitation, which is praiseworthy.

(1245/RCP/GG)

It is true that the sector created 7.6 crore jobs in financial year 2023. The foreign exchange earnings reached 28 billion USD and India attained 14th rank worldwide in world tourism receipts. The breakthrough initiatives of the Government to including developing 50 top tourist destinations in partnership

with the States through a challenge mode, ensuring world-class facilities and connectivity, will certainly elevate tourism infrastructure, improve ease of travel, and strengthen connectivity to key sites.

In this context, I want to highlight one place in my MP segment, Konark. Konark, once upon a time was one of the seven wonders of the world. On the other hand, there are beautiful sea beaches like Chandrabhaga and Astaranga. An ASI Museum is also here. Here is one famous Sun Temple and a renowned UNESCO world heritage site. The Sun Temple is famous for its impressive and architectural design and intricate stone carvings. It is just 35-km away from Puri, a place famous for the Jagannath Temple, which is one of the four *dhams* of the country.

Recognizing the deep cultural and spiritual significance of Puri and Konark, which is a good example of art and architecture, I would like to draw the attention of the hon. Union Minister of Tourism to consider inclusion of Puri and Konark within 50 top tourist destinations for the overall development of these sites not only to attract tourists, but also to provide employment and earn foreign exchange for the country.

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के सीमित अवसर हैं।

हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज देश के युवा इनोवेशन प्रतिभाशाली हैं, नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा, हाई लेवल टेकनोलॉजी एवं मैनेजमेंट एजुकेशन के अवसर केवल महानगरों तक ही सीमित हैं। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एनआईडी, और एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएँ बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

1247 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश भी ऐसी ही एक चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के युवा शिक्षा के लिए महानगरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे न केवल उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि उनके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावनाएँ भी सीमित हो जाती हैं। क्या यह उचित है कि देश के हर कोने में प्रतिभा होने के बावजूद केवल कुछ ही शहरों को इन संसाधनों का लाभ मिले?

महोदया, सरकार ने सबके लिए शिक्षा और समावेशी विकास का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएँ छोटे और मझोले शहरों में भी स्थापित की जाएँ। यह केवल शिक्षा का विस्तार ही नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, नए रोजगार के अवसर और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यदि सागर जैसे शहरों में आईआईटी, आईआईएम या एनआईटी जैसे संस्थान स्थापित किए जाते हैं तो यह न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाएगा, बल्कि पूरे राज्य के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। (1250/MY/PS)

माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि छोटे शहरों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। आईआईटी, आईआईएम और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की शाखाएं पिछड़े और मध्यम श्रेणी के शहरों में भी खोली जाएं। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च शिक्षा का आधार मजबूत किया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी ही भूमि पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर प्रदान किये जाएं। यदि ऐसा होता है तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता आएगी, बल्कि देश का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। हम अपने युवाओं को केवल महानगरों तक सीमित रखने के बजाय अपने शहरों में वैश्विक अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसलिए, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में इन संस्थानों में से किसी एक की स्थापना हेतु अवश्य कदम उठाए जाएं। इससे हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हमारा क्षेत्र भी राष्ट्रीय प्रगति में एक समग्र भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। जय हिंद।

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Thank you, hon. Madam Chairperson.

I would like to draw the attention of the House to the need to set up new Kendriya Vidyalaya schools in my Mahbubnagar Parliamentary Constituency in Makthal and Kodangal Assembly segments and Jogulamba-Gadwal district headquarters, which come under the erstwhile Mahbubnagar district in the State of Telangana.

As the House is well aware, Kendriya Vidyalaya schools in the country are catering to the best educational needs of children with quality education in most areas especially for those who hail from backward classes and for those who cannot afford high fees. There is plenty of vacant land available in these areas. Moreover, many Central Government employees are residing in these districts and these schools are essential to cater to their needs.

Therefore, keeping in view the huge demand from the local people, I sincerely request the hon. Minister of Education, through the Chair, to kindly intervene in the matter and do the needful by setting up Kendriya Vidyalaya

schools in Makthal, Kodangal and Gadwal in my Mahbubnagar Parliamentary Constituency and the erstwhile Mahbubnagar district in the State of Telangana.

Thank you, Madam.

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on an important matter of shell companies in India.

Madam, in response to my Unstarred Question No. 183 in this august House, the hon. Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs mentioned that there is no definition of a shell company. A shell company is defined by the US SEC as a registrant that has no or nominal operations, and no assets, or assets consisting solely of cash and cash equivalents. I fully believe that a definition along such lines is also essential in the Indian Company Law.

The introduction of such a definition is essential because there is evidence to show that shell companies can be used for financial crimes. According to a US Government advisory, money-laundering and financial crimes can be committed through shell companies because they are inexpensive to form and operate. In 2016, a leak of 11.5 million documents to newspapers revealed information about 2,14,000 shell companies administered by the law firm Mossack Fonseca in Panama. They were used by politicians, businesspersons, autocrats, and terrorists for the purpose of tax evasion, laundering, and other illegal activities. Madam Chairperson, by defining a shell company in the Indian law, we will be able to protect financial interests and enforce the laws of the land properly.

Finally, through you, I request the hon. Minister to begin the process of amendment for the introduction of the definition of a shell company in law and take such legal action against such companies engaged in illegal activities of tax evasion, money laundering, and hiding assets or cash by individuals.

I thank you Madam for giving me this opportunity to speak.

(1255/CP/SMN)

*SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Thank you, Honourable Chairperson Madam. I am pleased to state that the work regarding the connectivity between Bankura to Howrah through Moshagram has been finished. I will request the

* Original in Bengali

Honourable Railway Minister to grant an Intercity Express that will run through Purulia, Bankura via Moshagram. This will be really beneficial for the people of our constituency. Purulia Express often runs with a delay. Due to this, people have to suffer losses.

Secondly, many Members sit here and talk about their slogan-"Maa, Maati Manush" which pertains to the development of the people of their motherland. But it is certainly ignominious that a woman was dragged to the Trinamool Congress party office in Narayangarh, West Medinipur and was raped. These people come here and speak about working towards the development of the people of their motherland. But in reality, the mothers from West Bengal get raped. I will request to take cognizance of this.

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सभापति महोदया, मुझे बहुत गर्व होता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह भारत में है, वह असम में है और वह मेरे जोरहाट लोक सभा क्षेत्र में माजुली है। यह लगभग 880 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है। ऐसे द्वीप ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं, लेकिन यह द्वीप हमारे यहां ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक मूल्य और आध्यात्मिक शक्ति इसलिए है कि जो हमारे गुरू हैं, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव, इन दोनों महापुरुषों ने वहां पर आध्यात्मिक शक्ति की विभिन्न सत्रों के द्वारा स्थापना की। विशेष रूप से राख के समय, कृष्ण की जो वहां पर राख हम मानते हैं, उस समय बहुत लोग माजुली जाना चाहते हैं। वहां जाने का जो रास्ता है, वह नाव के द्वारा है। इस सरकार ने वहां एक ब्रिज का काम शुरू किया। लगभग 8.25 किलोमीटर के ब्रिज का काम इन्होंने शुरू किया और इस पर लगभग 925 करोड़ रुपये के बजट आबंटन हुआ। यह दु:ख की बात है कि इस ब्रिज का काम पिछले साल के सितम्बर माह से ठप पड़ा है। उसका मात्र 30 प्रतिशत काम हुआ है। वहां कांट्रैक्टर की क्या समस्या है, वह हमें नहीं पता, लेकिन हमें बताया गया था कि कांट्रैक्टर अपना काम नहीं कर रहा है, सब-कांट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रही है और पिछले साल के सितम्बर माह से इसका काम बंद पड़ा है। मैं वहां पर गया। मुझे बताया गया कि जनवरी के महीने में वहां रीटेंडरिंग होगी और नए कांट्रैक्टर को काम सौंप दिया जाएगा। अब हम मार्च के महीने में आ गए है, लेकिन अभी भी न नया कांट्रैक्टर तय हुआ है, न नया टेंडर निकला है और इसके कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट 925 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,250 करोड़ रुपये हो गई है।

मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से यह जानना चाहूंगा कि रीटेंडरिंग का यह प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ी है और कब इसके काम की शुरुआत होगी?

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री दर्शन सिंह चौधरी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री रवीन्द्र शुक्ला जी।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल के अधीन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने की

अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गोरखपुर गोरखनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रधान मंत्री जी द्वारा वहां एम्स दिया गया है, फर्टिलाइजर, खाद का केंद्र है, चार यूनीवर्सिटीज़ हैं। हमारे बच्चे बड़े मेधावी हैं। पूर्वांचल के, बिहार के लगभग बीस जिले अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहते हैं। यहां रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहां एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर व उसके आसपास के क्षेत्र के बच्चे बड़े मेधावी होते हैं और बच्चे पढ़ने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और वे टॉपर्स होते हैं।

(1300/NK/SM)

उसके आसपास अपार संभावनाएं हैं। गोरखपुर में प्रबंधन संस्थान न होने के कारण उन लोगों को अपने परिवार से काफी दूर जाना पड़ता है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं, निषाद समाज का काफी बड़ा समाज है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं। छात्रों को संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है और यह बड़ी दुखद बात है। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाएगा, वे लोग बहुत आगे जाएंगे। छात्र और छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। भारत और पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर एक नज़ीर पेश कर रहा है। वहां बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है जो रोजगार का भी एक माध्यम है। आईआईएम खुल जाने से वहां का चहुमुखी विकास होगा।

राज्य सरकार से जितनी सहायता चाहिए, उसे उपलब्ध कराने के लिए वह तत्पर है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वूर्ण योगदान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity. I rise today with a heavy heart and a serious concern that has been invaded in our very homes, schools, and the future of our country, particularly in my State of Kerala.

Every single day, we wake up with news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified; the teachers are terrified; society is also terrified. What we are witnessing is not merely data, but the helplessness of society, the shattering of family bonds, and the silent erosion of hope.

In the past two months alone, 63 murders have shocked Kerala, with half of these brutal incidents directly linked to substances and drug abuse. These are not isolated numbers. They are the hopeless cries of communities where parents now live in fear of their children, and where teachers, the very nurturers

of our youth, are compelled to watch their students fall prey to a merciless enemy.

Sons are killing mothers. Brothers are killing sisters. Every day, we are witnessing these types of incidents. For the past four years, in Kerala alone, 87,101 drug-related cases were recorded, leading to 93,599 arrests. According to the data uploaded, in 2021, there were 5,695 cases; in 2022, 26,219 cases; in 2023, 30,697 cases; and in 2024, 27,530 cases.

Madam, there is a 300 per cent spike in drug-related cases, and it is both alarming and disturbing. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 allows offenders caught with small quantities to secure bail, offering traffickers a dangerous reprieve and a change to resume their destructive trade. There are no stringent provisions in the law at all. There are models in the world, like Singapore, which effectively control this menace of drugs. The crisis demands a unified and resolute response.

If we watch the films, they are full of violence. They are promoting violence, which attracts our youngsters to that violence. The film industry, telefilm industries, and serial industries must come forward to discourage the glorifying attitude towards these crimes.

Madam, I would like to request the Union Government and all stakeholders, law enforcement, educators, community leaders, and all social workers to join hands in a comprehensive, immediate action plan. We cannot leave our children to face this greatest tragedy. We have a responsibility, as representatives of this country and as Members of Parliament, to address this concern seriously, beyond political lines and any other interests. Thank you.
(1305/MK/RP)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय पर आकर्षित करने वाला हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए जो देहरा, धर्मशाला में बननी है, वर्ष 2009 में इसकी स्वीकृति हुई थी, आज वर्ष 2025 है। 16 वर्ष बीत गए हैं। एक टेम्परारी कैंपस में वह यूनिवर्सिटी चल रही है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस यूनिवर्सिटी के लिए 250 करोड़ रुपये की बजाय 500 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन, राज्य की ओर से जमीन देने में देरी की गई और फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी नहीं दी गई। उसके बाद अगर सीपीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो वहां पर जो चीफ इंजीनियर और एक्सईएन की नियुक्ति होनी

चाहिए थी, वह भी नहीं हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की उसके प्रति जो गंभीरता दिखनी चाहिए, वह भी नजर नहीं आती है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर तुरंत एक बैठक बुलाकर उसको रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा करवाया जाए। अन्यथा, युवाओं का भविष्य, जो एक बेहतर विश्वविद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए था, आज वे एक टेम्पररी कैंपस, जो दस साल से चल रहा है, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं।

महोदया, अभी वेणुगोपाल जी ने जो विषय उठाया है, वह बहुत गंभीर है। ड्रग्स के प्रति एक मुहिम भारत सरकार, राज्य की सरकारें, समाज और हम सभी सांसदों के साथ-साथ विधायकों को भी इकट्ठे मिलकर चलानी चाहिए, ताकि हम ड्रग्स को धरातल से खत्म करें, अपने युवाओं को बचा सकें और भारत का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित और सशक्त हो, ऐसी हमारी कल्पना है।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Dr. Nishikant Dubey	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Tamilselvan Thanga	Shri G. Selvam Dr.T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : सभा की कार्यवाही दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1307 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1410/SJN/NKL)

1412 बजे

लोक सभा चौदह बजकर बारह मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1412 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Construction of all-weather road in Patan Parliamentary Constituency

श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी (पाटण) : मेरे संसदीय क्षेत्र पाटन (गुजरात) के अंतर्गत सिद्धपुर नगरपालिका की सीमा में राजपुर, कोट, आंकवी, मेळोज, लुखासण, मुडाणा, इत्यादि गांवो में लगभग हर वर्ग के लोग वर्षों से एक साथ रहते हैं। उन गांवों के लोगों को बाहर सिद्धपुर शहर और राजमार्ग की ओर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं हैं। इसलिये उनको रेलवे पुल के नीचे बारिश के पानी के नाले का रास्ते के रूप में उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जब बारिश के कारण यह नाला जाम हो जाता है तो इन सभी गांवों के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों तथा प्रसूता बहनों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। गाँवों में लक्जरी बस तो दूर, एक एम्बुलेंस भी बहुत धीमी गति से पहुँच पाती है और ताहेरपुरा के पुल से होकर आवागमन के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। अत: माननीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मेरा अनुरोध हें कि राजपुर तथा अन्य गावों की पक्की सड़क की इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करवा कर अनुग्रहित करें।

(इति)

Re: Pollution caused by power plant, fertilizer and sugar factories in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना के अन्तर्गत 18-12-2024 में भी सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान संसदीय क्षेत्र में स्थित रोजा पावर प्लांट, कृभको फटिलाईजर्स लि०, अवध शुगर एंड एनर्जी लि० और डालमिया भारत शुगर एंड इण्डस्ट्रीज लि० के विरूद्ध निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इन संयंत्रों के द्वारा भारी पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इसके प्रदूषित जल से बड़ी दुर्गंध होने के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण हो रहा है तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अस्थमा, फेफड़े. हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं तथा प्रदूषित पानी से किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के हित में जो श्रम कानून बनाए हैं, उनका भी मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है तथा इन कम्पनियों के द्वारा सी०एस०आर० निधि का भी बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है और कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टाउनशिप) की स्थिति तो यह है कि उसके द्वारा सीएसआर निधि से अनुचित तरीके से सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाया जा रहा है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों के विरूद्ध पर्यावरण को प्रदूषित किए जाने, श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने और सीएसआर निधि का दुरूपयोग किए जाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को विस्तारपूर्वक अनेक पत्र लिखे हैं। लेकिन, इन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से पुन अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) में स्थित उपरोक्त सभी संयंत्रों के विरूद्ध केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर उच्ब स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके जांच करवाई जाने और जांचोपरांत की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Navodaya Vidyalaya in Jalgaon Parliamentary Constituency

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : नवोदय विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विद्यालय न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि संस्कृति, नैतिक मूल्यों, साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। जलगांव जिला, जो देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है, दो लोकसभा क्षेत्रों— जलगांव और रावेर—में विभाजित है। जलगांव लोकसभा क्षेत्र (महाराष्ट्र) में अभी तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। यह इस क्षेत्र के ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी शैक्षिक असमानता है। जलगांव लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। यदि यहां एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाता है, तो यह न केवल क्षेत्र की शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा। अतः मैं केंद्र सरकार से जलगांव लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में शीघ्र ही एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की अपील करती हूँ, जिससे यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Inclusion of eligible farmers in PM-Kisan Samman Nidhi

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए अंतिम तिथि 1 फरवरी 2019 निर्धारित की गई थी। यह भी प्रावधान है कि यदि किसी पात्र किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके उत्तराधिकारी भी योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। 1 फरवरी 2019 की अंतिम तिथि के बाद, कई कृषि भूमियों का विभाजन और खरीद-बिक्री हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई नए किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए अंतिम तिथि में किसी भी बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। अतः, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अंतिम तिथि में परिवर्तन पर विचार किया जाए।

(इति)

Re: Need for comprehensive measures to preserve the existence of river Pahuj flowing through Uttar Pradesh and Madhya Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): The Pahuj River flows through the Indian states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. It has a length of approximately 195 kilometers and passes through the city of Jhansi. The river originates from the hills of Tikamgarh district in Madhya Pradesh, near Jhansi. It merges with the Sindh River in Jalaun district, Uttar Pradesh, which eventually joins the Yamuna River. The river holds religious significance for the local people. However, currently, sewage and wastewater from Jhansi city are being discharged into it. In the upper region of the Pahuj River, water from villages like Simarda flows into it, while in the lower region, water from colonies such as University, Pali Colony, Ayodhyapuri, and Graceland also drains into the river. Due to administrative and developmental shortcomings, unauthorized colonies have been constructed in the river's catchment and submerged areas without approved maps. In the interest of environmental conservation, it is a humble request that the Irrigation Department, Municipal Corporation, District Administration, and relevant authorities take effective measures to prevent encroachment, protect the environment, and preserve the existence of the river.

(ends)

Re: Flight services from Kushinagar Airport, Uttar Pradesh

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : हमारा कुशीनगर लोकसभा देश का अंतिम छोर, नेपाल और बिहार से सटा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण व पर्यटन के दृष्टिगत एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। यहाँ सभी बौद्ध देशो से पर्यटको का आवागमन है, इस कारण से यह एक अंतराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते है। कुशीनगर मे अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हुई, जिससे कि कुशीनगर और आसपास के जिले के निवासियों के साथ साथ दूर से आने जाने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी सुविधा मिलने लगी. परन्तु, शुरुआत से सिर्फ एक ही एयरलाइन्स स्पाइसजेट की फ्लाइट चलती थी. धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वह भी अनियमित होने लगी। अक्सर यह फ्लाइट कैंसिल होने लगी जिसके कारण से यात्रियों के मन मे आशंका उत्पन्न होने लगी। मै माननीय मंत्री ज़ी से आग्रह करता हूँ कि कुशीनगर एयरपोर्ट से अन्य एयरलाइन्स कम्पनी की फ्लाइट की शुरुआत देश के अन्य शहरों लिए करने की कृपा की जाए | इस से कुशीनगर जिले के लोगो को एवं बौद्ध तीर्थ यात्रियों को देश विदेश आने जाने के लिए काफी सुविधा मिल जाएगी।

(इति)

Re: Need to ensure protection of environment affected due to indiscriminate construction in Rajsamand Parliamentary Constituency

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास के निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं परन्तु इनमें से कुछ विकास कार्यों में पर्यावरण की अनदेखी भी हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द के कुम्भलगढ में टाइगर सफारी प्रस्तावित है जिसके कारण सैकड़ी वर्षों से स्थानीय निवासियों के सामने अपने आवास और आजीविका दोनों का संकट पैदा हो गया है जबकि इस इलाके में कभी भी टाइगर का निवास रहा ही नहीं। यहाँ पर खनन काफी होता है और कुछ लोग अवैध खनन भी कर रहे हैं। इस कारण से न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है बल्कि अत्यधिक ब्लास्टिंग और खनन से धूल मिटटी के कारण लोगों के आवास, स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है जिसको नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उदयपुर, नाथद्वारा व कुम्भलगढ व माउन्टआबू में पर्यटन विस्तार के नाम पर जंगलो को खत्म किया जा रहा है जिससे पर्यावरण पर गहरा असर हो रहा है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र व उसके आसपास के इलाकों में पर्यावरण सन्तुलन के साथ विकास कार्यों को सुनिश्चित किये जाने के हर संभव प्रयास किये जायें।

(इति)

Re: Increase in import of Soyabean oil from Nepal

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Although Nepal remains only marginal producer of soyabean oil, there has been unprecedented import from Nepal between April 2024 to November 2024, while the total import surged to 19% during the same period. It is a matter of grave concern for the country. China is biggest exporter of Soyabean oil but it does not directly export to India. It might be through Nepal route. The Government raised basic custom duty on refined palm, soya & sunflower oil from 13.75% to 20% in September 2024 to protect interest of Indian oil seed farmers which could be one of the reasons why its import skyrocketed in November 2023. This could be a result of the possible flouting of rules of origins by Nepal and zero duty structure it enjoys due to Nepal-India Treaty of Trade 2009. It is noteworthy that Nepal is a low edible oil consuming country & refined industries there have flourished only due to undue benefit of FTA duty structure. The Government needs to intervene immediately and initiate appropriate action.

(ends)

Re: Need to grant the status of Scheduled Tribe to the Kalanga Community of Odisha

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान ओडिशा के कलंगा समुदाय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह समुदाय ओडिशा में लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में यह समुदाय पहले से ही ST सूची में शामिल है। कलंगा समुदाय मुख्यतः वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है, जो समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों में से एक है। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा न होने के कारण ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे शिक्षा में आरक्षण, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि ओडिशा में कलंगा समुदाय को अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन कर ST सूची में शामिल किया जाए ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need to establish Mega Food Park and Integrated Cold Chain alongwith Value Addition Infrastructure in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र मिश्रिख कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। कृषि ही मुख्य रूप से मेरे क्षेत्र की जनता का जीवन- यापन एवं अर्थोपार्जन का मुख्य साधन है। रवी-खरीफ सहित वार्षिक फसलों के सभी चक्रों के अन्न, सब्जी एवं फलों का उत्पादन मेरे संसदीय क्षेत्र के बहुतायत किसानों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के किसान बंधुओ के लिए उत्पादित सभी स्तर के उत्पादन को संरक्षित करने, आधुनिक भंडारण की व्यवस्था करने, खेत खलिहान से लेकर अच्छे एवं लाभकारी विपणन की व्यवस्था प्रदान करने की जरूरत है, इसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के तहत मेगा फूड पार्क एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन परिक्षण अवसंरचना स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को जनहित में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर मिल सके तथा उनकी आय को दोगुना किया जा सके। अतः माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत अपने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत मेगा फूड पार्क एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन परिरक्षण अवसंरचना स्थापित करायी जाये।

(इति)

Re: Need to provide stoppage to various trains at Ramannapet Railway Station in Telangana

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): There is dire need to provide halt for trains at Ramannapet Railway Station for 6 trains viz 12733/12734-NARAYANADRI EXPRESS from TIRUPATI to LINGAMPALL (UP-DOWN); 12703/12704-FALAKNUMA EXPRESS from SECUNDERABAD to HOWRAH (UP-DOWN); 67775/67776-KACHEGUDA MIRYALAGUDA DEMU from KACHEGUDA to MIRYALAGUDA (LOCAL UP-DOWN); 12604/12603-CHENNAI EXPRESS from SECUNDERABAD to CHENNAI (UP-DOWN); 17230/17229-SHABARI EXPRESS from SECUNDERABAD to TRIVENDRUM (UP-DOWN); 17625/17626-DELTA EXPRESS from KACHIGUDA to REPALLE (UP-DOWN) passing through it which comes under South Central Railway located in Yadadri-Bhuvanagiri District, Telangana State which falls in my Bhongir Parliamentary Constituency. Ramannapet Mandal (HQ) is having more than 50,000 population and Ramannapet town is situated nearby Lord Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple which attracts devotees and is having Govt. Degree College, Community Health Centre, Sub court and all other Public Services departments and many people Commute daily to Hyderabad City for Job, Education, Medical Treatment, and other small business activities and they are unable to afford Hyderabad City Rents and Cost of Living. There is no Direct Connectivity of Road Transport from Ramannapet to Hyderabad. Since Covid-19 Pandemic situation, halt of said trains discontinued and local people are facing lot of problems in the absence of above said train halts. I request Hon'ble Minister of Railways, to kindly intervene in the matter to solve this issue. (ends)

Re: Need for construction of permanent buildings for functioning of dispensaries in Mavelikkara Parliamentary Constituency

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to draw the attention of the Government to the urgent need for own land and permanent buildings for several ESI dispensaries in the Mavelikkara Lok Sabha Constituency. In Kollam district, the ESI dispensaries at Mylom, Sooranad, and Pattazhy operate from rented premises, facing infrastructure constraints that affect service delivery. Similarly, in Kottayam district, dispensaries at Changanassery and Sachivothamapuram lack dedicated buildings, impacting healthcare accessibility for insured workers. In Alappuzha district, dispensaries at Chengannur, Karimulakkal, Mannar, Mavelikkara, and Palamel continue to function from inadequate rented spaces, hampering efficiency and quality of care. The absence of permanent infrastructure not only affects the smooth functioning of these healthcare facilities but also limits their expansion and modernization. The insured workers and their families, who depend on these dispensaries for essential medical care, are deprived of quality healthcare services due to the lack of proper infrastructure. I urge the Government and the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) to take immediate steps to identify suitable land and construct permanent buildings for these dispensaries at the earliest, ensuring better healthcare services for the working population of these regions.

(ends)

Re: Need to develop an Airport at Basanth Nagar in Peddapalli, Telangana under UDAN Scheme

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): I rise to highlight the long-pending demand for developing an airport at Basanth nagar in Peddapalli, Telangana. Despite earlier proposals, including site visits by the Airport Authority of India (AAI) in 2019 and 2020, no progress has been made. The airstrip, spread over 288 acres, requires 350 more acres for full-fledged airport development. The recent announcement on new airports in Warangal, Ramagundam, and Kothagudem has revived public hopes. However, Basanth Nagar was excluded from last year’s list of 152 airports under the Union Budget. I urge the Government to reassess Basanth nagar’s feasibility under the UDAN scheme to boost regional connectivity; utilize 291 acres of available government land; and include Basanth Nagar in Telangana’s airport expansion plans to boost trade, tourism, and industrial growth. An airport in Peddapalli will unlock economic potential and enhance regional development.

(ends)

Re: Need to construct a dam on river Koraiyar to address the water scarcity in Tirunelveli Parliamentary Constituency

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Koraiyar River is a minor tributary of Tamirabarani River. It has two arms namely Vadakku Koraiyar and Therkku Koraiyar originating at an altitude of about +951m and they join together in plains and crosses the North Kodaimelazhagian channel at L.S 3.20 km, syphoning the channel and joins with the Tamirabarani River. It has a catchment area of 20.83 Sq.Km (8.04Sq.mile) completely in hilly areas and irrigates only one tank namely Singamperumalkulam in Vickramasingapuram village having an area of 46.22 acres and then it confluences with Tamiraparani River. After feeding the tank, the water thereof is wasted into sea during flood or surplus amount of water during rainy season through the river. Moreover, some areas located adjacent to Thamirabarani basin are prone to drought. The only possibility to meet the water demand of the areas is to store the flood water of Koraiyar and supply to these areas. Hence, I call upon the Union Government to construct a dam with a capacity of 1523.00 Mcft with an annual storage of 1769.00 Mcft along with the Construction of high level canal sluice to feed Manur, Pallamadai and other tanks.

(ends)

Re: Need to address the problems being faced by ASHA Workers in Kerala and other parts of the country

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to the plight of Accredited Social Health Activists (ASHA) workers, who form the backbone of India's rural healthcare system. ASHA workers have played an instrumental role in improving maternal and child health, increasing immunisation rates, and raising awareness about nutrition and sanitation. Their contributions were especially crucial during the COVID-19 pandemic when they played a frontline role in the healthcare response. Despite being overburdened with responsibilities and working 12 to 14 hours/day, ASHAs are still classified as volunteers and receive meagre honorariums and incentives, which are often delayed, leaving them and their families struggling financially. In Kerala, for instance, ASHAs earn only ₹7,000/month. Over the years, ASHAs have staged nationwide protests, demanding official employee status, payment of arrears, better working conditions, retirement benefits, and access to mental and social security services. These ongoing protests highlight the systemic undervaluation of community health workers in India. I, therefore, urge the Minister to take immediate action, in coordination with state Governments, to address the concerns of ASHA workers. This includes increasing their monthly incentives and honorariums, clearing all pending dues, and officially recognising them as formal healthcare workers. Additionally, a social security and retirement benefits framework must be devised for long-serving ASHAs. (ends)

Re: Need to include Etah as a tourist destination in the list of 50 tourist destinations to be developed through 'challenge mode'

श्री देवेश शाक्य (एटा) : रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन देशभर के प्रमुख 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र एटा, कासगंज में दो बड़ी महान विभूतियों की जन्म स्थली है। पहले अमीर खुसरो और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास दोनों ही गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक हैं। एक ने सूफी प्रेम तो दूसरे ने भक्ति की धारा बहाई। दोनों ने सामाजिक समरसता, प्रेमभक्ति और लोक भाषा को अपनाकर अपने योग को नई दिशा दी। इनकी रचनाएँ आज भी भारत की संस्कृति, एकता और धार्मिक सद्भावना को जीवित बनाए हुए हैं तथा पास में ही एक जगह अंतरजी खेड़ा और सेंकिसा है जो कि बौद्ध विरासत के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। अत: मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र को प्रमुख 50 पर्यटन स्थलों में शामिल करके विकसित कराया जाए।

(इति)

Re: Four-laning of Tanda-Banda National Highway

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : टाण्डा-बांदा नेशनल हाईवे 232 जिला अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर एवं बांदा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है उक्त मार्ग जिला अम्बेडकरनगर एवं सुल्तानपुर को पूर्वांचल एक्सपेस वे से भी जोड़ता है परन्तु उक्त मार्ग अति जर्जर हो गया है तथा चौड़ाई भी कम है जिसके कारण आम जनता को आने जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि जनहित के लोक महत्व को देखते हुए सरकार से मांग है कि उक्त मार्ग को फोर लेन का बनाया जाय।

(इति)

Re: Need to increase the family income ceiling to Rs. 8 lakh for Pre-Matric and Post-Matric scholarships of SC, ST and OBC Students

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I rise to bring to the attention of this House the urgent need to address the disparity in educational opportunities for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), and Other Backward Class (OBC) students. Currently, the annual family income ceiling for post-matric and pre-matric scholarships for these students is ₹2.5 lakh. In comparison, the income ceiling for the Economically Weaker Section (EWS) and schemes such as the National Overseas Scholarship and Top-Class Education Scheme has been revised to ₹8 lakh. According to the All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-21, the Gross Enrolment Ratio (GER) for SC students stands at 23.1%, and for ST students at 18.9%, significantly below the national average of 27.3%. This disparity highlights the need for interventions to ensure equitable access to higher education for disadvantaged communities. The Government of Tamil Nadu has written to the Prime Minister in December 2024 urging the Union Government to raise the income ceiling for SC, ST, and OBC students' Pre-matric and Post-matric scholarships to ₹8 lakh, similar to that of the EWS students and facilitate greater educational inclusion for marginalized communities. I request the Government to act promptly on this proposal.

(ends)

Re: Need to establish Vishram Kendras (Resting Centres) near the Government hospitals for benefit of patients and their attendants

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): I rise today to bring to attention of this esteemed House an issue that deeply affects countless families across our nation. Between 1995 and 2014, India's annual hospitalization rate has more than doubled, increasing from 16.6 to 37.0 per 1,000 individuals. This sharp rise underscores not just the need for better healthcare facilities but also for dignified support systems for those who stand by their ailing loved ones. Anyone who has visited a Government hospital knows the distressing sight—worried family members sleeping on cold floors, spending days and nights without basic amenities, their suffering often overlooked. Moved by this reality, I took the initiative to allocate my MPLADS funds to establish Vishram Kendra in my Parliamentary constituency, Anantapur, right next to Government hospital. These centres will provide patients and their attendants a safe, comfortable place to rest, ensuring they do not have to endure further hardship while caring for their loved ones. A small step like this can make a world of difference to thousands of struggling families across India. Let us work together to build a more humane and patient-centric healthcare system. Hence, I urge the Union Government to consider establishing Vishram Kendras near the Government hospitals in the country.

(ends)

Re: Scarcity of drinking water in Sikar Parliamentary Constituency

श्री अमरा राम (सीकर) : सीकर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पेयजल की भयंकर समस्या का सामना कर रहे है। देश की सरकार द्वारा हर घर नल से जल पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन योजना 2019 से लागू की जा रही है यहां मेरे क्षेत्र की 80% जनता टैंकरों से पानी खरीद कर अपने एवं अपने पशुओं की प्यास बुझा रही है और उस में भी फ्लोराइड ओर टीडीएस अधिक मात्रा के कारण अनेक बीमारियों की शिकार हो रही है। सीकर एवं झुंझुनू जिले की पेयजल योजना 7900 करोड़ रुपए की है लेकिन अभी तक केवल घोषणा ही है।इसका कार्य अतिशीघ्र शुरू करके प्यासी जनता को पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। आजादी के 8 दशक बाद भी शेखावाटी की जनता प्यासी है जिसने देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा शहादत देने वाला अग्रणी इलाका है।

(इति)

Re: Need to bring legislation to ensure a person belonging to SC/ST Category in one State is recognized as SC/ST across the States in the country

DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): The Union Government takes pride in promoting policies like One Nation, One Ration Card and One Nation, One Election. If uniformity in these areas is considered essential, then the same principle may also be implemented in caste certification. Caste is a national phenomenon, deeply entrenched not only in Hindu society but also among Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and others. A Scheduled Caste (SC) person in one part of the country is also recognized as SC elsewhere. Caste transcends both religious and geographical boundaries. Therefore, the Government must amend the Constitution, ensuring that individuals belonging to the SC/ST categories in one state are recognized as SC/ST across the country. This would allow them to benefit from reservations in education and employment nationwide, not for political reservations. Currently, SC/ST individuals face discrimination in accessing reservation benefits after migrating to another state, even when their caste is listed as SC in both states. To address this injustice, a caste certificate valid across India must be issued to them. when an SC/ST person applies for a job in a different state's state services, they are denied reservation benefits. However, the same person can avail these benefits when applying for central services. This dichotomy must end.

(ends)

Re: Need to revise the salary of employees of Government Polytechnic Institute, Daman as per the recommendations of 7th Pay Commission

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मै आपका ध्यान दमन में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के गैर कार्यान्वयन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2016 से पूरे देश में लागु की गयीं थीं, जिससे देश मै काम करने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिल रहा है। हालांकि मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि दमन स्थित Government Polytechnic Institute में काम करने वाले 53 कर्मचारियों को अब तक, आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन नहीं मिल रहा है। AICTE ओर गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के बावजूद युटी प्रशासक ने इन शिक्षकों की फाइल approve नहीं करी है। जिसके चलते इन्हे मजबूरन CAT (Central Administrative Tribunal) के दरवाज़े खटखटाने पड़े हैं। यह अत्यंत खेदजनक है कि जब पूरे देश में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, इन कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन से 9 सालों तक वंचित रखा गया है। मै सरकार से मांग करता हूँ कि इन सभी कर्मचारियों को 2016 से अब तक के arrears अथवा ब्याज समेत संशोधित वेतन तत्काल प्रभाव से दिया जाये।

(इति)

Re: Need for establishment of Sustainable Aviation Fuel (SAF) development hubs in the country

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I rise to bring attention to concerning trends in airfare increases, India has recorded the second-highest increase in domestic airfares in the Asia-Pacific region, climbing by 43% in the first half of 2024. This alarming surge, compounded by increased aviation turbine fuel (ATF) prices and capacity constraints, is making air travel unfeasible for travellers from lower-income strata, hindering connectivity and economic opportunities. While India has made admirable strides in Sustainable Aviation Fuel (SAF) development, including partnerships with CSIR-IIP and Airbus, the International Air Transport Association (IATA) has expressed disappointment at the slow growth of SAF production globally. India has the potential to produce 8–10 million tons of SAF annually by 2040, reducing emissions and dependence on imported fuel. Localising initiatives through Make in India by utilising agricultural residue and municipal waste can create jobs, lower airline fuel costs, and make airfares more affordable. I humbly urge the Ministry of Civil Aviation and the Ministry of Petroleum to prioritise the establishment of region-specific SAF production hubs in collaboration with local stakeholders and enhance incentives for small-scale feedstock suppliers to strengthen the supply chain. These measures will expand SAF production and reduce dependency on imports, lower operational costs for airlines, and make air travel more affordable.

(ends)

Re: Need to upgrade the State Highway No. 69 from Kumta to Tadas in Karnataka to the National Highway

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): I urge the Hon'ble Minister of Road, Transport and Highways for upgradation of the State Highway – 69, Kumta -Tadas (78.80 KM to 133.80KM) which is very important road of my Uttar Kannada Parliamentary Constituency. This road is life line connectivity between Uttara Kannada Dist and Haveri Dist. The road connects two National Highways 766 E at Bisalakoppa in Sirasi Taluk and ends at NH - 48 at Tadas cross. This road is major connectivity between Coastal Karnataka and North Karnataka. All farm produces from Sirasi, Mundagod, Tadas, Kumata are transported to Hubli commercial capital through this road only. Hence, I request the hon'ble Minister to upgrade the State highway No. 69 from Kumta to Tadas to National Highway.

(ends)

Re: Need to establish a Central Tribal University in Southern Rajasthan

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : दक्षिण राजस्थान का अधिकांश भाग राष्ट्रपति जी की अधिसूचना दिनांक 18 मई, 2018 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के अधीन आता है। यह क्षेत्र गुजरात व मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सटा हुआ है। तीनों राज्यों के इन क्षेत्रों में लगभग डेढ करोड़ से अधिक जनजातीय जनसंख्या है। देश में अमरकंटक (मध्यप्रदेश), विजयनगरम (आंध्रप्रदेश) एवं मुलुगु (तेलंगाना) में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए है। इनमें से दो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों (विजयनगरम एवं मुलुगु) की स्थापना माननीय मोदी जी की सरकार में की गई है। उक्त तीनों जनजातीय विश्वविद्यालय दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र से 1000-1500 किमी दूरी पर स्थित है। निवेदन है कि राजस्थान के मेवाड वागड़ क्षेत्र सहित तीन राज्यों के मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्र के युवाओ की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व वैश्विक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दक्षिण राजस्थान में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता है।

(इति)

Re: Need to withdraw levying of Parking entry and exit fees on vehicles for dropping and picking up passengers in Airports

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): I wish to draw the attention of the House towards an issue faced by passengers at airports across the country. It has been observed that airport authorities are levying parking entry and exit fees on vehicles dropping or picking up passengers. This practice is causing undue financial burden on the public. The matter is further concerning as it has been indicated that all charges, including parking-related costs, are already accounted for in the air ticket fare under the User Development Fee (UDF). Charging separate fees for vehicle entry and exit appears to be duplication, which is unfair to passengers and their families. I urge the Union Government to investigate the matter and direct the Airport Authority of India (AAI) and private airport operators to immediately discontinue this practice. There is a need for strict regulations to ensure transparency and to prevent double charging, thereby safeguarding the interests of the public.

(ends)

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

1412 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 19, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024.

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, with your permission, I rise to move:

> "That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Madam, in the year 2014, when the hon. Prime Minister assumed responsibility, between then and now, we have moved from being the 11th or the 10th largest economy in the world to being the fifth largest economy. We are, very shortly, going to be the fourth-largest economy, and if the assessment of the International Monetary Fund is to be believed, we will be the third-largest economy by 2027. The economic growth and the size of GDP, as my friends on all sides of the House will agree, are heavily dependent on the utilisation of energy. In fact, when you look at any economy and its energy consumption, a reasonably good indicator of economic performance comes from the utilisation of energy. Today, we are currently consuming 5.5 million barrels of crude oil in a day.

(1415/VR/SPS)

When I had the privilege of being associated with this Ministry three and a half years ago, we were consuming five million barrels of crude oil in a day. If we continue to grow at 6.5 to seven per cent rate of growth, it is only a matter of time that we will be consuming about six and a half or seven million barrels of crude oil in a day. Our journey to become a Viksit Bharat by 2047 or to become a US $ 30 to 40 trillion economy by 2040 or thereabout, we will require large amounts of energy in all forms.

Today, we are in the happy situation of saying that out of the 3.5 million square kilometre of sedimentary basin that we have, one million square kilometres of that was a no-go area. In other words, no prospecting could be done there. As a result, our import dependence both in terms of crude oil and natural gas was on the rise. Today, I am very happy to share with this House

that 76 per cent of all the prospecting and exploration that is being done in our sedimentary basin is being done in areas which have been freed up after 2014.

In fact, in our trade, we often call the years between 2006 and 2016 the 'dull decade' as very little work was done. Oil and gas sector is heavily capital-intensive sector, which has long gestation period and any decision that you take today or the Government of the day takes today will begin to show results only five or even seven years later. I am very happy to inform the House what measures the Government has undertaken in this regard, and I shall list a few of them.

In 2016, we moved from production sharing arrangements to revenue sharing arrangements. In 2014, out of the 3.5 million square kilometre of sedimentary basin, the area exploited was only six per cent. We have to take that to 15 per cent. In spite of our efforts, we have only been able to raise it from six per cent to 10 per cent. But that is a major jump. Therefore, in the time to come, we will have to do more and that is the starting point of my presentation on why this piece of legislation passed by the Rajya Sabha is coming before this august House today.

India's hydrocarbon resource potential is immense. We have something like 42 billion tonnes of oil and oil equivalent of gas which remains to be tapped. This is by any yardstick a very resource rich Bharat. But prospecting and looking for oil and gas is an expensive business. Any well, which is dug on shore costs something like three to four million dollars per well, which under today's exchange rate come to Rs.33 to 35 crore. If the drilling is offshore, the cost is even higher. It comes to 100 million dollars.

Now, all the resources that we have at our disposal – the private sector, the State, oil marketing companies and the Government – we do not have resources in the exploration and production sector. Let me give you the case of Guyana. They dug 16 wells and they did not find oil and gas. It is not that in 17th well they found or they struck gold as it were. I am very confident that with the efforts that we are making now and with the ecosystem which will come into being as a result of the legislation, which is before this august House today, we will find many Guyanas in the Andaman Sea. Our requirements are not only for our domestic consumption, we are also a producer. We are not only an importer but also an exporter. India is today occupying a very important place in the global

energy market on all fronts. We moved in 2016 from a production sharing to a revenue sharing agreement.

In 2018, the Government reformed policies to promote coal bed, methane and enhanced oil and gas recovery methods.

(1420/SNT/KDS)

We also allowed CBM operations by coal miners. In 2022, we opened up 99 per cent of the no-go areas. As I mentioned, out of the 3.5 million square kilometres, one million square kilometres of area, which was a no-go area, has been opened up.

Madam, I am very happy to inform this House, through you, that when we had the 9th round of open acreage licensing policy, 38 per cent of the bids, which were received, were part of this one million square kilometres of no-go area.

The exploration and production (E&P) industry is blind without seismic data. To reduce the fear of investment becoming a sunk cost on account of no prospective discovery, we gave impetus to the acquisition of quality geological and geoscientific data by launching various programmes such as the National Seismic Programme, Airborne Gravity and Geomagnetic Survey, Exclusive Economic Zone Survey, setting up of the National Data Repository and Hydrocarbon Resources. I am very happy to inform you that the Government has approved the acquisition of additional 2D seismic data of 20,000 LKM on land and 30,000 LKM in offshore. There are various other activities which we have undertaken to make the Indian market and Indian exploration space more attractive. I am confident that companies like Exxon, BP, Chevron, Total, and E&I, which have left India, are not only showing interest in coming back; many of them have already started partnering with our OMCs, as in the rejuvenation of the Bombay High seismic survey by a Brazilian company, Petrobras, with Oil India in the Andaman Sea and so on and so forth.

We have already increased the explored area, as I mentioned, from six per cent to 10 per cent of the sedimentary basin, but we are very confident that with the steps in hand, we will take it to 15 per cent of the sedimentary basin. In addition, the Bombay High basin through exploratory efforts has more than doubled between 2014-24 as compared to 2004-14. We are also re-engaging with international oil and gas giants to fully help us and jointly explore our E&P. We have successfully awarded 144 blocks to a competitive bidding process

covering 2.5 lakh square kilometres and secured a commitment investment of USD 3.37 billion under OALP from rounds one to eight. Of these, 131 blocks are under active exploration, and some discoveries have been made.

Madam, I will fast forward. Why are we bringing this Bill? It is for a number of reasons. We used to have an original law which was enacted in 1948. It was a common law to cover both mining, quarrying, and petroleum leases or mineral oil. Then in 1957, a separate law for the mines and mineral sector was enacted, namely the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. While the parent legislation was rechristened the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948, all the terminologies within the Act continue to remain the same, and we are seeking to change that today. We are also introducing a single permit system for all types of mineral oil exploration, be it exploration, development, or production of conventional oil and gas or unconventional hydrocarbons like shale gas, shale oil, tight oil, or tight gas.

The Bill also seeks to clarify the meaning of the term mineral oils, particularly in its modern context, so as to promote exploration and production of new fuel options like shale gas, shale oil, coal bed methane, natural gas, and gas hydrates. The Bill also seeks to facilitate the development of comprehensive energy projects and new technologies such as Carbon Capture Utilization and Sequestration (CCUS), green hydrogen, etc., all of which will help us achieve net zero status by 2070. The Bill proposes a new framework for sharing of resources and infrastructure between different operators to improve the viability of oil blocks. The Oil Bill also aims to resolve one of the biggest grievances of global oil companies interested in investing in India by providing stability in operations, both in terms of tenure of the lease and conditions. It is my firm belief, based on my experience for the last three and a half years, that stability and predictability for a foreign investor, where large amounts of investment are required in the infrastructure sector, are absolutely crucial, and this Bill seeks to do that.

(1425/AK/RAJ)

We also propose to substitute an acrimonious mode of dispute resolution with fast and efficient alternate dispute resolution mechanisms which will ensure disputes can be resolved in a timely, fair and cost-effective manner. There were also some punitive provisions such as a fine of Rs. 1,000, which made the

provisions almost meaningless. We are substituting that by Rs. 25 lakh and up to Rs. 10 lakh per day for continuing infraction. In summary, the Bill will add to “Ease of doing business” and make India an attractive destination.

Madam, I want to conclude by a brief outlining to say what the Bill does not do and will not do because I know that many of my dear friends and Members in the Opposition will take the floor. The Bill does not alter the rights of States. For on-land areas, the States will continue to give petroleum leases and receive royalties as before. This is the situation now and that is the situation, which will continue. The Bill does not alter the existing level-playing field, and it offers no preference to either private or public sector. In fact, I heard some comments originally, but when I spoke in the Rajya Sabha when the Bill was passed there, I think that point has not been repeated because it is amply clear within the text of the legislation and otherwise.

Removal of criminal punishment would encourage infractions. This is a civil and commercial legislation. Criminal matters will continue to be tried under the relevant criminal laws, and to deter infractions we have increased the penalties and provided for their expeditious adjudication.

The Bill grants no exemption from the need for compliance with environmental standards. Additionally, our contracts mandate it and also provide for site restoration. The Bill also provides for decarbonisation and development of comprehensive energy projects.

In so far as the fate of existing contracts is concerned, the existing leases and licences will continue to be valid for their respective tenure subject to terms and conditions governing the grant of such leases and licences as provided in the savings clause of the Bill.

I hope that this will reassure my colleagues from different parts of the House that there is no change in the rights of the States. They will continue to enjoy these rights and there is no attempt or even thinking of curtailing those rights.

Madam, with these words, I will conclude my presentation. I look forward to the participation of my colleagues in the House. It would be a privilege and honour for me to respond to those observations. I thank you, Madam.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Motion moved:

> “That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

1428 hours

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Thank you very much, Madam Chairperson. I rise to speak on the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024.

Before I commence my submissions, on a lighter note, I would like to say that it was good to hear the reply to the Bill even before the discussion had commenced. Therefore, this seems to be a new precedent in the House that even before a discussion on the Bill commences, you have the Minister pre-empting and trying to offer justifications, which he could have very much offered at the end of this discussion.

Now, from the Statement of Objects and Reasons of this Bill, with your permission, Madam Chairperson, I would like to read out a line or two. It says in para two that: “The said Act, which provides for a very different global energy context …”. Therefore, the rationale for amending this Bill, according to the Statement of Objects and Reasons is that the global context has changed.

I do not think that anybody can have a quabble with it because the global context changes on an everyday basis, especially when you have mercurial people in office in some parts of the world. However, I would like to point out that India's quest for energy security and India's path towards facing and confronting these challenges has been a continuum now going back almost five decades.

India weathered the first oil shock in 1973 when overnight from $3 a barrel, the price of crude oil rose to $12 a barrel.

(1430/GM/SK)

India weathered the second oil shock when the Iranian revolution took place, when there was again a spike in the price of oil. India weathered a third oil shock in 1991, when the first Gulf War commenced. I would, therefore, very humbly like to point out to my colleagues on the Treasury Benches that history did not start in 2014.

History started much earlier. I think there is a need to be cognizant if you want to rise above partisan politics and really make this into a discussion about India's energy security rather than a “he said, she said” point scoring, which unfortunately is what commenced this debate. What is the global context today, Madam Chairperson? The global context today is that you have an ongoing conflict between Russia and Ukraine. You have a conflict between Israel,

Hamas, Houthis, Hezbollah, and by extension, certain other sovereign western hemisphere states. Then you have the continuing rise of China since 2013, which has not been a too peaceful rise and it has implications both for India's national security and by extension, energy security, which is a subset of that larger, overarching, constructive national security. Therefore, our vulnerabilities remain.

The three choke points, which actually are the Achilles heel of the global energy trade, the Straits of Bab-el-Mandab, the Straits of Hormuz, and the Straits of Malacca, still continue to be the existential dilemma for all energy importing and energy consuming countries. Unfortunately, and this is not to apportion blame on anybody, but globally also and through collective efforts, we have not really been able to find a solution, a reasonable, sustainable solution to these existential security dilemmas, which have an impact on the largest energy consuming nations in Asia, be it India, be it China, be it South Korea, or be it Japan. That continues to be a continuous Achilles heel.

Of course, we have had some windfalls over the last couple of years. The Russia-Ukraine war, in a certain sense of the word, was a crude oil windfall for India and not only for India, for China, for Turkey, for various countries, even in the European Union, which while supporting the sanctions against Russia, actually round-tripped their energy needs. Therefore, it is very interesting that India's oil imports from Russia in 2021 were 4.54 million tons and in 2023, it increased to 88.92 million tons. We bought crude oil worth USD 49 billion from Russia. I am not saying that there is anything wrong with it. Every country acts in its own best national interest and therefore, if we were getting access to cheaper crude oil and we availed of that opportunity, I am not going to have a quibble with the Government on that. All that I am going to point out is that these windfalls do not happen every day and we need to be prepared. We need to be future-ready, which unfortunately we are not. I will point out as to what the factual situation is, despite the claims which the hon. Minister has made.

(1435/SRG/KN)

In the year 2014-15, our production of crude and natural gas was 37.461 million metric tonnes. Our import in 2014-15 was 189.432 million metric tonnes of crude oil. The average price of crude was about USD 84.20 per barrel.

In 2023-24, our crude oil production has actually declined to 29.4 million metric tonnes. Our crude oil import has actually risen to 243.3 million metric tonnes. The average price of the Indian basket of crude oil as on the 10th of March 2025, stands at USD 70.65 to a barrel, which is almost about USD 10 less than what it was. … (*Interruptions*) Madam, you will have to give me some time because this is an important subject connected with India's energy security. There are not many people in this House. Therefore, under these circumstances, allow me to complete. I will need about seven to ten minutes more. I request your indulgence. The average price was about almost USD 9 or USD 10 less than what it was in 2014. The unfortunate situation today is that in the year 2023-24, we imported 87.8 per cent of our crude oil and natural gas needs. The figure could be almost as high as 90 per cent today. It raises a very legitimate question as to what really has this Government been doing over the past 10 years in attempting to bring down this import dependency on oil and natural gas.

Let me come to Mumbai High. The Mumbai High crude oil and natural gas oil field, at its peak, was producing 4,76,000 barrels per day. What is its production now? It is 1,34,000 barrels per day. Notwithstanding the collaboration with Chevron, with ExxonMobil and the large oil majors which Mr. Hardeep Puri referred to in his introduction to the Bill, the fact is that the Mumbai High collaboration has not boosted oil production. … (*Interruptions*) Minister, you will get a chance to reply. We never interrupted you, heard you very peacefully. So, when you get a chance to reply, we will be here to hear you.

Similar is the case with shale oil and gas. According to estimates, there is 96 trillion cubic feet of gas and one billion barrel of shale oil in Cambay, Krishna-Godavari and the Kaveri Basin. What has the Government done in the past 10 years to tap the potential of shale oil? Why is there no explanation for what has been done over the past 10 years? This Bill is not coming as if this Government was sworn in yesterday. This Government has been in office for 11 years now. So, I would like to ask what has this Government done with regard to trying to explore shale oil and gas, which incidentally has made America almost self-sufficient insofar as their oil and gas needs are concerned?

The hon. Minister, Mr. Pralhad Joshi, to whom I had the honour of asking a question in the morning, which he chose to duck, but well, that's his prerogative, had said that 100 million tonnes of coal gasification and liquefaction would be achieved by 2030 by investing Rs. 4 lakh crore. I would like to ask, where we are

in 2025. You have a target for 2030. Where are we with regard to coal gasification and liquefaction? How much of this target has really been achieved?
(1440/RCP/VB)

So, what you require in addition to a law is actually a roadmap to make India energy sufficient, which unfortunately is completely missing. I would like to end by making just two or three suggestions. There is a need to think out of the box. The Minister was absolutely correct. Oil exploration and gas exploration cost a lot of money. That money unfortunately is not readily available in the amounts and volumes that it is required. I am not suggesting that you go back to the wildcatting days of the Wild West. But what is the Government planning to do to encourage independent oil explorers? After all, there is a whole community around the world of independent oil explorers. Does your Bill have anything that incentivises these independent oil explorers in addition to of course the oil majors whom you are wanting that they come in? If they do, that would be more than welcome.

Similarly, there is an International Energy Forum in Riyadh. The Minister is aware of it given his long years in India's diplomatic service. That forum was essentially created to facilitate a consumer-producer dialogue. How much of a role is India proactively playing in this forum in order to ensure that there is a dialogue between consumers and producers, especially given the fact that we import 90 per cent or 87.8 per cent of our oil needs as of 2023-24? Therefore, the reality is this. The Indian economy even today is hydrocarbon dependent. Out of that hydrocarbon dependency, 55 per cent of it is still coal. It is not even oil and gas.

Therefore, I would like to request the Government that you need to come out with a proper strategy which takes into account hydrocarbons, intermediates and renewables in a holistic manner so that you have a roadmap to energy self-sufficiency by 2050 or by 2060. Insofar as your Bill is concerned, Mr. Minister, it makes minor changes here and there. It is more of a technical Bill. What is really missing is a vision. What is really missing is a roadmap. As I started by saying, you are not a Government which was sworn in yesterday. You are a Government which is 11 years old. You need to account for what have you done over the past 11 years.

Thank you.

(ends)

1443 hours

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): Thank you, Madam Chairperson. I stand here for supporting the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 which was tabled by hon. Minister Shri Hardeep Singh Puri ji under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji.

I belong to an oil and natural gas producing State of our beloved motherland. You all know that the first refinery, or you can say Asia's first refinery, and one of the oldest refineries was established in 1901 in Digboi. Thereafter, in 1974, we started another refinery. It is in Bongaigaon which is known as Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited. Thereafter, in 1993 we started the third one, that is, Numaligarh Refinery Limited. So, I belong to that rich, oil and natural gas producing State, and not as said by some Members of the House, day before yesterday that you are from the State of '*lahe lahe'*.

(1445/PS/PC)

We are not representing the State of '*Lahe Lahe*'. We are representing the strong and vibrant economy of India, which is a major contributory State in the oil and natural gas sector.

Madam Chairperson, I heard our learned Member of Parliament, Manish ji, who represents the Congress Party. He said that it is not the year of 2014. Yes. All the people of India, all the Members of Parliament, and the world knows that it is not the history of 2014. If you go back, you will find that it is the history of 1901 in India, when Congress Party was not there in India and when BJP was not there in India. The journey started from 1901. … (*Interruptions*)

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The Congress Party was there. … (*Interruptions*)

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): I am not talking about this Congress. This Congress is a dynastic Congress. This is not the Gandhi's Congress.

Madam Chairperson, I want to talk about the history of oil and natural gas. Why has this Bill come for consideration and passing? First of all, the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 will surely enhance the investors' confidence in India's oil and gas sector. The Bill aims to boost investment in India's oil and gas sector by providing stable lease terms enabling arbitration and streamlining operations, thereby, addressing longstanding

industrial demands for policy stability and regulatory clarity. The Bill also creates a more investor-friendly environment by addressing the longstanding concerns about policy stability.

I want to quote what happened before 2014. Before 2014, Bharat's crude oil import dependence was 1,42,962 billion dollars. Our friends from the Opposition Bench should listen to what was the dependence and what was the amount. In 2013-14, due to the policy paralysis of the UPA Government, it was 1,42,962 billion dollars. But in 2021-22, under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, what was the dependence? Bharat's crude oil import dependence decreased to 62,248 billion dollars from 1,42,962 billion dollars. That is the success story of our Government led by Narendra Modi ji.

Madam Chairperson, as regards the success story, I want to inform the House about the position of our country in world oilfield sector and natural gas sector. Madam Chairperson, you know, and we all know, that India is Asia's second-largest refinery capacity country amounting to 256 MMTPA with 22 oil refineries.

(1450/SMN/CS)

India is the third largest oil consumer amounting to 233 MMTPA in the financial year 2024.

Madam Chairperson, India is the fourth largest LNG importer, that is 31 MMTPA. So, under the leadership of Narendra Modi Ji, Oil and Natural Gas sector became one of the India's most contributory factors in our country's GDP. Presently, we have 263 projects which are under implementation. The total cost of the projects is Rs. 5,35,779 crore.

What are those sectors? The sectors are refinery, pipeline, exploration and production, petrochemicals, city gas distribution, infrastructure and other issues and marketing also.

Madam, I feel proud, feel good that under the leadership of Narendra Modi Ji, Paradip – Numaligarh Crude Oil Pipeline(PNCOP) and Crude Oil Import Terminal (COIT) has been almost complete. On September, 2025, the project will be commissioned. The project cost is Rs. 11,407 crore. That is the longest pipeline. … (व्यवधान) मैडम, हमें थोड़ा बोलना है। कृपया, हमें थोड़ा समय दीजिए। गौरव दा भी असम से हैं। हमें सबको सुनाना है कि देश में क्या हो रहा है? … (व्यवधान) देश के विकास में

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सैक्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को सब लोगों को जानना चाहिए।

मैडम, प्रधानमंत्री जी ने हमारे असम को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। यह दूसरा है, असम बायो-रिफाइनरी। It is a first of its kind of refinery. यह इस देश में पहली ऐसी रिफाइनरी है, जो बायो-रिफाइनरी है। यह असम बायो-रिफाइनरी है। किससे बनेगा, बैंबू से बनेगा, बैंबू से इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 4,200 करोड़ रुपये की है। माननीय मोदी जी ने असम को उपहार दिया है। अभी बिहू आने वाला है। बिहू के पहले यह उपहार माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने असम वासियों को दिया है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जून 2025 में इसका कंप्लीशन होगा। तुरन्त बिहू के बाद होगा, लेकिन हम कपड़ा बिहू के पहले खरीदते हैं, बिहू पर पहनते हैं, लेकिन उपहार पहले आ जायेगा और हमारे पास आ गया है। इसकी फिजिकल प्रोग्रेस 99 परसेंट हो गई है। केवल एक परसेंट का टेक्निकल काम बाकी है, वह भी कंप्लीट हो जायेगा, जिसके बाद असम को पहली असम बायो-रिफाइनरी मिलने वाली है और कमीशन भी होने वाली है।

महोदया, मेरे ऐसे कुछ विषय हैं, जिन्हें मैं इस सदन के सामने लाना उचित समझता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के नेतृत्व में इस भारत के, aggressive economic growth is swelling its energy demand which is predicted to nearly double to 1123 million tons of oil. India has significantly increased the production of crude oil since independence. India also produces about 37 BCM of natural gas.

(1455/SM/IND)

Our ethanol procurement has increased. It was only 38 crore litres in 2014. And what is its present volume? It has increased from 38 crore litres in 2014 to 720 crore litres in 2024. That shows the difference between UPA and NDA. The picture says something. मनीश तिवारी जी बाहर चले गए हैं। इनका स्वभाव है कि ये अपनी बात कहने के बाद बाहर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं है कि इनका स्वभाव कब ठीक होगा? अपॉजिशन के डिप्टी लीडर को भी उनके स्वभाव को ठीक करना चाहिए। उनमें सुनने का धैर्य नहीं है। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी करनी है, वैसी भरनी है।

महोदया, मैं एक और तथ्य बताना चाहता हूं। In the past, during the UPA regime, the exploration activities were not supported through proactive Government action. No acreage was licensed, Madam Chairperson, from 2004 to 2014. They have raised the question on the deceleration of the exploration process. The exploration process and the increasing dependence on inputs related to food and oil were heightened during their period, not ours.

Definitely we are an importing country in terms of food and oil and natural gas. We are importing. हम इम्पोर्ट बढ़ा रहे हैं। इस देश में हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जीरो

कार्बन पालिसी के लिए काम कर रहे हैं। यह नरेन्द्र मोदी जी का ही नेतृत्व है कि from 2015 onwards, our Government led by Modi ji has brought several policy norms like permitting unconventional hydrocarbon operations and levy of reduced royalties to promote exploration and production of hydrocarbons in our country. The first Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy has been started by Shri Narendra Modi ji and it is in action.

Madam Chairperson, if we go through the achievement, we can see that production of gas under the non-nominational fields has shown an increase during the last few years and its share has increased to almost 30 per cent of gross production despite the coupling with international markets as has been mentioned by Manish ji. पूरे विश्व में कॉप्लिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में हुई। But under the dynamic policy and the stand of Narendra Modi ji, our gas prices have remained almost stable during the last few years. Domestically, petrol and diesel prices have come down by about 15 per cent and 10 per cent respectively.

(1500/GG/RP)

The NDA-led State Governments have reduced the prices of petrol and diesel, but some Congress-ruled as well as the other Opposition Parties-ruled States have not reduced the prices of petrol and diesel. अपोज़िशन हमेशा गरीब की बात करता है। लेकिन गरीब के लिए उन्होंने पेट्रोल डीज़ल में अपनी कस्टम ड्यूटी कम नहीं की है। अगर कम किया है तो भारत में हमारी एनडीए की सरकार ने किया है।

Madam, I am concluding now. During the same period, India has been one of the very few major economies in the world where the prices of petrol and diesel have come down.

पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, जहां पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम हो गए हैं। The prices of petrol and diesel have also been increased in the neighbouring countries by more than 10-13 per cent. लेकिन हमारे देश में पैट्रोल और डीज़ल प्राइसिस में 10 से 13 पर्सेंट की कमी आई है। माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी इस महत्वपूर्ण विधेयक को ले कर आए हैं, मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। इस देश के आर्थिक विकास में यह बिल एक माइलस्टोन के नाते काम करेगा, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि अपने विषय को मात्र तीन मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रमाशंकर राजभर जी।

1501 बजे

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : महोदया, सबसे पहले तो कल होलिका दहन है और परसों होली है। होली और होलिका दहन की सदन के सभी साथियों, आपको और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। हालांकि हम सांसदों की होली तो खराब हो गई। बड़ी आशा थी कि इस बजट में सांसद निधि को बढ़ाया जाएगा। महोदया, वर्ष 2011 में जीएसटी लागू नहीं थी, यूपीए सरकार ने सांसद निधि को पांच करोड़ रुपये किया था। लेकिन 25 वर्ष हो गए और अब जीएसटी भी लगने लगी है, लेकिन सांसद निधि इस होली में नहीं बढ़ी है। महोदया, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, असम को रिफाइनरी मिली। महोदया, एक उद्धरण करना चाहता हूँ, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ओएनजीसी ने जो ब्लॉक दिया था, आज सेंट्रल गवर्मेंट के पास है। जीएसपीसी रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात गवर्मेंट ने केजी-बेसिन में 63 ब्लॉक लिए और 19 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए और कहा गया कि यहां दूध और पानी की तरह से पेट्रोलियम पदार्थ निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जीएसपीसी की बात कर रहा हूँ कि 19 हज़ार करोड़ रुपये गलत तरीके से खर्च हुए और जो अन्वेषण तेल का हुआ, उसमें इतना नुकसान हो गया और मिला कुछ नहीं।

महोदया, यह अच्छी बात है कि अगर खनन पट्टा से परेशानी हो रही है तो पेट्रोलियम पट्टे का नाम रखा जाए। उसकी व्यापकता बढ़ाई जाए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन यह जो संशोधन है, वह केवल कॉर्पोरेट जगत के लाभ के लिए न हो, यह मेरी शंका है।

(1505/MY/NKL)

वर्ष 2023-24 में ओएनजीसी ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? वे अपना मुनाफा कमाएं। आप 25 लाख रुपये जुर्माना के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। आपराधिक सजा हटा दी जाए और 25 लाख जुर्माना हो जाए। मैं सरकार और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जुर्माना और मुकदमा होते रहता है। जुर्माना का कभी रिटर्न नहीं लिया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखिए। कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तेल का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें पूरे देश के लिए विश्व के साथ प्रतियोगिता करनी होगा। विश्व में जितनी भी तेल कंपनियाँ हैं, हम उन पर न निर्भर होकर अपने आप पर निर्भर बनें। आप यह भी बताएं कि हमारे जो सामाजिक सरोकार के कार्य है, जो सोशल मूवमेंट के काम हैं, उनमें इन कंपनियों का क्या योगदान है?

महोदया, आज भी हमारे देश की बहुत सी ऐसी आबादी है, जो गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकती है। वह सड़क के किनारे रहती है। वह झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन बिताती है। आज मिट्टी का तेल बंद हो गया। मिट्टी के तेल से गरीब आदमी स्टोव पर खाना बनाता था। आज भी ऐसे आदिवासी इलाके हैं, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वहां मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। आज उसका भी नाश हो गया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं, सीएसआर फंड जो सोशल जस्टिस के लिए जाता है, उसमें भेद कर रही हैं। सभी दल के सांसदों के इलाके में काम नहीं कर रही हैं। हम चिट्ठी लिखते रह गए, लेकिन किसी कंपनी ने नहीं सुना। मंत्री जी, आप भेदभाव मत कीजिए। हम सभी सांसद हैं। आपसे मैं यही कहूंगा। अब मेरा समय समाप्त हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1507 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam Chairperson, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024.

Madam, our economic growth depends on trade as well as import/export policies. The trend of our country is that we are importing heavily, and still, our country is heavily dependent on foreign countries for importing crude oil. The hon. Minister, Shri Hardeep Singh Puri ji is trying his level best to make our country self-sufficient. But I would like to know from the hon. Minister what the plan of this Ministry is to make our country self-sufficient in the field of oil sector.

Madam, our country is undergoing a severe crisis due to skyrocketing fuel prices. I would also like to know from the hon. Minister how we give relief to the poor people as they are heavily burdened due to high fuel prices.

Madam, now, I come to the Bill. The most worrying part of the Bill is that it opens the door for private companies to dominate oil fields, allowing big corporations to extract mineral oil with very little Government control. The newly added Section 4A says that no one can carry operations without a valid lease, but it does not give the State enough power to strictly control or monitor exploration activities. This means, the control of natural resources will shift from the Government to private companies, reducing the States' direct authority over oil production. This goes against the principle of national sovereignty and could lead to corporate exploitation of resources.

Madam, another major concern is the amendment to Section 6 which now promotes not only extraction but also long-term exploration of oil fields. Even worse, the Central Government has been given the power to extend the lease period indefinitely, allowing oil companies to exploit these fields for decades without any strict environmental checks. This is a direct violation of India's commitment to fight climate change under the Paris Agreement and other global environmental treaties.

(1510/VR/CP)

If the Government continues to allow unchecked exploration, it will have severe long-term impact on the environment and public resources.

Now, I come to Section 5 which gives the Central Government full authority to grant, extend or renew petroleum leases without seeking approval from the State Government.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Please conclude.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Kindly allow me to finish my speech.

HON. CHAIRPERSON: Please complete it in one minute.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Madam.

Additionally, the newly introduced Section 4A prevents the State Governments from issuing exploration licence, handing over complete control of oil exploration to the Central Government. These moves are unconstitutional, and they directly violate the federal structure of our country.

Then, the Bill also introduces a provision for utilization of leases across States, meaning if an oil or gas reservoir extends across two or more States, the Central Government can club them under a single lease agreement. This will allow big corporate companies to extract resources from multiple States under one license, increasing their profits while reducing the revenue that individual States would otherwise receive.

Additionally, the Bill does not include any clear rules for environmental protection, labour rights or local development, proving that the biggest beneficiary of this Bill is not the public but large companies.

Another major flaw is there in Section 6A which plays the responsibility of decommissioning and restoring the site entirely on private companies. However, the Bill does not ensure any strict State supervision, which means companies could easily abandon damaged sites without proper restoration, causing serious environmental damage like, soil erosion, groundwater pollution, deforestation, etc.

What the Bill encourages is the use of carbon capture utilization and storage, which will allow prolonged fossil fuel exploration going completely against India's climate change. *....(Interruptions)* The Bill also makes no mention of protecting the rights of indigenous, tribal or local communities who live in oil rich regions like Assam, Gujarat, Jharkhand. The large scale of oil exploration in these States has resulted in forced displacement, land grabbing and destruction of biodiversity.

Section 9 is highly unfair towards small and medium scale oil operators. The Bill imposes a fixed penalty of Rs.25 lakh for violating Section 4A or Section 6A, along with an additional fine of Rs.10 lakh per day for continuing non-compliance, allowing oil corporation to dominate the oil sector. *....(Interruptions)*

The major concern is the amendment to Section 5, which now allows the Central Government to make new rules, extend petroleum leases and do renewal of licences. The Bill also completely contradicts India's climate goals. While India has committed to achieving net zero carbon emission by 2070, the Bill promotes longer lease periods, automatic renewals without environmental reassessment and carbon capture utilization and storage, which will only increase fossil fuel exploration. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri D. M. Kathir Anand.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, just allow me a minute to speak about my constituency. *....(Interruptions)*

Ashok Nagar oil field was discovered in 2018 by Oil and Natural Gas Corporation. This is the first oil field in West Bengal and west India. This is known as Jagdishpur-Haldia-Dhamra Natural Gas Pipeline project. I would like to know one thing from the hon. Minister. *....(Interruptions)*

(ends)

(1515/SNT/NK)

1515 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Thank you, Chairperson Madam. Today, I stand before you to address the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024.

This Bill is a timely and transformative measure to modernize our regulatory framework for oil and gas exploration. However, while we embrace progress, we must remain mindful of the regional and ecological impacts of resource extraction. It broadens the definition of mineral oils to include naturally occurring hydrocarbons such as coal bed methane, shale gas, and shale oil. This expansion aligns with global best practices and encourages innovation in previously untapped areas. The Bill replaces the outdated mining lease with a more comprehensive petroleum lease, ensuring that our regulations reflect the evolving nature of the industry. The Bill also empowers the Central Government to make rules on critical matters like environmental protection, emission reduction, and the conservation of mineral oils. Additionally, it decriminalizes certain provisions of the Act, replacing criminal penalties with an adjudication mechanism to foster a business-friendly environment. These changes represent a paradigm shift towards sustainable and efficient resource management.

However, alongside these merits, we must address the pressing issues of tungsten hydrocarbon mining in Tamil Nadu. The biodiversity-rich Melur region of Madurai, a proposed site for tungsten mining, is facing significant opposition from local communities and environmental activists. This region, home to rare flora and fauna, has been declared a biodiversity heritage site, and any mining activity here could result in irreparable ecological damage. Similarly, hydrocarbon mining projects proposed in Gulf of Mannar, a biodiversity hotspot, pose a severe risk to fragile ecosystems, marine life, and the livelihoods of our coastal communities. The lack of prior consultation with the Tamil Nadu Government before initiating these projects has raised valid concerns.

In this context, I must commend the vital role played by our Tamil Nadu Chief Minister, Shri MK Stalin, in addressing these issues. His proactive leadership and unwavering commitment to protecting the State’s natural

heritage and the livelihoods of its people have been exemplary. Our CM, Stalin Sir, has consistently voiced his opposition to these projects, emphasizing the ecological and socio-economic risks involved. He wrote to the Prime Minister, urging the Central Government to halt these initiatives and reconsider their impact on Tamil Nadu's fragile ecosystem. His efforts have also included passing a unanimous resolution in the Tamil Nadu State Assembly and engaging with local communities to address their concerns.

To ensure equitable and transparent decision-making, I have some suggestions for the Ministry. For a mandatory State consensus, a legal framework should be established that requires explicit no-objection certificate from the State Government before initiating mining exploration projects. This would guarantee that States have a decisive role in approving projects that impact their regions. This is a very important suggestion I want to give to the Ministry. For a transparent process, we must make all project details, including environmental impact assessments and community feedback, accessible to the State authorities and the public. We should strengthen environmental safeguards by redefining project boundaries to exclude biodiversity-rich areas and implement strict environmental regulations to prevent ecological damage. Community engagement should involve actively involving local communities in the decision-making process to address their concerns and protect their livelihoods. For independent oversight, we should establish an independent regulatory body to oversee mining projects, ensuring compliance with environmental and social norms with State participation.

Chairperson Madam and hon. Members, this Bill and the issues it encompasses remind us that our path to progress must be both inclusive and responsible. While we harness the potential of our natural resources to drive economic growth, we must also safeguard the environment and empower the communities that depend on it. Let us therefore strive to build a future where development and sustainability go hand in hand.

I urge upon the Union Minister to consider the above-mentioned considerations and join me in advocating for an industrial development approach that is fair, transparent, and forward-thinking.

Thank you.

(ends)

(1520/AK/MK)

1520 hours

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Madam, thank you for giving me the opportunity to speak on the debate over Oilfields (Regulations and Development) Amendment Bill, 2024. I stand to support this Bill and offer my opinions and suggestions on this crucial piece of legislation.

As we move on the path of development, our energy needs are bound to grow. However, this increase will have to be met from our own enhanced production instead of imports. India's oil import dependency in the April-September period of this year has touched 88.2 per cent up from 87.8 per cent in 2023-2024. This is a concerning figure and is alone enough to exemplify the need for this Bill which will help us achieve 'Urja Atmanirbharta' or energy self-reliance.

I was listening to the hon. Petroleum Minister's Address in the Rajya Sabha and he highlighted how in the past decade, the NDA Government has endeavoured to encourage exploration of petroleum and natural gas. Under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has established itself on the global stage with exports of petroleum products rising from $60.84 billion in 2014 to $84.96 billion in 2023 showing the tremendous growth that the NDA Government has managed to achieve over the past decade.

According to the International Energy Agency's (IEA) World Energy Outlook 2022, India's energy consumption will double by 2040. As per the IEA, India's energy demand is expected to grow at about three per cent per annum till 2040 compared to the global growth rate of only one per cent. The Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has also highlighted in its World Oil Outlook 2022, that India will have the highest energy demand rising from 18.6 million barrels per day to 37.7 million barrels per day. This increase in petroleum demand is fuelled by the growing economic activity and increasing ‘ease of doing business’,

contributing to the hon. PM's vision of ‘Sabka Saath, Sabka Vikaas, Sabka Vishwaas’.

India has been the largest exporter of petroleum products in Asia for the year 2020-2021 which is a testament to the unwavering vision of the Government for promoting business. India is also the fourth-largest refiner, another feather in the cap that we all should be proud of. The Government has also allowed 100 per cent FDI *via* the automatic route for private companies in refining as well as LNG regasification infrastructure, which will promote investment in the capital-intensive sector leading to inclusive growth.

I would like to draw the attention of the House to another pertinent and equally important indicator. India ranks 22nd in the world in terms of proven crude oil reserves. However, the reserve/production ratio is 16:1. This means that given the current level of production and no new reserves being accreted, the present reserves will also last approximately for 16 years. It essentially indicates that all of the reserves will be depleted within our lifetimes if corrective action is not taken. However, addition of reserves is a dynamic process and this is the chance for India to shine.

To this end, the Bill makes a landmark change by introducing a Petroleum Lease in place of a Mining Lease. The mining sector is governed by the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 and as such there should be a transparent and seamless procedure in the petroleum and hydrocarbon exploration sector to encourage prospecting and operations thereafter. It is pertinent to point out that petroleum exploration differs fundamentally from mining activities in both their methods and impact. Due to the existing nomenclature, confusion often arises delaying petroleum exploration operations for the need of irrelevant permits and licences.

(1525/UB/SJN)

With the new petroleum lease, prospecting, exploration, and exploitation will be enhanced, increasing our reserve and production ratio and providing us all with a safe and secure future.

A business requires stability and a coherent policy environment – one that encourages investment and also compensates in case of loss. This is particularly relevant in the case of the petroleum sector where the capital investment is intensive. The Bill offers the lease on predictable and transparent terms as well as provides for compensation in case of suspension, revocation, or cancellation of the lease. This provision will create a relaxed regulatory environment and put India among global leaders in the sector.

As I conclude my speech, I would like to reiterate that Andhra Pradesh is the youngest State in the country having undergone bifurcation 10 years ago. It is imperative that Andhra's development is hastened now, not only to recoup the losses incurred in the past five years under the last Government but also to establish the vision of Viksit Bharat and Viksit Andhra Pradesh under the combined leadership of Shri Narendra Modi ji at the Centre and Shri Nara Chandrababu Naidu in the State of Andhra Pradesh.

Thank you.

(ends)

1526 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, आपने मुझे तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जनता दल (यू) की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं।

आज विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर करती है। तेल उत्पादक देशों की पॉलिसी है कि कच्चे तेल के भाव में उतार-चढ़ाव का खेल खेला जाता है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह तेल का बढ़ता रेट है। भारत अपनी खपत का करीब 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं। अमेरिका के दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से देश के कच्चे तेल के आयात पर असर दिखाई दिया है।

मैं माननीय मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण बिल है। देश में कच्चे तेल का भरपूर भंडारण है, किंतु महंगी टेक्नोलॉजी होने के कारण देश में उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकी है। मंत्री जी काफी अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के विकास के लिए तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सही निर्णय लिया है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस कानून के बनने से तेल क्षेत्र में दोहन के लिए विदेशी निवेश बढ़ेगा, तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। देश में उत्पादन बढ़ाने से तेल और गैस सस्ती होगी। देश तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आएगा तथा देश में विकास की रफ्तार तेज होगी।

महोदया, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश में कच्चे तेल की खपत करीब 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कि अगले पांच वर्षों में बढ़कर 7 मिलियन बीपीडी होने का अनुमान है। एक डेटा के अनुसार देश में करीब 651.8 मिलियन टन कच्चे तेल का भंडारण है और करीब 1,138.6 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडारण है। अतः ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दोहन और उत्पादन बढ़ाना ही होगा।

महोदया, कानून बनाने के बाद तेल क्षेत्र में दोहन और उत्पादन करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों को निवेश करना और सरल हो जाएगा। तेल खनिज क्षेत्रों को पट्टे पर दिया जाएगा, राजस्व के नियमन में सुधार कर प्रोत्साहित करने वाला बनाया गया है। पट्टे पर देने से राज्यों की भूमिका को बरकरार रखा गया है। तेल को राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया जा रहा है। तेल क्षेत्र के विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की भी व्यवस्था की गई है।

(1530/SPS/GM)

इसमें सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होगा। इन सब सुधारों से निवेशकों को नीतिगत स्थिरता मिलेगी और कारोबार करने में आसानी होगी। आशा है कि नये कानून से देश के तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, खोज और उत्पादन बढ़ेगा, देश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में गिरावट और स्थिरता आयेगी। इससे राज्यों के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। केन्द्र सरकार की कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी। इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था लागू की गयी और इसका परिणाम हुआ कि आज मेरा बिहार एथेनॉल के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। देश में पहली एथेनॉल पॉलिसी बिहार राज्य में बनी और मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था में बिहार में उत्पादित एथेनॉल का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। बिहार में करीब 15 फैक्ट्रीज में एथेनॉल का उत्पादन चल रहा है और करीब 56.50 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है तथा 47 नये एथेनॉल प्लान्ट की मंजूरी दी जा चुकी है।

(इति)

1532 बजे

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : धन्यवाद, सभापति महोदया। मुझे ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल, 2024 पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। यह विधेयक देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेल और गैस क्षेत्र का महत्व किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था में अति प्रमुख है। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर बन चुका है। वर्ष 2014 में हमारी रिफाइनिंग क्षमता 215.07 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जो अब 256.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। तेल और गैस की बढ़ती मांग और सरकार की दूरदर्शिता में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि यह मांग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन तेल समतुल्य तक पहुंच जाएगी। यह देश के विकास की कहानी बयां करती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह मात्र 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 30 मिलियन टन हो गया है, जो 10,000 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

एथेनॉल उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। सरकार ने जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 में, जहां एथेनॉल की खरीद मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वहीं वर्ष 2024 में यह 720 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई और 180 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात प्रतिस्थापित हुआ। भारत की हरित और प्रौद्योगिकी क्रांति भविष्य की दिशा के लिए मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। इसमें 8 लाख करोड़ का निवेश और 6 लाख नौकरियों का सृजन होगा। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अनुमानित है और एक लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी होगी। इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से हमारे यहां बन चुका है।

सभापति महोदया, खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार किया गया है। खनिज तेल में प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस तेल को शामिल किया गया है। इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं होंगे। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो भूमिका है, उसके बारे में दो बातें करनी हैं।

(1535/SRG/MM)

साल 2021-22 में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात मात्र 1% था, जो 2023 में बढ़कर 20% हो गया। यह ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक और किफायती विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा, ओपेक देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ भी मोदी सरकार ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया है। सऊदी अरब, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, ने पिछले साल लगभग 38 मिलियन टन कच्चा तेल भारत को निर्यात किया।

प्रधानमंत्री मोदी की "ईस्टर्न पॉलिसी" और "अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन" जैसी पहल ने भारत को भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में मदद की। भारत ने 2022 में अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% आयात किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण वैश्विक बाजारों में कीमतों के बढ़ने के बावजूद घरेलू कीमतों को स्थिर रखा गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पेट्रोल और डीजल में बढ़ते मिलावट के मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मिलावट करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोषी पेट्रोल पंपों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं। पेट्रोल पंपों की नियमित और पारदर्शी जांच के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए। दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।

सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो आम जनता के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सिलेंडर की गुणवत्ता जांचने के लिए सख्त मानक लागू किए जाएं। पुराने और खराब सिलेंडरों को तुरंत बाजार से हटाया जाए। सिलेंडर से जुड़े सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। सिलेंडर वितरण और रिफिलिंग केंद्रों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। सिलेंडर फटने के मामलों में दोषी अधिकारियों और कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

सभापति महोदया, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या है मुम्बई में पाइप्ड गैस कनेक्शन की अनुपलब्धता, जिसके कारण मुंबई के लाखों नागरिक अब भी रसोई गैस सिलेंडरों पर निर्भर हैं। यह बहुत चिंता का विषय है कि लाखों लोग पाइप्ड गैस कनेक्शन के लिए तीन साल से अधिक समय से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिली है।

मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में, जहां ऊंची इमारतें तेजी से बन रही हैं, गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पाइप्ड गैस कनेक्शन न केवल अधिक सुरक्षित हैं, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में, मुंबई को जल्द से जल्द पाइप्ड गैस नेटवर्क से जोड़ना बेहद जरूरी है। यह कदम न केवल गैस वितरण में सुधार करेगा, बल्कि हमारे शहर को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी ले जाएगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तीन साल से अधिक समय से पाइप्ड गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। पाइप्ड गैस नेटवर्क के विस्तार के लिए ठोस योजना बनाई जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों को यह सुविधा मिले। ऊंची इमारतों और हाउसिंग सोसाइटियों में सिलेंडरों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। यह मुद्दा केवल एक सुविधा का नहीं है. यह मुंबई के नागरिकों की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने का सवाल है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह कानून भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में और आगे ले जाएगा। धन्यवाद।

(इति)

1537 Hours

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Madam, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024.

A major highlight of the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024, is the expansion of the definition of "mineral oils." This includes hydrocarbons such as shale gas and coal bed methane, alongside crude oil and natural gas.

The expanded definition of "mineral oils" could encourage rapid exploitation of unconventional resources like shale gas, leading to resource depletion and ecological imbalances.

The Bill proposes a forward-looking measure to permit renewable energy projects like solar and wind power within oilfields. This provision represents a commendable effort to integrate sustainability into the energy sector.

The Bill grants extensive authority to the Central Government for rule-making and dispute adjudication. Although the Bill introduces alternative dispute resolution (ADR) mechanisms, the absence of clear timelines and procedural guidelines could lead to prolonged disputes, deterring investment in the sector. A well-defined framework is essential to prevent delays in oilfield operations and instil investor confidence.

The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 represents a progressive step in addressing India's energy challenges. However, integrating clear regulatory boundaries, strengthening environmental safeguards, and promoting local community benefits are critical for its effective implementation.

I would urge the Central Government to consider these recommendations to make the Bill more robust and inclusive.

With this, the YSR Congress Party supports the Bill.

(ends)

(1540/RCP/KDS)

1540 hours

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Madam, thank you very much. With regard to this Bill, we all know that India and the whole world is facing a lot of issues like oilfield-related matters. This is an era of different global energy contexts. There are many aspects connected with energy access, energy security and energy affordability. There is an urgent need for increasing the domestic production of oil and gas to meet the rising demand of energy. We have to reduce our import dependency. India needs a strong legislation in this regard. I feel that this legislation has a proper consideration for these aspects.

Coming to certain concerns, there are environmental concerns which have to be addressed. Similarly, air pollution is connected with this industry. Water usage and contamination is also a matter of concern. Similarly, there is a concern regarding health. The communities living around that area are undergoing health hazards. That also is an important thing to be addressed. There is land conflict between companies and local communities. Those kinds of things will have to be addressed. There is displacement of communities because new industries are coming. All these aspects will have to be given due consideration. Legal complaints – which is important thing – have also be addressed. I think that proper care has not been taken in this regard. Greenhouse gas emission is a very important subject. When we are making such a legislation, such reforms, we have to give due consideration to those kinds of things also. Then, coming to community involvement, when industry is coming, we must have a cordial relation with the community living around that industry. That part also should be given proper consideration.

I would like to point out two important things. When we are designing to enhance exploration and production, we should not forget the fact that we require a sustainable and significant growth in domestic production, particularly in oil and natural gas. That is a very important

thing. When we are making a legislation, we must give due care to this thing also.

Our slogan 'Atmanirbhar Bharat' should not be confined to just a slogan. It should not be a lip exercise. We must give it due consideration. We must have all kinds of investments. But at the same time, as far as indigenous industries are concerned, we must do the maximum possible for their sustainability. When we are opening our doors for foreign direct investment, we must keep this thing in our mind. That also is a very, very important subject which I would like to point out.

Similarly, we must have legislations. When we are making this legislation, the social aspect of the legislation also may be taken into consideration. I appeal to the Government to have a serious thinking about that. It is not only a matter of production. At the same time, you should go along with the other social aspects also. In the industries, we must have foreign investment. At the same time, life of the Indian industries is also an important thing. Big companies are coming to catch the things. We should not do those kinds of things. We must improve the wealth of our nation. These are the submissions which I want to make.

Thank you very much.

(ends)

1543 hours

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you for the opportunity, Madam. I just want to ask the Government because the Minister concerned has given a very guilty-conscience reply. I think that the shields are up. The Bill defines mineral oils as any naturally occurring hydrocarbons, whether in natural gas, liquid, viscous, or liquid, or solid form, or a combination of these. It includes various resources such as crude oil, natural gas, and petroleum. However, it explicitly excludes coal, lignite, and helium associated with petroleum. Kindly give a reply to that.

The Bill, I feel, definitely encourages private investment to boost domestic petroleum production and mineral oils. I think that the Bill is trying to decriminalise. By decriminalising, you are trying to replace the imprisonment provisions, the penalty provisions. You are replacing them with fines. I think that there is some kind of a protection to the private entities. Definitely, I feel that the Government is trying to protect its most favoured businessman. Or, what is it? The Government should give a clarification regarding that. There is a certain objection regarding the State rights. The Minister concerned gave a reply even before the discussion on the Bill.

(1545/PS/YSH)

But I would still raise that issue because the Indian States have the authority to tax mining activities. This Bill seeks to undermine the States' rights. On July 25, the Supreme Court Bench of nine Judges ruled that the States have the exclusive right to tax mining activities and collect royalties from mining leaseholders based on Entry 50 of the State List in the Indian Constitution. However, by redefining the Oilfields Act to provide petroleum leases instead of mining leases and restricting it to mineral oils rather than minerals, one could argue that the law would fall under Entry 53 of the Union List, which allows Parliament to regulate oilfields, mineral oil resources and petroleum products.

The potential environmental impact of privatising the industry definitely can be raised in this issue. The public companies like Oil and Natural Gas Corporation and Indian Oil Corporation should be prioritised instead. The Bill grants private players more discretion in their operations by removing criminal penalties and altering contracts. The day before yesterday itself, the Indian Oil

Corporation's shares fell by 2.52 per cent. That itself says that there is some kind of an unrest in the public companies. And the Minister should give a clarification regarding that.

I sense that this kind of a rapid shift would definitely undermine the Public Sector Undertakings' role. I just want to cite an example. During the Deepwater Horizon oil spill of 2010 -- where the whole same process was centralised -- the local Governments, especially in Louisiana, felt that they were sidelined during the crisis. This is what the Government also should study, I feel.

I want to give certain examples regarding Mumbai offshore and Rajasthan basins. There were recommendations by the NITI Aayog in 2018 and the Oil Ministry's 2021 proposal for a stake sale in aging fields like the Mumbai High Basin and Bassein Oil Fields that had been shelved. Why has the Government not prioritised modernisation and technological upgrades for these fields?

The Union Government's decision to open 27,154 square kilometres of the Wadge Bank off Kanyakumari for oil exploration under the 2016 Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy threatens one of the India's most biodiverse marine regions. Why is the Government prioritising fossil fuel profits over the lives of thousands of fisherfolk and the environment?

I do not want to speak anything else. But I just want to give a few suggestions regarding this Bill. To strengthen this Bill, the Government can actually provide a detailed framework for carbon footprint tracking and mandatory carbon offset programmes to mitigate climate change. India is the third-largest oil importer and we have to try to increase the domestic production. That is all I want to request the Government.

(ends)

1547 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दी ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल, 2024 लाया गया है, उसके संबंध में उन्होंने आज विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। इसके बाद इस बिल में निश्चित रूप से संशोधन लाने का जो मकसद है, वह स्पष्ट हो गया है कि यह अमेंडमेंट बिल केवल संशोधन मात्र का बिल नहीं है। यह अमेंडमेंट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पूरे वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल, 2024 पर, जिस पर पूरे सदन के सभी सदस्य चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसमें संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह स्पष्ट है कि सन् 1948 का जो प्रिंसिपल एक्ट है, उस प्रिंसिपल एक्ट में बदलाव लाने की क्यों जरूरत पड़ी है? आखिर 1948 के इस एक्ट को लाने का क्या कारण था? सन् 1948 का जो प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें केवल माइनिंग लीज की अवधारणा थी। तब तक हम क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस को केवल माइनिंग लीज में रखते थे। उसके कारण जो तमाम चीजें थीं, चाहे हाइड्रोजन की बात हो, मीथेन गैस की बात हो, शैल गैस की बात हो, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने भी अभी कहा है, चाहे कोल बेड मीथेन की बात हो, टाइट गैस की बात हो या हाइड्रोजन उत्पादन की बात हो, ये सारी चीजें अलग-अलग थीं।

अगर आज 1948 के उस प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट करके माननीय मंत्री जी इन माइन्स को, जो अभी तक माइनिंग लीज कहलाती थी, उस माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज में बदलने का संशोधन लेकर आए हैं तो यह निश्चित तौर से अपने-आप में एक ऐतिहासिक कदम है। पूरे विश्व में चाहे एफडीआई हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह क्यों निवेश करेगा? अगर शैल गैस में हो कोल बेड मिथेन में हो, टाइट गैस में हो या हाइड्रोजन में हो, उसके लिए कोई न कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए।

(1550/RAJ/SMN)

वर्ष 1948 से अभी तक अनसर्टेंटी थी, रेगुलेटरीज की कोई सर्टेंटी नहीं थी। जब एक सर्टेंटी नहीं होगी, स्पष्टता का अभाव होगा तो निश्चित तौर से निवेश करने वालों के सामने एक अनिश्चितता बनी रहेगी। वे निश्चित नहीं होंगे क्योंकि निवेश करने का तात्पर्य होता है। आज जब हम इस परिभाषा को बदल रहे हैं तो अब इस परिभाषा में केवल यह माइनिंग नहीं रहेगी बल्कि माइनिंग के बाद जब पेट्रोलियम लीज होगा तो इसमें कम से कम कर सैक्टर्स जोड़े जाएंगे - पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा रिफाइनिंग और फिनिशिंग एवं चौथा

ट्रांसपोर्टेशन। जब हम चारों सैक्टर्स को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से एक लांग टर्म स्टेबल पॉलिसी होगी, जो नवीन और तकनीकी चीजों को बढ़ावा देगी, जो पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। वर्ष 1948 में क्या था? खनन के पट्टे का जो पैरामीटर था, वर्ष 1948 में जो कानून था, वह स्पष्ट ही नहीं था। किसी कंपनी के पास कितनी अवधि के लिए होगा, कितने भौगोलिक क्षेत्र में, कितने डेमोग्राफी में उसको एक्सप्लोर करना है, इसका भी अधिकार नहीं था। कोई भी अनिश्चितता के कारण निवेश करने से डरता था।

जो नए कानून बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उस कानून में केवल तेल और गैस उत्पादन के लिए था लेकिन आज जब वैश्विक स्तर पर हम उन्नतशील तकनीक, नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं था। आज यह अपने-आप में एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जैसे आज हम रिन्यूएबल एनर्जी में थर्ड हैं, मैं उस पर विस्तार से कहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में इस बिल के आने के बाद से शायद जो एनर्जी सेक्टर है, उन्होंने शुरू में कहा कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनामी हैं, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनामी बनेंगे और थर्ड होंगे, तो निश्चित तौर से उस दिशा में एनर्जी का कंजम्पशन होगा। अभी बहुत समय नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान) अभी दो मिनट ही हुए हैं, जबकि पांच मिनट की बात हुई थी।

मैडम, मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के बारे में कहा गया है। आप यूपीए के समय को देख लीजिए। During UPA Rule 2004-2014, domestic crude oil production remained stagnant at around 34 MMT. Instead of increasing production in, Congress-led India energy dependence grew making us more reliant on imports. इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी थी। Even in natural gas, they failed miserably despite the huge potential of KG2D6 basin. India's Government production collapsed under Congress's corrupt and inefficient policies. जो केजी बेसिन स्कैम हुआ था, वह उस समय का बहुत बड़ा करप्शन था। कांग्रेस रिजिम में बेसिन स्कैम के बारे में कहा गया था कि the biggest betrayal of the Indian energy sector. यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह सी एंड एजी की रिपोर्ट थी। सी एंड एज की रिपोर्ट ने एक्सपोज किया था कि how the Government allowed undue benefit to the companies leading to massive losses for the nation. ... (व्यवधान) उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। आपको याद होगा कि वर्ष 2014 तक लोगों को गैस के सिलेंडर्स ब्लैक में लेने पड़ते थे। पुलिस थाने के सामने लाइन लगाकर गैस के सिलेंडर्स बांटे जाते थे और उसके बाद भी गैस नहीं मिलती थी। लोगों को लाठियां खानी पड़ती थी लेकिन

आज नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ गैस सिलेंडर्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं। यह एनर्जी सिक्योरिटी है।

आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। आप साउथ-ईस्ट एशिया की बात करिए। अगर इंडिया में पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर है तो नेपाल में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 156 रुपए प्रति लीटर है। बांग्लादेश में पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 105 रुपए प्रति लीटर है, पाकिस्तान में पेट्रोल 255 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 258 रुपए रुपए प्रति लीटर है, श्रीलंका में पेट्रोल 309 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 317 रुपए प्रति लीटर है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : कृपया आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैडम, मैं यह बात उनकी जानकारी में दे रहा हूं कि आज भारत में तेल का दाम सबसे कम है। इसलिए कि भारत में एक स्थिर सरकार है, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। इसलिए मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उनका कोई विजन नहीं था। आज मोदी जी का स्पष्ट विजन है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए। माननीय मंत्री जी को बोलना है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : रिफाइनिंग में हमारी क्षमता 249 मिलियन टन पर ईयर थी, उसको बढ़ा कर 450 मिलियन टन पर ईयर तक ले जाने का लक्ष्य है।... (व्यवधान) Mr. Jai Prakash, try to listen me. आज चाइना की ऊर्जा नीति है – घरेलू उत्पादन और कोयला उत्पादन। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन और एलएनजी के क्षेत्र में भी आगे है। आज हम सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल अपना रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया ऊर्जा आपूर्ति में विदेशों पर निर्भर हैं, लेकिन भारत अपनी घरेलू क्षमता को बढ़ा कर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। इस प्रकार के वे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं।... (व्यवधान)

(इति)

(1555/SM/SK)

1555 hours

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, I would like to start by thanking you and, through you, all the hon. Members who have taken the floor. I can say with all sincerity that it always immensely pleases a Minister when a discussion of this kind starts to become information sharing, with some good ideas coming forth, and it begins to take the shape of a seminar rather than a discussion on partisan lines. Therefore, I want to start by thanking all the hon. Members, and I will begin with the last of my colleagues and friends who have spoken, Shri Jagdambika Pal ji. Adv. Gowaal Kagada Padavi ji, Shri E. T. Mohammed Basheer ji, Dr. Gumma Thanuja Rani ji, Shri Ravindra Dattaram Waikar ji, Shri Krishna Prasad Tenneti ji, Shrimati Pratima Mondal ji, Shri Ramashankar Rajbhar ji, Shri D. M. Kathir Anand ji, Shri Dilip Saikia ji and my colleague and friend, Shri Manish Tewari, who led the discussion.

Madam, due to the shortage of time and in the interest of efficiency, I would suggest that I club some of the points made and respond accordingly. The first issue raised is our long-term strategy for energy security. I can say that our long-term strategy for energy security revolves around the trilemma of availability, affordability, and sustainability. So far, we have navigated all three—availability, affordability and sustainability—very successfully under the hon. Prime Minister's bold, upfront and decisive leadership.

Let me give an example. Regarding availability, we have not hesitated, as one hon. Member mentioned, to import from wherever we have to import. He mentioned about a windfall and that problems can arise. I want to apprise him of the ground reality. We used to import from 27 countries. Today, we are importing from 39 countries, and recently, we are even buying from a 40th country. We will buy from wherever we have to import.

My common refrain to my counterparts in other countries is that if you have oil in your backyard and can deliver it to my port of importation at a reasonable price, we will buy it from you. We do not distinguish between the sources of supply. Our companies – I am referring only to the public sector companies though the private sector is perhaps more or less equally efficient – will issue a tender at the point of importation for a particular grade of crude at a specific location, whether it be Vishakhapatnam or any other point. Whoever wins the tender can supply us. The supply logistics, the fleet, etc., are up to the supplier. We are very clear on that.

During the last few years that I have been the Minister, and there has been turmoil in the market. There was an economic lockdown, and the price of a barrel of crude fell to 19.56 dollars. It then shot up to 128 dollars a barrel. Today, when we look at prices, we are all within a range. I would like to tell my friend, Shri Manish Tewari that there is more oil in the world coming onto the global market, particularly from the Western Hemisphere. Let me give you the example of Brazil. It used to produce three million barrels a day.

(1600/RP/KN)

They are bringing up another 140,000 barrels a day. There are countries like Guyana, Suriname, Canada, and U.S which are bringing up another 1.6 million barrels. U.S. is the world's largest producer. It produces 13 million barrels a day. There is no shortage of supply. Therefore, if we are a large consumer, which we are as India – we are one of the largest consumers – we can leverage that market consumption cart to diversify, and buy from the cheapest source. I have, therefore, no doubt in my mind that we will be able to navigate this trilemma in the years to come with equal success under Prime Minister Modi's leadership.

Now, I come to affordability. I would have thought that some of my friends across the Opposition Benches would have talked about the price of energy, very few of them did so, because the honest God's truth is India is the only country in the world where over the last three-year reference period, the price of petrol and diesel has actually come down.... (*Interruptions*) I will give you the answer, have the patience to listen to it. We have brought down the price of petrol and diesel because the Prime Minister reduced the Central Excise on two occasions, November 21st and May 22nd, whereas they, the Congress-ruled States, have been increasing their VAT. They have also been increasing milk prices. So, let us have a serious discussion, and whenever you are in a meet for a serious discussion, I will sit for you.

Now, I come to prices in the neighbourhood. Prices in the neighbourhood are, at least, 15 per cent to 25 per cent higher than in India. Equally, prices in Western Europe and the United States are much higher than in India. It is only in India that prices have come down.

Now, we come to what is our overall strategy. Our overall strategy is to increase domestic exploration and production, but also to increase our clean energy. When Mr. Modi assumed responsibility, the biofuel blending at the Centre, which was aimed at 5 per cent for 10 States and Union Territories – I was part of that effort – only came down to 1.4 per cent in total. We had a target of 10 per cent biofuel blending till 2022. In November, we did it five months in advance. We had a target of 20 per cent biofuel blending up to 2030. We have done it six years in advance. We have already achieved 20 per cent blending, 19.6 per cent in the last one month.

Now, I come to some very interesting points raised. A CSR issue has been raised by my colleague from the Samajwadi Party. I am so happy that he raised it. They come to me, and I tell them CSR, according to the law, is an expenditure on corporate social responsibility, which has to be incurred by the companies out of the two per cent of profits that they make, and there is a threshold for that. So, it is a very interesting situation. The hon. Members come to me and tell me कि यह सीएसआर दिलवा दीजिए। Then, they sit in the House, and say that there should be no discrimination and differentiation. I now have an answer to give them. Since they do not want any differentiation, they do not want us to reply, please deal with the companies directly. That is my answer to them. They cannot have it both ways. They come to me in my chamber and say that do it, and then they turn around in the House and say, there should be no differentiation. मेरा आपको तब भी आंसर यही होता और अभी भी यही है कि कंपनी डिसीजन लेती है, कंपनी का बोर्ड डिसीजन लेता है, क्योंकि यह कंपनी के प्रॉफिट से आता है। So, let us not play these little games with each other.

Several things have been said about our federal structure. Madam, one of the hon. Members from Tamil Nadu has raised a very important point. He raised a point about environmental damage. He also said that a letter had been written by the hon. Chief Minister. I have seen some reference to that, and I would like to point out the following. A block is offered as an offshore deepwater block in the country's territorial waters, which is outside the jurisdiction of the State Government. It is a very large area, sometimes 10,000 square kilometres. Now, when you ultimately go to prospect there, when you go to do the drilling, and wherever the drilling takes place, permissions will have to be sought. The permission-granting authority is the State Government. I have had a few examples myself. The hon. Member from the Trinamool Congress spoke, and referred to one such case. I want to share with the House my experience of what happened in the Ashok Nagar discovery in West Bengal.

(1605/NKL/VB)

What happened is that the ONGC had incurred an expenditure of about Rs. 1,000 crore. I think, they had dug something like 99 wells. … (*Interruptions*) The matter came up in Parliament, and ultimately, I am very happy that on 24th February 2025, this permission has been given by the West Bengal Government. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय बेनिवाल जी, आप बैठ जाइए।… (व्यवधान)
SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam, I have listened the debate for two hours, and I think, I owe it to my colleagues to give them an answer to what they have said. … (*Interruptions*) Hon. Member, I am not yielding; I have to give a reply, and I am winding up very quickly. … (*Interruptions*)

Madam, I am seeking your understanding. … (*Interruptions*) I know how to respond to these things but I will choose to confine myself here. I will respond to the hon. Member separately later. … (*Interruptions*) But the point here is that our overall strategy is very clear. … (*Interruptions*) We need availability, affordability and sustainability. … (*Interruptions*) Number two, we will also go down to ensure sustainability, not only in biofuels, compressed biogas, and green hydrogen, but we are making massive progress in all these areas, including newer technologies and encouraging startups. … (*Interruptions*) So, I think we have a holistic approach in all that. I want to once again thank all the hon. Members for participating in the debate. I now commend that the Bill be adopted by this House.

(ends)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

….

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 2, line 12,-

for "2024"

substitute "2025". (3)

Page 2, line 18,-

for "2024"

substitute "2025". (4)

(Shri Hardeep Singh Puri)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 2, line 38,-

for "2024"

substitute "2025". (5)

(Shri Hardeep Singh Puri)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1610/PC/VR)

खंड 12

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय मंत्री जी, अब आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 6, line 4,-

for "2024"

substitute "2025". (6)

(Shri Hardeep Singh Puri)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 4,-

for "2024"

substitute "2025". (2)

(Shri Hardeep Singh Puri)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventy-fifth"

substitute "Seventy-sixth". (1)

(Shri Hardeep Singh Puri)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब शून्य काल।

… (व्यवधान)

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे – जारी

1613 बजे

श्री अनूप संजय धोत्रे (अकोला) : माननीय सभापति महोदया, मेरा विषय 'आत्मनिर्भर भारत' के संबंध में है। 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बनाया जा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सिडाइज्ड किया जाए। हमारे देश में खेती में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वे किसानों के लिए काफी अच्छे हैं।

1614 hours

(At this stage, Shri Rajkumar Roat, Adv. Chandra Shekhar and Shri Hanuman Beniwal came and stood near the Table)

मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सॉयल का जो लॉस होता है, एक्सेस फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन के कारण खेती में जो नुकसान होता है, उसे रोकने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया को सरकार के माध्यम से एक अच्छी सब्सिडी मिले। इसका फायदा किसानों की उपज में, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ किसान का जो खर्चा बढ़ रहा है, उस खर्चे को रोकने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिले।

धन्यवाद।

(1615/CS/SNT)

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : महोदया, धन्यवाद।

मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, पर्यावरण और लोक आस्था से संबंधित है। यह विषय वैनगंगा नदी पर स्थित घाटों से जुड़ा हुआ है। जिसमें प्रमुख रूप से बजरंग घाट, शंकर घाट, महामृत्युंजय घाट, जिसे जागपुर घाट भी कहा जाता है, जो बालाघाट जिले में स्थित हैं। इन घाटों के आसपास सघन वन क्षेत्र है और यह क्षेत्र पूजा-अर्चना और भ्रमण के लिए लोगों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बन चुका है। हालाँकि दुर्भाग्यवश बाढ़ के कारण इन घाटों की मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे वन संपदा को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और इस कारण से यहाँ की आस्थाएँ भी संकट में हैं। यदि यही स्थिति रही तो बजरंग घाट मंदिर के ढहने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस समस्या का समाधान पक्के घाटों के निर्माण में निहित है। इससे न केवल लोगों को पूजा और आरती में सुविधा मिलेगी, बल्कि नगर वन का सौंदर्य होगा और वनों को भू-अपरदन से बचाया जा सकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

---

* Please see p. 398 for List of Members who have associated.

1616 hours

(At this stage, Shri Rajkumar Roat, Adv. Chandra Shekhar and Shri Hanuman Beniwal went back to their seats.)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairperson Madam. I would like to raise a very important issue about women empowerment and what is happening with women in Odisha.

A tribal girl, who was studying in Class X in a Government school, delivered a child while giving examination. A Class VI tribal girl was found pregnant in Champua district, the home district of the Chief Minister. A Class VI girl was gangraped in a Government school in Jharusuguda. A Class XII girl in Kendrapara died by suicide. A 10-year-old girl was brutally raped and murdered in Balasore. If you see, there have been 54 gang rapes and 1,600 instances of atrocities against women. 4 साल में 36,420 महिलाएँ, 8,403 बच्चे मिसिंग हैं। यह ओडिशा में हो रहा है, पिछले 8 महीने से और जब हमारे विधायक वहाँ असेंबली में आवाज उठाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको सस्पेंड किया जाता है।... (व्यवधान) यह राहुल गाँधी की पार्टी है, यह कांग्रेस पार्टी है, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम इस अन्याय के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक, हर जगह आवाज उठाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप एक कमेटी बनाकर इस चीज को देखिए और ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, आप उन पर तुरन्त कार्रवाई कीजिए। आप निश्चित ही सरकार को यह डायरेक्शन दीजिए कि वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, वे यथाशीघ्र बंद हों। धन्यवाद।

1617 hours (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

माननीय सभापति : श्री राजकुमार रोत।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : माननीय सांसद, श्री चन्द्र शेखर जी।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बात रखनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के साथ महिलाओं को रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत जो प्रतिदिन मानदेय है, वह मात्र 237 रुपये है और उसमें महिलाओं की भागीदारी 42.26 प्रतिशत है। यह स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराता है और अगर इसकी दैनिक मजदूरी दर को बढ़ा दिया जाए तो इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा।

देश के कुछ अन्य राज्य, जैसे हरियाणा में 374 रुपये प्रतिदिन, गोवा में 356 रुपये प्रतिदिन, कर्नाटक में 349 रुपये प्रतिदिन, केरल में 346 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनस्किल्ड मजदूर भत्ता भी 400 रुपये प्रतिदिन है। अगर

सरकार इस पर ध्यान दे तो मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर भी बढ़ायी जा सकती है। 237 रुपये पर्याप्त नहीं हैं, कम से कम इसको 500 रुपये किया जाए। ऐसी मेरी सरकार से माँग है। धन्यवाद।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Madam, the default position of insurance companies, when the farmers go and claim crop insurance, is to delay and deny. That must change. The way in which crop insurance is calculated, even a nuclear scientist will not be able to understand it. They take a satellite image of the block. Then they take five-to-seven-year average of the crops there. They use an algorithm to decide whether a farmer is entitled to compensation or not. The District Collector does not understand the formula, and the companies use this as an excuse to deny compensation.

(1620/AK/IND)

The number of farmers seeking compensation is going up every year, but the amount paid to them is coming down every year. A humanistic approach must be taken and it should not be based on algorithms, satellite images and averages of seven years, which does not take ground reality into consideration.

So, the Agriculture Ministry and the Finance Ministry must intervene and make sure that compensation is given to our needy farmers in a timely manner instead of delaying it and denying it to them. Thank you very much, Madam.

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदया, मेरा विषय माही और कडाणा बांध के बारे में है। 10 जनवरी, 1966 को गुजरात और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ और यह समझौता डुंगरपुर और बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए काला कानून की तरह दर्ज हो गया। जब बांध बना और वहां के लोग विस्थापित हुए, उन्हें आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला और न ही विस्थापित की गई जमीन उनके कब्जे में है। मेरा अनुरोध है कि वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके 77 टीएमसी पानी को राजस्थान में उपयोग करने के लिए प्रयास किया जाए क्योंकि समझौते में लिखा था कि जिस दिन नर्मदा का पानी गुजरात में पहुंच जाएगा, उसके बाद बांध बनाने में जो लागत आई थी, उस लागत को राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को देगी और उसके बाद स्थानीय लोगों को पानी मिलेगा। अभी राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जालौर, सिरोही, बाडमेर में पानी लाने की बात कर रहे हैं लेकिन स्थानीय डुंगरपुर-बांसवाड़ा की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग विस्थापित हुए और दोनों बांध बनने से लगभग 10 हजार से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए थे, गुजरात और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके स्थानीय लोगों को लाभ दे।

*SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Madam, I would like to thank you for allowing me to speak in mother tongue kannada. I draw the kind attention of the august house towards the problems being faced by the people of Hale Kesare village of Siddalingapura Gram Panchayat in my Mysuru- Kodaga Lok Sabha constituency due to unscientific construction of the solid waste unit.

Mysore City Corporation constructed the solid waste unit at the Hale Kesare village of Siddalingapura Gram Panchayat in Kasaba Hobli near Mysuru. Prior to the construction of this unit, the statutory permissions were to be obtained. However, it was not done. The concerned authorities have not followed any norms set by the concerned authority. The permission of the Gram Panchayat is also not obtained. All the rules and regulations were ignored. The solid waste unit was constructed violating the guidelines framed by the Central government for the national solid waste management. This unit was constructed in a very unscientific manner. Thousands of people residing in the villages in and around this unit are facing severe problems. The unit is emanating foul smell due to unscientific management and it is causing severe health issues to the residents of these villages. The Union ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued specific guidelines in this regard, but it was also not followed. This has badly impacted on the surrounding environment.

Moreover, in an adjacent land belonging to the Cauvery Niravari Nigama, burning of the solid waste unscientifically is leading to health hazards due to smoke and foul smell.

So, thousands of villagers have protested and submitted the memorandum to the authorities concerned. However, no action has been initiated yet. Though the people have held protests and submitted memorandum to the authorities concerned, the officials have gravely neglected this issue.

Hence, I urge upon the Central Government to take immediate necessary measures to address this issue and protect the interests of the local people of Kesare village of Siddalingapura Gram Panchayat in Kasaba Hobli near Mysuru by vacating the solid waste unit. Thank you.

---

* Original in Kannada

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to raise a very important matter regarding the NRIs in our country.

A new provision is introduced in the Finance Act, 2024 with respect to taxation of capital gains on real estate in the Finance Act of 2024. The new provision allows an option between 20 per cent tax with indexation and 12.5 per cent tax without indexation with respect to the sale of immovable properties acquired before 23rd July, 2024. But this option is applicable only to the resident tax payers. The Non-Resident Indians are excluded from the benefit of indexation.

(1625/UB/GG)

This amounts to unjust disparity. The NRIs and OCIs are mandated to pay 12.5 per cent on the sale of immovable properties without accounting for indexation. The NRIs and OCIs invested in India with an understanding that their investment would be treated on par with the residents. Excluding them from the benefits amounts to discrimination. Hence, I urge the Government of India to extend the benefit of indexation to Non-Resident Indians and OCIs as well. This is just an equitable demand on the part of the NRIs that may be allowed. That is the demand which I would like to make.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I draw your attention to the following matter. As per the current guidelines on Incentive Funds Under Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI 2024-25), the funds have to be utilized in the current financial year, which ends in March 2025. The Government of Odisha has initiated the process for farmer registry and has applied for the incentive amount under the creation of farmer registry (Part-VII(b) of SASCI), but it is unlikely that the target will be achieved and incentive funds will be utilized before the end of the financial year due to the following reasons. First, the State will have to undergo a mutation drive to update current owner names, as more than 60 per cent of land in the RoR's has not been updated. Discussions in this regard are in process with the Departments of Revenue and Disaster Management. Second, multiple owner issues exist in the ROR database. Third, surname issues have been reported from tribal districts. The hon. Deputy Chief Minister of Odisha, who is also the Minister for Agriculture, has also raised this matter with the hon. Union Minister for

Agriculture. In this regard, I request the hon. Minister of Agriculture for an extension of the target achievement and utilization of incentive funds under Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI 2024-25) until the end of the next financial year.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I rise today to bring to your attention the grave concerns of rubber farmers who are yet to receive the subsidies announced by the Rubber Board of India. Before the last Lok Sabha elections, a subsidy of Rs. 4,000 per hectare for rubber rain cover and spraying was promised. However, despite thousands of farmers applying before the deadline of 31st December 2023, their applications remain unprocessed. The Ministry concerned has also not issued any notification for fund release, leaving the farmers in distress.

Similarly, the announced increase in subsidy for rubber replanting remains unfulfilled. The farmers who planted saplings last year and applied for subsidies, have not seen an inspection from the officials concerned, nor have they received the payments. Moreover, the arrears of Rs. 15.5 crore from 2022-23 remain unpaid, and the funds of Rs. 740 crore that were promised during 2023-24 have seen no follow-up action. Adding to their financial struggles, the rubber farmers have long demanded the implementation of a Minimum Support Price (MSP) for rubber, ensuring stable income and protection against fluctuating market prices.

Furthermore, the rubber replantation subsidy in Kerala must be increased. Presently, the Government is giving Rs. 40,000 per hectare to the farmers in Kerala. At the same time, in the North-East Region, it is Rs. 1.5 lakh. Kerala contributes over 75 per cent to the country's natural rubber. It must not be left behind. It needs support from the Government.

As this year's tapping season ends, the financial burden on rubber farmers is worsening. I urge the Government to immediately release the pending subsidies, instruct the Rubber Board to expedite application processing, and increase replantation subsidies to the farmers.

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): Hon. Chairperson, Madam, I thank you for giving me the chance. I wish to draw the attention of the Government to the persistent delay and irregular train services on the Howrah-Kharagpur line and Howrah-Amta route under South Eastern Railway which passes through my

parliamentary constituency covering Bauria, Kuleshwar, Uluberia, Kulgatia and Bardhaman. Thousands of daily passengers including Government employees, students and workers are facing immense suffering due to this. Despite bringing this matter to the attention of the hon. Railway Minister through written communication, there has been no significant improvement in the situation. The continuous delays are affecting livelihoods and productivity causing distress to the people who rely on these trains daily.

I urge the Government to take immediate corrective measures including strict monitoring, improved scheduling and better infrastructure management to ensure timely and regular train services for the commuters of this region.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Madam, thank you for giving me an opportunity to speak during Zero Hour today. I would like to raise an important issue for my constituency of Kalahandi. The people of my constituency have to go out and look for jobs. There were some industries which were declared as sick industries and have hence closed down. I would request the Government to please look into these and ensure that they are started again as you know that industrial development is the base that leads to huge job opportunities for the people of our constituency and hence leads to the full economic development. These industries are: Konark Cotton Grower Spinning Mill at Kesinga; and the Western Orissa Sugar Mill at Junagarh. Please look into these and restart them as soon as possible as there is a huge public demand from the people of my constituency. I would also request the Government to revive other sick industries, maybe through the PPP mode, as it would start fast and would really help the people of Kalahandi achieve the dream of Modi Ji, Viksit Bharat, Viksit Odisha, Viksit Kalahandi.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Hon. Chairperson, Madam, the major issue about Kerala today and tomorrow is human-animal conflict. Can we imagine that within a period of 10 years, in Kerala alone, more than 1250 people have been killed due to human-animal conflict. In my constituency alone, within a period of 20 days, five people have been killed by elephant attack. Madam, who is responsible? If we are asking questions here, they will reply that the State Government is responsible for the life and protection of these people. But the State Government will reply that the Central Government has to amend the Wildlife Protection Act 1972. Yes, we have to amend the Wildlife Protection Act

1972. Sir, we have to get the permission to kill whatever animal is coming out from forest and attacking human life and farm lands.

In the foreign countries like the US, China, Russia, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Tanzania, Mozambique and Namibia, hunting is legal; hunting is permissible. The number of animals is higher than the carrying capacity of the forest. We have to get the permission to hunt in a season. That is all over the world, it is going on. That is a scientific method they are adopting. In the Wildlife Protection Act that is, the latest amendment Act, there is a provision of the wildlife warden having the right to give permission to kill the animals. But the State Government is not doing that. They are not at all giving the permission for the wildlife warden to kill the animal. That is going on. For protecting the life and property of people, especially the farmer community, we have to give the permission to kill the animal, whenever they are attacking the human life as well as the farm lands.

श्री राजीव राय (घोसी) : मैडम, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि घोसी लोक सभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार और अन्याय क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार ने पिछले दस सालों में घोसी को कुछ भी नहीं दिया। घोसी में बुनकरों का एक छोटा उद्योग होता था। घर-घर लूम चलते थे और उससे लोग पेट पालते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको बिजली में रिबेट मिलती थी। इस सरकार ने उस उद्योग को भी तबाह कर दिया और लोगों को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया। पिछले दस सालों में केंद्र सरकार की एक भी योजना वहां नहीं गई।

मैडम, मैं 'दिशा' की बैठक में था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो घर-घर जल वाली योजना है, अभी तक वह सिर्फ चालीस गांवों में गयी है। अगर इसी स्पीड से काम हुआ तो इसको पूरा होने में 150 साल लग जाएंगे। हमारे यहां तीन मिलें हैं। वहां कताई मिल है, चीनी मिल है। वहां की तीनों मिलें बंद पड़ी हुई हैं।

(1635/CP/SRG)

शहर में भारत सरकार की 25 एकड़ जमीन है। मैं पहले सत्र से लगातार मांग कर रहा हूं कि हमारे यहां रोजगार के साधन कुछ भी नहीं हैं। खेतीबाड़ी एक बीघा, दो बीघा वाली है। वहां हायर एजुकेशन सेंटर खोलिए, कैंसर हॉस्पिटल खोलिए। मैं रेलवे मंत्रालय को लिखता हूं, तो रेल मंत्री जी का जवाब आ जाता है कि यह नहीं हो सकता है, वह नहीं हो सकता है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो चाहे पांचों विधान सभाओं में अस्पतालों का निर्माण हो, आजमगढ़-बलिया फोर लोन का निर्माण हो, सारी योजनाएं वहां हैं। केंद्र सरकार सौतेलेपन का व्यवहार अगर घोसी के साथ करेगी, तो घोसी की जनता सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी और आने वाले

चुनाव में सबक सिखाएगी। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चीनी मिल को खोला जाए, कताई मिल को खोला जाए, उच्च शिक्षा संस्थान खोले जाएं और कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए।

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : महोदया, प्राचीन समय से ही समाज का विकास करने में महिलाओं का योगदान रहा है। मेरा लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द मेवाड़ में है। वहां पर मां मीरा का जन्म हुआ था। मेरे लोक सभा क्षेत्र के जैतारण के लोगों का यही मन है कि मीरा मां की जगह का विकास किया जाए। वहां पर काफी लोग दूर-दूर से आते हैं। जब उनकी 525वीं जयंती थी, तब प्रधान मंत्री जी ने भी 525वीं जयंती का सिक्का निकाला था।

मेरा यही कहना है कि उस क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी तरह से जुड़ें, पर्यावरण को और वहां की लोक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Madam, through you, I would like to draw the attention of the Government to a very grave situation that has arisen in the very beautiful tiny village of Velsao in Goa.

The railway contractor, RVNL, has forcefully occupied private property of some residents. They are elderly residents. One of the ladies lost her husband's father a few days back. She could not bring her father out because the material had been dumped in front of the gate. The lady Sarpanch, Mrs. Diana Goveia, issued a stop order notice. It has not been adhered to. The administration, under pressure, is filing complaints against the residents. I request the Government to please take action. The private property owners have to be respected. The ownership of the land has to be respected. The powers of the Sarpanch has to be respected, otherwise, there will be no respect for Panchayati Raj or the 73rd Amendment.

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी – उपस्थित नहीं।

माननीय सांसद, श्री दिलेश्वर कामैत जी।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत सिमराही बाजार के मध्य होते हुए टू लेन उत्तर से दक्षिण एनएच 106 तथा पूरब से पश्चिम फोर लेन सड़क एनएच 57, वर्तमान एनएच 27 जाती है। उक्त सड़क के सिमराही बाजार चौराहे पर बराबर जाम लगा रहता है तथा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 9 दिसम्बर तथा 16 दिसम्बर, 2024 को मैंने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि टू लेन एनएच 106 पर आरओबी निर्माण का प्रपोजल चल रहा है, जो वास्तव में कामयाब नहीं हो पाएगा। फोर लेन एचएच 27 पर ट्रैफिक काफी रहता है।

महोदया, फोर लेन एनएच 27 पर एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के लिए न तो जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और न ही बाजार डिस्टर्ब होगा। आज ही माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मिलने पर उन्होंने एनएच 27 पर एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया तथा डीपीआर कार्य एवार्ड भी कर दिया गया है। इसके लिए सुपौल की जनता की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा पुन: आग्रह करता हूं कि जल्द ही फोर लेन एनएच 27 पर एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जनहित में जल्द कराया जाए। इससे वहां जाम की समस्या का समाधान होगा।

(1640/RCP/NK)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Chairperson for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance concerning my State as well as my constituency.

The man-animal conflicts in Kerala is a very serious concern. The alarming rise in man-animal conflicts in Kerala has resulted in numerous human casualties, widespread crop destruction, and severe economic losses for farmers. The failure of existing mitigation measures and the lack of adequate support from the Central Government have worsened the crisis leaving the people living near forest border in distress in Kerala.

There is frequent intrusion of wild elephants, wild boars, tigers, and leopards into human settlements, particularly in my district Kollam and also in my constituency in Pathanapuram. Wayanad, Palakkad, Idukki, Pathanamthitta, and Malappuram have also been affected. There have been over 25 human deaths in the past three years, and there is destruction of agricultural lands worth Rs.500 crore. Despite repeated appeals from the State Government and affected communities, the Centre has failed to provide financial assistance or approve Kerala's proposal for population control measures and relocation of problematic animals.

Given the seriousness of the situation, the Central Government must declare man-animal conflicts as State-specific natural disasters to enable emergency relief funds. It should approve Kerala's request for controlled culling of wild boars, which pose a severe threat to farmers' livelihoods. Additionally, the Centre must sanction Rs.1,000 crore for wildlife conflict mitigation.

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सभापति महोदय, मैं सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। देश में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनलों के लिए रेगुलेशन अथॉरिटी बनाने के विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

प्रेस और मीडिया हमारे गणतंत्र का चौथा स्तम्भ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया को विभिन्न खबरों के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुंचाना है। आज के डिजिटल युग में बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चैनलों की संख्या में बाढ़ सी आ गई है। इनमें से बहुत सारे न्यूज पोर्टल चैनलों के

द्वारा लोगों में झूठी और बिना विश्वसनीयता के खबरों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण संविधान के चौथे स्तम्भ पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है।

मैडम, देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल और न्यूज चैनल्स को केवल व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है। इन चैनलों से संबद्ध कुछ लोग पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघ कर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही झूठी खबरें फैलाकर सबोटाज और ब्लैकमेलिंग के भी काफी सारे उदाहरण सामने आये हैं।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश का सैनिक देश की सेवा करता है। आज तक पूरे देश के सभी जिलों में सैनिक कैन्टीन तक नहीं खुल पायी है। मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जनपद में केवल गोरखपुर में कैन्टीन है। देवरिया जनपद और कुशीनगर जनपद के सैनिक वहां जाते हैं। आठ से दस हजार सैनिक जब तक गोरखपुर पहुंचते हैं तब तक कैंन्टीन का सामान समाप्त हो जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कुशीनगर और देवरिया जनपद में सैनिकों के लिए सैनिक कैन्टीन खोली जाए। मैं इसकी सरकार से मांग करता हूं।

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोज़पुर) : माननीय सभापति, पंजाब में तीन क्षेत्र है, माझा, दोआबा और मालवा। एक जानलेवा बीमारी जो पूरे देश को जकड़ चुकी है, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में कैंसर के पीड़ित हजारों की गिनती में हैं। फिरोजपुर से एक ट्रेन जयपुर और बीकानेर के बीच चलती है, जिसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया है। इस बारे में हमने सरकार से कई बार अनुरोध किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

(1645/MK/PS)

फिरोजपुर में एक पीजीआई अस्पताल बनने जा रहा है, लेकिन उसके लिए फंडिंग नहीं हुई है। फाजिल्का में एक छोटा कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उसके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कैंसर पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा दिया जाता है, वह उनको नहीं दिया जा रहा है। जो फाइलें पड़ी हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी पैसे दिये जाएं। पंजाब में कैंसर का अस्पताल बना कर वहां के रोगियों को राहत दी जाए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी लोक सभा क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आता हूं। वहां पर पांच नदियां हैं- चंबल, यमुना, उटंगन, खारी और कीवाड़ नदी। हमारी नदियों में, जिनमें उटंगन, कीवाड़ और खारी नदी है, इनमें राजस्थान से जल आता है। हमारी तीनों नदियां सूखी पड़ी हुई हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उन नदियों में पानी नहीं है। वहां जल स्तर भी नीचे चला गया है। वहीं चंबल नदी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से चंबल नदी आती है। चंबल नदी में भी पानी बहुत कम हो गया है। हमारे यहां चंबल-बटेश्वर का क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र कहलाता है। चंबल नदी में भी पानी ज्यादा आए। हमारी जो उटंगन, खारी और कीवाड़ नदी है, राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं। राजस्थान के बांध से उन नदियों में पानी छोड़ा जाए।... (व्यवधान)

मैडम, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। इतने कम समय में मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा। मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में नदियों पर जो बांध बने हुए हैं, नियमानुसार बंटवारे के हिसाब से हमारे यहां पानी आना चाहिए। राजस्थान के बांधों से हमारी नदियों के

लिए पानी छोड़ा जाए। यमुना नदी को और शुद्ध किया जाए। उसका पानी पेयजल के योग्य बनाया जाए। चंबल नदी में भी अधिक पानी छोड़ा जाए।

महोदया, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही विनती है।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक विषय पर किस तरह से किसानों को परेशान किया जाता है। उनको अलग-अलग तरीकों से परेशान किया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल बेल्ट है। … (व्यवधान)

मैडम, किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है, इसको मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा। डब्ल्यूसीएल में किसानों की जमीन अधिगृहित की जाती है। सिंचित और असिंचित के विषय पर उस जमीन को ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता है। किसान 10-20 सालों तक उस ट्रिब्यूनल का चक्कर लगाते रहते हैं। डब्ल्यूसीएल नौकरी के लालच में किसानों की जमीन अधिगृहित करता है। उसके बाद वह नौकरी आवंटित भी कर देता है, लेकिन जिला अधिकारी महोदय द्वारा उसको प्रमाणित करने के बाद भी वह सिंचित और असिंचित का विषय लेकर केस को ट्रिब्यूनल में डाल देता है। किसानों को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाता है। किसानों को दस-दस सालों तक नौकरी के लिए घूमना पड़ता है। … (व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे। … (व्यवधान)

मैडम, मुझे कम्प्लीट करने दीजिए। आपने उधर तीन मिनट दिये हैं। मेरा एक मिनट भी नहीं हुआ है। … (व्यवधान)

श्री मोहिब्बुल्लाह (रामपुर) : जनाब स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूं। मैं आपके तवसुस से अपने जिले रामपुर की समस्याएं, जिनका मैंने जिक्र किया है, मज़ीद बयां करने जा रहा हूं। इसको मैं पेश करता हूं। रामपुर जिला हिन्दुस्तान की पहली ऐसी रियासत है, जिसने आजादी के बाद सबसे पहले मर्ज होने के लिए साइन किया था। आज आजादी के बाद वहां दो तहसीलें ऐसी हैं, जिनकी कनेक्टिविटी रेल और एक्सप्रेस-वे से नहीं है। वहां न कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है, न कोई एम्स है और न ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है।

मैडम, मैं दो विषयों की तरफ विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां तहसील शाहबाद और सवर है। अगर यहां से उत्तराखंड के लिए रेलवे लाइन निकाल दी जाए या आगरा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के लिए जोड़ दिया जाए तो रामपुर की ये दो तहसीलें जुड़ जाएंगी। ये तहसीलें उन जगहों में से आती हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहां सैद नगर ब्लॉक है। अगर वह क्षेत्र जुड़ जाए तो इन दोनों तहसीलों की प्रगति और तरक्की होगी। … (व्यवधान)

جناب محب اللہ (رامپور): ، میڈم میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں آپ کے توسل سے اپنے ضلع رامپور کے مسائل جن کا میں نے ذکر کیا ہے، مزید بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ رامپور ضلع ہندوستان کی پہلی ایسی ریاست ہے، جس نے آزادی کے بعد سب سے پہلے مرج ہونے کے لئے سائن کیا تھا۔ آج آزادی کے بعد وہاں دو تحصیلیں ایسی

ہیں، جن کی کنیٹیویٹی ریل اور ایکسپریس وے سے نہیں ہے۔ وہاں نہ کوئی سرکاری میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی ایمس ہے اور نہ ہی سرکاری انجینیرنگ کالج ہے۔

میڈم، میں دو موضوع کی طرف خاص دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ وہاں تحصیل شاہ آباد اور سور ہے، اگر یہاں سے اتراکھنڈ کے لئے ریلوے لائن نکال دی جائے یا آگرہ ایکسپریس وے کو اتراکھنڈ کے لئے جوڑ دیا جائے تو رامپور کی یہ دو تحصیلیں جُڑ جائیں گی۔ یہ تحصیلیں ان جگہوں میں سے آتی ہیں، جو ملک کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے۔ وہاں سید نگر بلاک ہے۔ اگر وہ علاقہ جُڑ جائے تو ان دونوں تحصیلوں کی بہت ترقی ہوگی۔

(ختم شد)

(1650/SJN/SMN)

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदया, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार कभी जूट नगरी के रूप में विख्यात था। जहां आरबीएचएम जूट मिल का संचालन हजारों श्रमिकों के लिए आजीविका का स्रोत थी। यह मिल 53.39 एकड़ भूमि पर स्थापित थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 2016 में यह मिल बंद कर दी गई है। सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जूट मिल के संबंधित चल संपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया है। अब अचल संपत्ति के निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है। किसानों का जीवन और जीविका इसी पर निर्भर है। यह हाल सिर्फ कटिहार में नहीं है, बल्कि कटिहार के बगल में जो जिले हैं, जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया इत्यादि जिलों में भी जूट की खेती होती है। स्थानीय जूट मिलों के बंद होने के कारण किसान अपना कच्चा माल अन्य राज्यों में नहीं भेज पा रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदया, तुगलक वंश के शासकों ने 700 साल पहले 2,800 बीघा जमीन पर तुगलकाबाद गांव को बसाया था। जब सन् 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तुगलकाबाद गांव और महरौली के समीप तंवर गोत्र के 12 गांवों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने उन गांववासियों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों ने दंड के रूप में तुगलकाबाद गांव की 2,800 बीघा जमीन जब्त कर ली थी। सन् 1995 में बिना किसी नोटिफिकेशन के वह जमीन एएसआई को ट्रांसफर कर दी गई थी।

आदरणीय सभापति महोदया, सन् 1993 के बाद जो मकान बने थे, एएसआई ने उनको तोड़ने का नोटिस दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उस नोटिस को वापस लिया जाए। अंग्रेजों ने जो सजा दी है, उस सजा से गांववासियों को मुक्ति दिलवाई जाए। मैं समझता हूं कि सन् 1857 के शहीदों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : माननीय सदस्यगण, मेरे पास 80 से ज्यादा सदस्यों के नाम हैं तथा समय सीमित है। अगर आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, तभी सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे – उपस्थित नहीं।

श्री नारायणदास अहिरवार – उपस्थित नहीं।

श्री अभिमन्यु सेठी जी।

श्री अभिमन्यु सेठी (भद्रक) : महोदया, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेल बजट में ओडिशा के लिए 10,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि दी गई है, जिससे ओडिशा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। यह विषय मेरे संसदीय क्षेत्र का है। कुछ ट्रेन्स चल रही थीं, लेकिन कोविड के समय वे बंद हो गई थीं। कोविड के खत्म होने के बाद भी अभी तक उन ट्रेन्स का स्टॉपेज़ शुरू नहीं किया गया है। विशेषकर धौली एक्सप्रेस और ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जो सोरो, बहनागा, केंदुआपदा, मंजूरी रोड एवं मरकोना स्टेशंस पर पहले रुकती थीं, लेकिन वे ट्रेन्स अभी भी नहीं रुक रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फिर से इन स्टॉपेजेज़ को शुरू किया जाए।…(व्यवधान)

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Thank you Madam for giving me this opportunity.

Madam, in Telangana, recently, we have started integrated schools. We are starting these integrated schools in every constituency, that is 119 in number. We have issued a G.O. No. 56.

(1655/SM/SPS)

Our Chief Minister, Shri Revanth Reddy has provided G.O. No. 56 regarding integrated schools. My request to the Minister is that these Atal Tinkering labs are very useful and this country needs them. Therefore, I request the Minister to accept the proposal for Atal Tinkering Labs for these integrated schools, where our Chief Minister is trying to provide free education for the backward communities. He is allocating Rs.200 crore for land of 25 acres. Atal Tinkering Labs have significantly improved students' interest across the country.

This will undoubtedly benefit the State of Telangana, as we have already initiated these integrated schools. This is the need of the hour. I request that these Tinkering Labs be introduced in our Telangana to help students learn more.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I want to raise a very alarming issue regarding the attacks on temples in the United States of America. In early 2025, the Swaminarayan Hindu temple in Chino Hills, California, was defaced with anti-India graffiti, prompting widespread condemnation.

The Indian Government labelled the incident as despicable and called for stringent action against the perpetrators. Notably, this attack occurred less than ten days after a similar incident at the Swaminarayan temple in Melville, New York, where hate messages were spray-painted on the temple premises.

Given the recurrence of these incidents, it is imperative for the Government of India to engage through diplomatic channels with the United States authorities to ensure the safety and security of Hindu religious sites. Strengthening protective measures will help prevent future occurrences and uphold the principles of religious freedom and tolerance.

This incident is part of a broader pattern of attacks on Hindu temples in the United States, raising alarm about the safety of religious minorities abroad.

The Indian Government's call for adequate security measures underscores the importance of protecting places of worship and ensuring the safety of all religious communities. I urge the Government to inform the House about what actions the U.S. Government has taken regarding such incidents.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : मैडम, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका ध्यान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिमों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वे ओपन आर्किटेक्चर एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। वे द इंश्योरेंस एक्ट, 1938 के सेक्शन 42(2) में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। इससे प्राइवेट एलआईसी कंपनियों को यह अधिकार हो जाएगा कि वे किसी भी एजेंट के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी के 14 लाख के करीब एजेंट हैं। उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। उनकी मेहनत की वजह से जो 5 करोड़ की कंपनी वर्ष 1956 में थी, वह आज 52 लाख करोड़ की बन गई है। यदि इस अमेंडमेंट को लाएंगे तो इससे उनका भविष्य खतरे में है और कंपनी भी लॉस में जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर 18 परसेंट जीएसटी है। सीनियर सिटीजन को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है तो इंश्योरेंस लेने की जरूरत बन गई है। जब इंश्योरेंस को खरीदते हैं तो सीनियर सिटीजन 18 परसेंट कैसे देंगे। सरकार को इसको माफ करना चाहिए और एलआईसी का अमेंडमेंट लेकर नहीं आना चाहिए।

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Madam, I rise today to bring to the attention of the House to critical issue faced by the Aligarh Muslim University Murshidabad Centre, established in 2010 in Ahrion, Murshidabad District. Despite its potential to transform the educational landscape of this underserved region, the Centre remains constrained, offering only three courses – MBA, BA LLB, and B.Ed., while the demand for quality education continues to grow. Since its inception, no new courses have been introduced. (1700/RP/MM)

Expanding programmes such as BA, BSc, BTech, and skill development courses are critical to meet the educational and professional aspirations of the local youth. Importantly, Rs. 107 crore were sanctioned for the centre but only Rs. 60 crore have been released, leaving Rs. 47 crore yet to be disbursed, thereby stalling the essential development projects. Furthermore, the current annual budget of only Rs. 40 lakh is grossly inadequate to sustain operation.

I strongly urge the Ministry of Education to release the amount of Rs. 47 crore, and allocate additional resources to ensure that the centre achieves its mission of empowering students. Thank you.

*SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): Hon. Chairperson, I represent Chandrapur Lok Sabha Constituency and there is a an urgent need to develop rail network in my area. Chandrapur and Yavatmal both are industrial districts and no supporting railway infrastructure is available there. The rail routes like Ballarpur–Pune and Ballarpur-Mumbai need fast and superfast trains like Vande Bharat. A DEMU train should be started between Nagpur and Chandrapur for the daily passengers. The passenger train operations which were stalled during Corona Pandemic should also be started at earliest.

This is my earnest request to the Union Government. Thank you.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बेतिया के कुमारबाग में स्टील प्रोसैसिंग यूनिट लगाया है। उसका लक्ष्य 20 हजार टन स्टील शीट और 50 हजार टन पाइप का उत्पादन करना है।

1702 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

लेकिन आज तक उसमें केवल 600 टन पाइप का उत्पादन हुआ है। वे यह एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जिन 137 लोगों को लिया गया, उनमें टेक्निकल लोग कम थे। यूपीए सरकार के समय में अगर गलत लोगों को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लिया तो भी अब टेक्निकल लोगों को लेकर स्टील प्लांट को चालू करें। टीएमटी सरिया के लिए सेल ने जो '50' एकड़ जमीन ली है, उसको वह शीघ्र चालू करे और 137 लोगों का समायोजन उचित जगह पर करके मेरे यहां प्रॉपर सरिया का उत्पादन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शुरू करे।

माननीय अध्यक्ष : आज होली का माहौल है, इसलिए माननीय सदस्य होली पर जाएं तो शून्य काल में बोलकर जाएं। लेकिन सकारात्मक बोलें और एक मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी, क्योंकि 80 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और सभी को मौका देना है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदय, 50 सदस्य तो चले गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : कोई नहीं गया है, सभी 80 माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। आपका नंबर नहीं आने वाला है।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, as per the PMGSY-III guidelines, the roads, which are being selected, shall preferably be of length not less than five kilometres. But, in States like Tamil Nadu where the connectivity is already good, we need mostly roads for the last mile connectivity, which are less than two kilometres or 1.5 kilometres. But, the guidelines do not

* Original in Marathi

allow this. It is only taken on case-to-case basis. As a result, only 20 such roads have been approved in Tamil Nadu so far by the Ministry.

The 36th Report of the Committee on Rural Development and Panchayati Raj had recommended reduction of minimum road length criteria to two kilometres, which the Government has not yet accepted.

Therefore, I request the Government to modify the PM Gram Sadak Yojana-III to reduce the minimum road length criteria to 1.5 kilometres to benefit most of the States. Thank you.

(1705/NKL/KDS)

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Jai Jagannath!

Hon. Speaker Sir, the healthcare infrastructure of my parliamentary constituency, Aska, which falls in the Ganjam district of the State of Odisha, is at the verge of collapsing because of the lack of political interest of the previous State Government. Access to good health and basic medical facilities is the right of the people of my constituency. As now there is a double-engine Government, I demand from the Central Government, through you, to provide financial assistance of Rs. 200 crore to my State so that the people of my State can get basic facilities as there is a demand of a diagnostic centre since long.

Sir, I have one more request related to the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra. It is a humble request to the Central Government to issue a circular through the State Government to allow one room in the local CSAs so that the PM Jan Aushadhi Kendra can work over there. The people of my State would be highly obliged. Thank you.

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Sir, through you, I wish to draw the attention of the Ministry of Agriculture towards a pressing concern of areca nut farmers, particularly in Karnataka which is the largest producer of this crop. Areca nut is a major commercial crop which is cultivated in more than 10 States across the country. Karnataka alone contributes over 40 per cent of its total production. The crop is grown in more than 15 districts of Karnataka, and my Lok Sabha constituency, Davanagere, also contributes significantly to the production of this crop. Nearly 10 lakh families in Karnataka are directly and indirectly dependent on areca nut cultivation for their livelihood. However, the areca nut growers are facing severe

distress due to multiple challenges like high susceptibility to diseases which significantly reduces the yield. Illicit import of areca nut from other countries has also led to a sharp decline in prices. The lack of price stability is also a concern.

Therefore, Sir, I urge the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to regulate the areca nut prices, impose heavy import duties, and prevent illegal imports to protect farmers. I also request for the establishment of Areca Nut Board like the Makhana Board to ensure price stability, promote research, expand cultivation, and improve marketing for long-term sustainability. Thank you.

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पीतलनगरी, मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ।

मान्यवर, मुरादाबाद-हरिद्वार वाया धामपुर मार्ग पर 432-बी रेलवे कासिंग है। यह रोड हरिद्वार-देहरादून एवं चार धाम को बंगाल, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। यह रेलवे लाइन जम्मु-हावड़ा की मेन लाइन है और अनेक लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेन्स एवं मालगाड़ियों का संचालन इसी रेल मार्ग से होता है। रेलवे क्रांसिंग के बार-बार बंद होने से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, इसी तरह कांठ-अमरोहा मार्ग पर 433-बी रेलवे कांसिंग है, जो कि दिल्ली से उत्तराखण्ड वाया कांठ मार्ग पर स्थित है। इन दोनों मार्गों पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) अथवा अण्डर पास का निर्माण कराने की कृपा करें।

मान्यवर, काशीपुर, उत्तराखण्ड से धामपुर तक एक नई रेल लाइन प्रस्तावित है। इस रेलवे लाइन को वाया ठाकुरद्वारा बनवाया जाए, जिससे कि उस क्षेत्र के सभी यात्रियों का सम्पर्क जम्मू-हावड़ा मेन लाइन से हो सके। धन्यवाद।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से फुटवियर एवं लेदर उद्योगों से जुड़े हुए लाखों व्यापारी, कारीगरों एवं श्रमिकों की बात यहां पर रखना चाहती हूं। आज उनकी आजीविका पर जीएसटी का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी लेदर और फुटवियर का काम करते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि पहले कारीगर जो पांच सौ रुपये के जूते बनाता था, उस पर जीएसटी पांच टका थी, जिसे बढ़ाकर 12 टका कर दिया गया है। जो लेदर के गारमेंट्स बनाते हैं, उन पर 18 परसेंट जीएसटी लगाई गई है।

महोदय, मेरी विनती है कि छोटे-छोटे कारीगर अपनी आजीविका के लिए ये सामान बनाने का काम करते हैं। बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ इनका कॉम्पीटीशन भी नहीं हो सकता। यह एक पारम्परिक व्यवसाय है, जिसमें अपने तरीके से ये काम करते हैं। आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदया से विनती करना चाहती हूं कि जीएसटी को कम किया जाए। 500 रुपये के फुटवियर पर जिस तरह से पहले 5 टका जीएसटी था, उसे भी बंद करके उनको मुफ्त में यह कार्य करने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।

(1710/YSH/VR)

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे आज बहुत समय बाद बोलने का मौका मिला है।

माननीय अध्यक्ष : अभी तो 543 मैम्बर्स हैं। जब मैम्बर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल से नम्बर आएगा।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे जयपुर शहर में जब सड़के टूट जाती हैं, चूँकि उनके रख-रखाव के लिए तीन एजेंसियां काम करती हैं। वे तीन एजेंसियां नगर निगम, स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण हैं। जब दूसरी एजेंसीज़ काम करती हैं, सड़क खोद देती है तो इन तीनों एजेंसियों को जाकर कहना पड़ता है। लोगों को पता भी नहीं होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट यह काम करेगा।

मैं समझती हूँ कि मेरे शहर में ही नहीं, बल्कि देश के और शहरों में भी यह समस्या रहती होगी।

माननीय अध्यक्ष : 'दिशा' की मीटिंग में एक बार सबको बुलाइए और कोऑर्डिनेशन करवाइए।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सड़कों के टूटने की वजह से जन-धन की हानि भी होती है और ट्रेफिक में भी समस्या आती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से कहे कि जिस तरीके से बिजली बोर्ड और जल बोर्ड हैं, उसी तरीके से सड़कों के रख-रखाव के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए, ताकि जनता को भी इधर-उधर न जाना पड़े। उस बोर्ड की जिम्मेदारी हो जाए कि जहां भी सड़कों की मरम्मत की जरूरत हो, वहां वह बोर्ड उसकी जिम्मेदारी लेकर सड़कों का रख-रखाव करे।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, मैं पूरे सदन की ओर से आपका विशेष आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने हमें बोलने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी को बोलने का बहुत मौका मिलता है।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, आपकी वजह से हमें बोलने का मौका मिलता है। आप बहुत दयालू हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अकाली भागों से जो गोल्डस्मिथ और ज्वैल्र्स यानी स्वर्णकार आते हैं, उन स्वर्णकारों पर बहुत अन्याय होता है। सांगली से ये लोग आते हैं। सांगली में तासगांव, कोडुमल, खानापुर और राजपाड़ी के भाग से जो लोग आते हैं, वे देश के कोने-कोने में जाकर सोने का व्यापार करते हैं। उन्हें वहां की पुलिस बहुत ज्यादा तंग करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार कोई न कोई उपाय निकाले, जिससे इनकी तकलीफ कम हो सके।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के माननीय खनिज मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखना चाहती हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आती हूं, जहां बालू का पर्याप्त खनिज भण्डार मौजूद है एवं उसके अंधाधुंध दोहन के चलते अवैध खनन एवं ओवरलोड का कारोबार खूब फलफूल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार जिला बांदा व चित्रकूट के उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, किन्तु कोई कार्रवाई न होने से अवैध कारोबारियों के हौसले बुलन्द हैं। अनवरत ओवरलोडिंग जारी है, जिससे प्राय: तेजगति के कारण अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं व खनन की जगह से मन मुताबिक रास्ते बनाने के कारण किसानों को भी फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

किसानों व आम नागरिकों को होने वाली इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे?

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है। यह नदी न केवल इन राज्यों के लाखों लोगों के जीवन का आधार है, बल्कि यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। महानदी पर निर्भर कृषि क्षेत्र और आबादी का आकार बहुत बड़ा है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ महानदी का जलग्रहण क्षेत्र, लाखों किसानों की कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इस नदी के पानी पर लगभग 70 लाख लोगों का जीवन-यापन निर्भर करता है।

(1715/RAJ/SNT)

जिसमें प्रमुख रूप से जल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन, और जल परिवहन शामिल हैं। हाल ही में, इस नदी के किनारे रेत के अवैध उत्खनन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नदी के पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर बदलाव आ रहे हैं। इस अवैध खनन के कारण जल स्तर में गिरावट, नदी के प्रवाह में रुकावट और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जो कि स्थानीय समुदायों के लिए संकट का कारण बन रहा है। इससे प्रभावित कृषि भूमि, जल आपूर्ति, और मछली पालन जैसी गतिविधियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या सरकार इस अवैध रेत खनन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रही है, ताकि महानदी के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं कि इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर राजस्थान का प्रमुख शहर है और सन 2013 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है।...(व्यवधान)

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : सर, फोटो नहीं आ रही है।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय करीबन 10 साल बीत जाने के बाद भी मेरा क्षेत्र आज तक मूलभूत सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र के करीब 70,000 डीजल वाहनों और ईंट-भट्टों जैसे लघु उद्योगों को एनसीआर के नाम पर खत्म किया गया है, जिसके कारण लाखों लोग मजदूर हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बेहतर सड़कें, परिवहन, यातायात, बड़े प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, जल निकासी, युवाओं को रोजगार के लिए प्रोजेक्ट्स बनाकर मेरे क्षेत्र को लाभांवित करें अन्यथा भरतपुर को एनसीआर से हटा दिया जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी जगह हरीश मीना जी को बोलने के लिए मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हरीश मीना जी।

आप कह रहे थे कि फोटो नहीं आ रहा था। आप बोलिए आपका फोटो आएगा।

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : नहीं, सर, मैं मैडम की फोटो के लिए कह रहा था।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लोकहित के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। महोदय जैसा आपको विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा उच्च स्तर की है और इनमें गुणवत्ता है। ये ज्यादातर जिला मुख्यालयों में हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नीतियों में परिवर्तन करके तहसील स्तर पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लड़कों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिले। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री जोतिमणि जी।

सुश्री एस. जोतिमणि (करूर) : सर, माइक।

माननीय अध्यक्ष : माइक चालू है। आप बोलना शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं यह बात आपको समझा दूं कि माइक का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। माइक का कंट्रोल, रिमोट ऊपर से है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको एक दिन का किस्सा बताता हूं। आप विराजिए। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने बाहर कहीं सुना होगा कि माइक का कंट्रोल माननीय स्पीकर के पास है तो उन्होंने पूरा चेक किया कि कंट्रोल कहां है। मैंने कहा कि कंट्रोल नहीं है।

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon Speaker Sir, Thank you for this opportunity. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the 100 days employment scheme is facing crisis throughout the country. Union Government has been drastically reducing the funds allocated for this 100 day Employment Guarantee Scheme. Whether there is a demand of 2 lakh and 70 thousand Crore Rupees for MGNREGA, only a meagre 86000 Crore is being allocated to this Scheme. It is mandatory to provide wages for the beneficiaries once in 15 days under this Scheme. But now the payments are pending for more than 3 to 4 months. A total of Rs. 12,219 Crore amount is pending as wages to be released under this Scheme. And for the construction work, a total of Rs. 1227 Crore is pending for release. Therefore, for the entire country, a total

* Original in Tamil

amount of Rs 23446 Crore is pending as dues. Especially for Tamil Nadu, wages amount to Rs. 1652 Crore and payment for material component amounting to Rs1056 Crore are to be released under MGNREGA. Thus, this pending dues to Tamil Nadu comes to a total of Rs 2708 Crore.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the Union Government in this regard. Even after that the dues have not been released. As a result, the rural people, especially the poor, are worst affected. The condition of women, differently-abled persons and senior citizens are very much pathetic. I therefore urge upon the Union Government that the pending due of Rs 2708 Crore should immediately be released to Tamil Nadu. Moreover, as provided during the Congress regime in India, the employment under this Scheme should be guaranteed and provided for at least 100 days besides enhancing the wages to Rs 400 per man days of work. Thank you. *Vanakkam*.

(1720/SK/AK)

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (काजीरंगा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

असम में बहुत स्थान हैं जहां टूरिस्ट्स पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म राज्य सरकार के साथ मिलकर ऑफिस और हैल्प डैस्क की व्यवस्था करे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और राज्य सरकार मिलकर 'मे आई हैल्प' डैस्क की व्यवस्था करे क्योंकि टूरिस्ट्स को कभी-कभी बहुत दिक्कत होती है। इसकी व्यवस्था होने से विजिटर्स को आसानी हो जाएगी।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हालिया हलफनामे सरकार ने हिमालय में गंगा की उद्गम धाराओं में पांच नए बांध परियोजनाओं की सिफारिश की है, जबकि पूर्व कैबिनेट सचिव की रिपोर्ट है और एक नीतिगत निर्णय को पलटा गया है जिसमें पहले साफ तौर पर कहा गया था कि गंगा बेसिन में कोई नई जल विद्युत परियोजना नहीं होगी। आज जब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से हिमालय क्षेत्र में साल दर साल आपदाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में हिमालय पर्यावरण और हमारी राष्ट्रीय नदी में सरकार द्वारा यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना, चार धाम रेलवे, जल विद्युत परियोजना, बेलगाम पर्यटन और निर्माण आदि से हिमालय गंगा क्षेत्र पर अत्यंत दबाव से पर्यावरण में अपूर्णीय क्षति उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण के स्तर और ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन से ग्लेशियर पर दुष्प्रभाव के कारण आपदाओं में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दे रही है।

*SHRI NARESH GANPAT MHASKE (THANE): Hon'ble Speaker Sir, there are around 3691 memorials and historical places which are under protection of ASI. Out of this, around 25% memorials are related to British and Mughal Era and they have no connection with Indian culture and civilization. Yesterday was the martyr day of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Aurangzeb had tortured him to death for conversion and also destroyed Hindu temples. He had also killed 9th and 10th Sikh Gurus, but his grave is still there at Khultabad in Maharashtra. We should remove the graves, tombs and memorials of such people who tried to enslave us and worked against our culture and people of this country. क्या यह उचित है कि जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, वीर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन किया, उनकी यादों को हम विरासत मानकर सुरक्षित करें? यह हमारे स्वाभिमान और आत्मा की आवाज का अपमान है।

*SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. 35 years ago, Kaka Venkataswamy introduced pension for the benefit of workers of Singareni Collieries. Since 35 years, pension has not been revised from ₹1500. They are fighting for justice. Singareni workers participated in the Telangana movement. But after retirement, these workers who are giving light to our country are seeing darkness in their life. We can't buy even one rice bag with ₹ 1500. ₹1500 is not enough when we visit a doctor. How can we justify ₹1500 pension even after 35 years? They are fighting for justice and I demand that this pension be revised to at least ₹ 10,000. Thank you.

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के युवाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह सबको पता है कि बिहार के युवा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में एक भी सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है।
(1725/KN/UB)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि हमारे लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की योजना के तहत एक इनक्यूबेशन सेंटर बनाया जाए। इससे बिहार के युवाओं की दो समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले बिहार में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बिहार के जो युवा हैं, वे पढ़ाई पूरी करके बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इस समस्या का भी समाधान होगा। साथ में बिहार के युवा जो पलायन करते हैं, उसका भी समाधान होगा। बिहार के युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टार्ट-अप में बहुत मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Original in Marathi

* Original in Telugu

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, बदायूं जनपद के अंदर 5000 से अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां पर घनी आबादी है। आबादी के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बदायूं को बरेली से मुरादाबाद, शाहजहांपुर, आगरा और फर्रुखाबाद के मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए अगर हम एक आउटर रिंग रोड को बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो इससे एक्सीडेंट होने की भी समस्या खत्म होगी। इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हम लोगों को बदायूं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

साथ ही मैं बदायूं की तरफ से अध्यक्ष महोदय आपको और सभी मैम्बर्स को होली के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Sir, I want to remind the House of the forgotten volunteers, the village guards who were recognised by the External Affairs Ministry on 1st March, 1957. At present, they are there to guard against invaders and intruders. They are guarding 120 villages that fall on the Indo-Myanmar border, covering six districts, including Mon, Tuensang, Kiphire, Meluri, Noklak and Longleng. They are still neglected by the State Government as well as by the Minister of the Home Affairs as they are getting salary of only Rs. 3,000 per month, Rs. 100 for clothing allowances annually, and Rs. 60 per month for the rations. So, I would like to request the hon. Minister, through you, Sir, to look into the matter.

Secondly, regarding the Act East Policy, these village guards are guarding the International Trade Centres in the border areas. So, instead of making the boundary, which will have restriction of free movement within 10 kms, a village guard should be deployed with full facilities. So, I would request the hon. Minister not to construct the international boundary. Thank you, Sir.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I wish to submit a very serious situation in the higher education sector of the country. The higher education sector is deteriorating day by day because of the wrong policies.

A recent circular from the University Grants Commission has raised concerns regarding its potentially negative impact on the autonomy and quality of higher education in India. Another concern is that it will be a potential threat to academic freedom as the circular could limit the scope for teachers and researchers to explore by dictating the content and syllabi of ideological narratives. This is a very serious issue.

We all know, the regulatory bodies have to play a pivotal role in purifying the system. Instead, it is polluting the system. I humbly appeal to the Government to come forward to the rescue of the higher education sector in this country.

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर जनपद में 18 गांवों में रहने वाली भाट जाति, जो विमुक्त जाति है, उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, ये सब भीख मांग कर जी रहे हैं। हमारे जनपद में 18 गांवों में जो भाट जाति के लोग हैं, उनको अनुसूचित जाति या किसी भी श्रेणी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। मेरे पास एक स्टूडेंट, जो टॉपर था, वह परसों मिला। उसने कहा कि मैंने लेखपाल की परीक्षा पास की है, लेकिन मुझे आरक्षण की किसी श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिला। … (व्यवधान)

(1730/VB/GM)

श्री सागर ईश्वर खंड्रे (बीदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान बहुत ही मुश्किल में है। उनकी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान सोयाबीन उगाते हैं। सरकार प्रति एकड़ सिर्फ पाँच क्विंटल सोयाबीन खरीदती है और कुल मिलाकर एक किसान से 20 क्विंटल तक खरीदारी सीमित रखती है। इस कारण ज्यादा फसल उगाने वाले किसानों के साथ यह अन्याय है। खरीदी का टाइम भी जल्दी खत्म हो जाता है। इस वजह से बहुत से किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में 20 लाख क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। लेकिन 20 लाख क्विंटल से कम सोयाबीन की खरीदी हुई है। इसका मतलब यही है कि 90 परसेंट से ज्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। सोयाबीन का मार्केट रेट साढ़े तीन हजार रुपए है। एमएसपी का रेट लगभग 4,900 रुपए है।

मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारा सोयाबीन पड़ा हुआ है, जिसे सरकार को खरीदना चाहिए।

In future, such restrictions on procurement of crops under MSP should not be put so that all farmers can avail the benefit of MSP.

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं मंदसौर-नीमच संसदीय क्षेत्र के लाखों कृषकों की ओर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में लगातार विकास हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 से अधिक प्रकार की नियमित फसलें, बागवानी फसलें और औषधीय फसलों का उत्पादन होता है। क्या मंदसौर संसदीय क्षेत्र को कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि उत्पाद निर्यात हेतु केन्द्र, कृषि शिक्षा के केन्द्र और कृषि उत्पादों के प्रॉसेस हेतु उद्योगों के विकास के लिए ध्यान देते हुए चयन करेंगे?

श्री तनुज पुनिया (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, की कमियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मैं इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले दो-तीन महीने से नये आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहे हैं। उसके पहले लगभग एक साल तक, छ: यूनिट से ज्यादा जिनके राशन कार्ड में नाम थे, केवल उन्हीं के कार्ड बन रहे थे। मेरा कहना है कि कम यूनिट वालों के भी कार्ड बनने चाहिए। इसके लिए दोबारा पोर्टल को खोलना चाहिए।

लोग जब आयुष्मान भारत कार्ड लेकर अस्पताल जाते हैं, तो अस्पताल वाले कहते हैं कि इसमें केवाईसी नहीं है, इसके कारण से यह ब्लॉक हो गया है। इसको ठीक कराने में कई घंटे निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कार्ड में कोई दिक्कत आती है, तो उसके बारे में मोबाइल पर मैसेज जाए या अन्य माध्यमों से लाभार्थियों तक मैसेज पहुंचाए जाएं कि आपके कार्ड में यह दिक्कत है और आप इसको यहाँ जाकर ठीक करा सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फूलपुर में ग्राम सभा अम्दावा के अंतर्गत तेंदुई, भागीपुर, कुआडिह, गोतावा, सरपतीपुर, भोजपुर, हरूसा, जोहरा, बहादुरपुर, बरियारी, महरौड़ा, मनिकापुर, जगबंधनपुर जैसे 14 गांव हैं, जहाँ से रिंग रोड गई है। वर्ष 2022 में रिंग रोड के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। इसके लिए वहाँ बाजार मूल्य से कम लोगों को मुआवजा दिया गया, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियाँ उठानी पड़ी। अभी यहाँ के किसानों को तब ज्यादा समस्या आ गई जब दिसम्बर, 2024 को आवास विकास परिषद ने उन 14 गांवों की जमीनों को अधिग्रहण के लिए नोटिस देना शुरू किया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ के किसानों की भूमि का अधिग्रहण निश्चित रूप से नहीं किया जाए ताकि यहाँ के किसान अपनी किसानी कर सकें और अपने परिवार के जीवनयापन करने के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकें।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Hon. Speaker, Sir, in September 2019, the National Commission for Scheduled Tribes had said that Ladakh should be included in the Sixth Schedule. Many groups have also said it. The Ministry of Home Affairs has given a reply to the Standing Committee that it should not be included but there is fear that businesses and conglomerates will take over the culture and the tradition of Ladakh. Definitely, there is need to introduce the Sixth Schedule in Ladakh. But Fifth and Sixth Schedules should be there in all the scheduled areas including my Nandurbar Lok Sabha Constituency. पेसा कानून पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, यह मैं विनती करता हूँ।

धन्यवाद।

(1735/PC/SRG)

माननीय अध्यक्ष : श्री बलवंत बसवंत वानखडे – उपस्थित नहीं।

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली सूर्य और धरती की पूजा, जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्यौहार सरहुल है, जो पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, रांची की राम नवमी की शोभा यात्रा और सरहुल की शोभा यात्रा, ये भारत की तीन बड़ी शोभा यात्राएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आदिवासी, जो प्रकृति के पुजारी होते हैं, सरकार के पूरे हॉलिडे कैलेंडर में एक भी आदिवासी त्यौहार पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगामी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो सरहुल की पूजा है, उसके लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी सम्माननीय सदस्यों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, I have to raise an important issue which pertains to wild boar population and its impact on farming in Tamil Nadu. Almost 70 per cent of all districts in Tamil Nadu are infested with the huge wild boar population. Though our Tamil Nadu Government, under the able leadership of our Chief Minister, Shri M.K. Stalin, has enacted a legislation to mitigate this crisis, I am afraid the wild boar population has exploded and the Tamil Nadu Forest Department lacks infrastructure and resources to offer a complete remedy.

I bring to the attention of this House that the Minister of Environment, Forest and Climate Change has the sole authority to designate any wildlife species as vermin to enable its culling.

So, I appeal to the Ministry of the Environment, Forest and Climate Change and the Union Government to designate wild boar as vermin in Tamil Nadu for their culling and removal from the non-forest areas.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आपके नेतृत्व में पी20 हुआ और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी20 हुआ। इसमें दुनिया भर से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों को काला नमक चावल, जिसको गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में रेखांकित किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के रूप में अडॉप्ट भी किया है। आपको इसकी जानकारी भी है।

इसके बावजूद आज उसके इम्पोर्ट के लिए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority

(APEDA) के केंद्र का वहां गठन हो, क्योंकि आज एमेजॉन और फिल्पकार्ट पर इसकी मांग है। पूरी दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग इसको बुद्ध के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। सिक्स-एडी पूर्व में गौतम बुद्ध इसको प्रसाद के रूप में दिया करते थे।

अत: इसके विस्तार के लिए भारत सरकार कदम उठाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

धन्यवाद।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज बागपत, उत्तर प्रदेश में सुपर स्पेशियलटी अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। बागपत जिला तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहां अभी भी सुपर स्पेशियलटी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, और न्यूरोलॉजी की कमी है। इसके परिणामस्वरूप, बागपत के निवासी गंभीर उपचार के लिए मेरठ या दिल्ली जैसे दूर-दराज के शहरों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गंभीर है। उनके लिए दूर-दराज के अस्पतालों में इलाज कराना असंभव है। यदि बागपत में एक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित किया जाए, तो इससे स्थानीय निवासियों को समय पर, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, और उन्हें दूर-दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसलिए, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे बागपत में सुपर-स्पेशियलटी अस्पताल की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाएं, ताकि यहां के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

धन्यवाद।

1739 बजे (श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I would like to raise an important issue regarding the treatment of All India Services and Group-I officers by the Government of Andhra Pradesh.

Since June 2024, several officers have reportedly been placed on compulsory wait without being assigned postings. I seek clarification on how many cases have been registered against All India Services and Group-I officers since June 2024 along with the number of Departmental inquiries initiated or completed. What legal provisions exist to prevent harassment and ensure that these officers are not treated with vindictiveness?

I urge the Government to address the issue promptly and protect the dignity of these officers and maintain the efficiency of governance.

(1740/CS/RCP)

श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण (नांदेड़) : महोदय, धन्यवाद।

महोदय, सरकारी कर्मचारी अपने सम्पूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण भाग को सरकार की नीतियों को लागू करने में एवं राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देते हैं। जब वे सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं तो एनपीएस/यूपीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से उनका आगे का जीवन अंधकार में चला जाता है। उन्हें बढ़ापे में गरिमा के साथ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि लाखों कर्मचारियों की माँगों को ध्यान में रखकर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को देश में कब तब लागू करने वाली है? धन्यवाद।

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आज सरकार से अपने क्षेत्र की दो रेल लाइनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक लाइन रायबरेली-महाराजगंज वाया अकबरगंज है और दूसरी लाइन ऊंचाहार-अमेठी-सुल्तानपुर होते हुए शाहगंज तक की है। इन दोनों लाइनों का शिलान्यास वर्ष 2013 में हुआ था, लेकिन आज तक हमें इनका स्टेट्स ही पता नहीं है कि इन लाइनों पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि सरकार इसका शीघ्र जवाब दे ताकि हम अपने क्षेत्रवासियों को इनके स्टेट्स के बारे में बता सकें। धन्यवाद।

सुश्री बाँसुरी स्वराज (नई दिल्ली) : महोदय, चौथे साल ऐसा हुआ है कि मेरे संसदीय क्षेत्र का करोल बाग जिला, दिल्ली में नॉइज़ पॉल्यूशन के मामले में नंबर वन पर आया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। वर्ष 2023 में औसत में 74.2 डेसिमल दर्ज हुआ, वर्ष 2024 में 88.7 डेसिमल दर्ज हुआ, जो परमिटेड लिमिट 65 डेसिमल से कहीं ज्यादा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय से यह निवेदन करती हूँ कि वह केन्द्रीय वित्तीय सहायता देकर और कड़ी निगरानी करके इस समस्या का एक स्थायी समाधान खोजे। धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : अब आपकी सरकार बन गई है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति गंभीर विषय सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों सहित देश के लगभग एक करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) लागू कर दी गई।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह विषय उठ चुका है। आपके श्री धर्मेन्द्र यादव जी ने यह विषय उठाया है। जो विषय सदन में एक बार उठ जाता है, प्राय: उसको उठाया नहीं जाता है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, एक मिनट रूकिए। अब एक अप्रैल से एकीकृत पेंशन व्यवस्था (यूपीएस) भी लागू की जा रही है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी माँग है कि देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और पेंशन की गारंटी भी प्रदान की जाए ताकि कर्मचारियों और उनके आश्रितों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री देवेश शाक्य (एटा) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा, कासगंज में, दोनों ही शहरों में जो सरकारी बस स्टैंड सड़क के बीच में आ गए हैं, उनके कारण दोनों शहरों में लगातार घंटों जाम लगा रहता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों बस स्टैंड्स को शहर से बाहर कहीं स्थापित किया जाए, जिससे वहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ जनपद कासगंज की नगर पालिका गंजडुडवारा में एक नया बस स्टैंड बनवाने की माँग के साथ जनपद औरैया की तहसील बिधूना में लगभग 20 वर्ष पहले बने बस स्टैंड को अभी तक चालू नहीं किया गया है। मेरी माँग है कि उसे जल्द से जल्द चालू कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

(1745/IND/PS)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत बारगुना विधान सभा में दो जातियां माझी और मल्य हैं, जो कि खेतिहर मजदूर हैं। ये जातियां सामान्य जातियां होने के कारण इन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी कारण हमारे निकटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में यह अनुसूचित जाति में आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि उनका सामाजिक जीवन बेहतर हो सके।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति जी, सबसे पहले मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान अत्यंत महत्पूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश हैं कि किसी को भी फायदा पहुंचाने के लिए अभ्यारण और संरक्षित क्षेत्र प्रभावित नहीं होना चाहिए बावजूद इसके मेरे राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण क्षेत्रों का नक्शा बदलकर होटल मालिकों, माइंस संचालकों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है और इस कार्य में अधिकारी सफल हो गए तो वन्य जीवों के साथ व पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। आज इन अभ्यारणों के इको सेंसेटिव जोन में प्रतिबंध के बावजूद कमर्शियल गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार और वहां के अधिकारी केवल नोटिस देकर इतिश्री कर लेते हैं जबकि जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आज अलवर के सिलिसेढ एरिया एक

दर्जन होटलों और अजबगढ़-जमवारामगढ़ रेंज में भी एक दर्जन से अधिक होटल चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जो कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के अधिकारी जो यह खेल कर रहे हैं, वो उनका अधिकार ही नहीं है। अभ्यारण की सीमाओं में बदलाव केवल और केवल भारत सरकार ही कर सकती है। मै मंत्री जी से मांग करूँगा कि आप केंद्र की एक विशेष टीम भेजकर राजस्थान के दोनों अभ्यारण क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित कमर्शियल गतिविधियों को बंद करके उनके खिलाफ आर्थिक दंड लगाएं और आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएं। इसके साथ-साथ राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण क्षेत्रों का नक्शा नहीं बदला जाये।

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : सभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे सम्मानित सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं होली के अवसर पर अपनी तरफ से और अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आपको होली की बधाई देता हूं। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए माननीय खेल मंत्री का ध्यान अपनी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का गौरव भी है और देश की विरासत भी है। मैं आपको सादर कहना चाहता हूं कि कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम विगत 80 वर्षों से देश और कानपुर की शान रहा है और कई ऐतिहासिक क्रिकेट मैच यहां आयोजित हुए हैं परन्तु वर्तमान में यह स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है। जिस स्टेडियम की क्षमता लगभग 40 हजार हुआ करती थी, आज की तारीख में इसकी क्षमता 20 हजार रह गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईपीएल के मानकों के अनुसार कम है। वर्तमान में इसकी क्षमता 50 हजार किए जाने की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईपीएल मैच और टी-20 मैचों का आयोजन हो सके। मेरा विनम्र अनुरोध है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर की शान है, देश की विरासत है और देश की विरासत को सजाना और संवारना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि कानपुर का गौरव और वैभव दोबारा वापस आ सके।

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति जी, अपने क्षेत्र के बहुत ही धार्मिक मामले को मैं सदन में उठाना चाहती हूं। आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर, शिव की नगरी कहा जाता है और यहां शिवजी का पौराणिक मंदिर है। देकुली धाम स्थित बाबा भवनेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। सावन के महीने में वहां लाखों की भीड़ होती है। जैसे झारखंड में देवधर मंदिर है, इसी तरह से देकुली धाम की भी बहुत मान्यता है। यदि इसे पर्यटन स्थल में बदला जाएगा, तो क्षेत्र के विकास में काफी फायदा होगा। इस स्थान को सीता सर्किट से जोड़ा जाए और साथ ही साथ किलौरा धाम है, जो माँ सीता की जन्म स्थली है, उसे जनकपुर से जोड़ा जाए। देवापुर घाट को पर्यटन स्थल में बदला जाए।

*SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD): Thank you, honourable chairperson sir. My constituency is Murshidabad. In my constituency, the BADP roads are in a dilapidated condition. The roads that are under the Border Area Development Project scheme exhibit significant deterioration. In Jolongi, Domkol, Raninagar, Karimpore, and Bhagabangola- the huge expanse of almost 150 kilometres which borders Bangladesh has roads which are characterized by extensive infrastructural degradation. For the last five years, the grant money for the maintenance of this road has not been provided by the central government. I demand the immediate allocation of funds to carry out the maintenance work on these roads.

(1750/GG/SMN)

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र असम के कोकराझार के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर, पिछले तीन सालों से जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उसकी धनराशि दी नहीं गई है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करना था। लेकिन पिछले तीन सालों से वह धनराशि नहीं दी गयी है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि वह धनराशि जल्द से जल्द दी जाए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को और देशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो बदहाल गन्ना किसान है, जो पूरे देश को मिठास देता है, उसकी होली फीकी होने जा रही है। खाद की कीमत बढ़ गई, सिंचाई की कीमत बढ़ गई और मज़दूरी की कीमत कई गुना बढ़ गई, घटतौली का अलग से किसान सामना कर रहा है। उधर चीनी मिल मालिक लगातार फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ने की कीमत काफी बढ़ाई थी। जब एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीनी की कीमत गिर गई थी, तब भी सरकारी खजाने से किसानों को पैसा देने का काम किया था। पिछले कई सालों में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई, इसलिए मैं माँग करता हूँ कि किसानों को पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत देने का काम किया जाए।

*Original in Bengali

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र लातूर, महाराष्ट्र है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लातूर हमेशा पानी की किल्लत से परेशान है। लातूर के नगरवासियों को आठ-आठ दिन में एक बार नल का पानी नसीब होता है। लातूर के साथ-साथ मराठवाड़ा के बहुत सारे एरियाज़ में पानी की कमी है। इसी वजह से पूरे मराठवाड़ा रीजन में पूरा डेवल्पमेंट ठप्प हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि लातूर के वॉटर सप्लाई का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। अटल बिहारी जी का सपना नदी जोड़ो प्रकल्प था। … (व्यवधान)

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : महोदय, आज से 168 साल पहले जब हिंदुस्तान अंधेरे में था, उस समय कोई भी आदमी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था तो एक ऐसा पुंज खड़ा हुआ, जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की बलिया धरती से उठा। जिसका नाम चित्तू पांडे था, वे हिंदुस्तान के प्रथम क्रांतिकारी शहीद बने। मैं प्रथम क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे के नाम पर आपसे मांग करता हूँ कि समय-समय पर आपने सबको सम्मान देने का काम किया है, आज उन्हीं के बदौलत हम सदन में बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। … (व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I would like raise an important issue on the Madurai Airport's connectivity.

Madurai is a very important destination in South India and we had been given 24 hours facility sometime back but now the only one flight that was there to Singapore from Madurai has also been withdrawn.

I request for the inclusion of Madurai in the additional tourism point of the ASEAN countries. ASEAN Single Aviation Market came into effect in 2015 to promote tourism in ASAM called for a new route to facilitate operations, more flights particularly from the tier-2 and tier-3 cities. The new routes may be negotiated with the ASEAN.

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में फिल्म सिटी की 520 एकड़ की जगह है। उसके अंदर मास्टर प्लान बनाया गया है, मगर 10 सालों से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि फिल्म सिटी का मास्टर प्लान बनाया जाए। जो 520 एकड़ जमीन है, वहां एक अच्छा फायर स्टेशन बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से यही मांग कर रहा हूँ।

(1755/MY/SM)

*SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon'ble Chairman, today I rise to speak on an important issue. I represent Ahilya Nagar (Ahmednagar) Lok Sabha Constituency which is the largest Lok Sabha

* Original in Marathi

Constituency in Maharashtra. But, there is no Government medical college in this area. I have been repeatedly flagging this issue with the Government and the Minister also. I would like to request you to kindly sanction a Medical College there. Thank you

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों की गंभीर स्थिति के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 18 करोड़ 81 लाख किसानों पर 32,35,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

महोदय, वर्ष 2025-26 के कृषि बजट के 1,71,000 करोड़ रुपये का बीस गुना अधिक किसानों पर कर्ज है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारे अन्नदाता इतनी गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह समझने की बात है।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप अपनी मांग रख लीजिए।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : महोदय, हमारे बिहार की 75 परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदा, खराब फसल प्रबंधन और बढ़ती लागत से हमारे किसान परेशान है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि बजट में पर्याप्त वृद्धि करके किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाए।

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : शुक्रिया, सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल के अंदर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन, अफसोस है कि वह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। यह विषय क्षेत्र के लाखों बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर सम्भल में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज्यादा फीस है कि हर परिवार अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में तालीम नहीं दिलवा सकता है। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग करना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग 20-30 सालों से चली आ रही है। लेकिन, अफसोस है कि अभी तक केंद्रीय विद्यालय मंजूर नहीं हो पाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि सम्भल में जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का कष्ट किया जाए।

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों का जो भुगतान है, इसकी समस्या मेरे लोक सभा क्षेत्र में लोगों को झेलनी पड़ती है।

माननीय सभापति: बेनिवाल जी, आप बैठ जाइए। सदन यहां से संचालित होता है।

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां हमारे जो मजदूर काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी 266 रुपये है, लेकिन उनको 100 रुपये, 120 रुपये और 150 रुपये दिहाड़ी मिलती है। उनके मैटेरियल का जो भुगतान है, वह एक साल, डेढ़ साल और दो साल तक आता है। उसमें भी कम से कम डेढ़-दो साल का समय लगता है। इससे हमारे लोगों को समस्या होती है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा कर 500 रुपये की जाए। उनको समय पर दिहाड़ी मिलनी चाहिए। मैटेरियल का भुगतान भी समय से होना चाहिए, ताकि लोग सही तरह से काम कर सकें।

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक हर साल पाँच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। यह सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका कोई भी प्रमाण अस्पताल द्वारा नहीं दिया जाता है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि हितग्राही रोगी को चिकित्सा में कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी डिस्चार्ज के समय प्रदान किये जाने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज में सोनभद्र और चकिया विधान सभा क्षेत्र आता है। वहां दिशा कमेटी की बैठक चल रही थी। हम लोग बैठक कर रहे थे। वहां के जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं, वे ऑनलाइन टेंडर कराने के बजाय ऑफलाइन टेंडर करा देते हैं।

माननीय सभापति: यह राज्य का विषय है।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : महोदय, आप मेरी बात सुनिए। मुझे सत्ता पक्ष के द्वारा धमकाया गया। (1800/CP/RP)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : "दिशा" की बैठक तो आपकी अध्यक्षता में होती है।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : आखिर भाजपा के विधायक के बोलने का क्या मतलब है? जब भष्टाचार हो रहा है, तो हम लोग पूछ रहे हैं।

माननीय सभापति : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : महोदय, हम लिखकर दिए हैं। हम मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा भी दी जाए और उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाए।

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी मांग सड़क परिवहन विभाग से जुड़ी हुई है। सीधी से मडवास मार्ग में, सीधी से टिकरी तक 30 किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। एवरेज 19 डेथ्स प्रति वर्ष हो रही हैं एवं 45 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे एनएच घोषित किया जाए। यह रोड शहडोल को सिंगरौली से जोड़ती है। हमारी दूसरी मांग है कि सीधी-सिंगरौली एनएच 39 मार्ग को तत्काल पूर्ण कराया जाए। वहां प्रतिदिन

दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी तीन दिन पहले ही वहां एक ही परिवार के आठ लोगों की मृत्यु हो गई। … (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं संत कबीर नगर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सबकी अगर सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 6 बजकर 15 मिनट तक बढ़ाई जाती है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : मेरे लोक सभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार में सरयू नहर पर बहुत पहले एक पुल बना था। आज तक उस पुल पर लाइट नहीं है। पुल लम्बा होने के कारण यात्रियों को आने-जाने में असुविधा होती है, डर बना रहता है। वहां सुरक्षा की दृष्टि से कोई दीवार नहीं बनाई गई है। दर्जनों लोगों ने वहां कूदकर अपनी जानें दे दीं।

मैं यह चाहता हूं कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में जो आल्हापुर विधान सभा है, खजरी विधान सभा गोरखपुर में पड़ती है, सारी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं। वहां कोई सड़क ठीक नहीं है, इसलिए उसकी मरम्मत कराने की कृपा करें।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I would like to raise the issue which has already been raised by two of my colleagues from Kerala.

The human-wildlife conflict is almost everywhere in the country where people live near to forest. But, this problem is very rampant and alarming in Kerala. That is why, I am here again. Around 30 per cent of Kerala has a dense forest cover, and all kinds of threat are coming from these wild animals. All kinds of wild animals like elephants, tigers, leopards, monkeys are strained by the human habitations.

Sir, I would like to tell you the seriousness of the problem. In this current financial year, there have been 2,534 incidents. Out of which, there have been 56 deaths. At the all-India level, the death has been at the rate of 1,527.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly put your demand.

… (*Interruptions*)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I am coming to the demand.

The difficulty is that the State Government says that they cannot do anything as the Centre has to act and amend the Wildlife Protection Act of 1972. The Centre says, they have given powers to the State Chief Wildlife Wardons, and they can act independently.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Anoop Valmikiji.

… (*Interruptions*)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, let me complete. You asked me about my demand, I have to express my demand.

Therefore, the Central Government has to amend the Wildlife Protection Act of 1972, and give more powers to the States so that they can act according to the situation demands. So, I request the Government of India to do it immediately. Thank you.

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) : सभापति जी, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र हाथरस है। इसके अंदर विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में लगभग चालीस गांव खारे पानी से प्रभावित हैं। जो चालीस गांव प्रभावित हैं, वहां महिलाएं काफी दूर से पानी लेकर आती हैं। उस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि खारे पानी से प्रभावित उन चालीस गांवों में स्वच्छ जल देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1805/NKL/NK)

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I just wanted to flag an issue before you. *… (Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): That is true. But you cannot raise this issue on the Floor of the House. It will not be a part of the record.

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Sir, I am saying that this issue needs to be registered here.

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in the 'Zero Hour'. The issue is regarding rail connection from Jajpur Keojhar Road to Dhamra. My constituency is Jajpur which is very huge. The DPR has already been framed for the rail connection from Jajpur Keojhar Road to Dhamra via Biraja Kshetra, Jajpur. So, through you, I would like to ask the hon. Railway Minister when this project would be sanctioned, and what the timeline would be for this rail connection.

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। देश के अंदर एमबीबीएस छात्रों को योग्य मेडिकल फैकल्टी की बजाए नॉन-क्लिनिकल ग्रेजुएट्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। जिससे

छात्र यूट्यूब चैनलों पर निर्भर रहना पड़ता है। चिकित्सा सेवा केवल एआई के भरोसे नहीं दी जा सकती है। अच्छी फैकल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले पांच वर्षों में 75 हजार मेडिकल के पद बढ़ाये गए हैं, लेकिन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। होली के अवसर पर मैं आंवला की महान जनता को होली की बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये दोनों चुनाव प्रक्रिया के तहत होते हैं। इसमें पूर्णतया धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष की जनता के प्रति जवाबदेही बने। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार दोनों चुनाव सीधे जनता से कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हजारीबाग क्षेत्र के एक बहुत ही गंभीर विषय से कराना चाहता हूं। हमारे यहां बड़कागांव और केरेडारी दो ब्लॉक्स हैं, इनमें विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।

पब्लिक सेक्टर की दो अंडरटेकिंग्स सीसीएल और एनटीपीसी हैं। दोनों कंपनियों के इम्पलायमेंट के नियम अलग-अलग हैं। सीसीएल दो एकड़ जमीन पर नौकरी देती है, एनटीपीसी में नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। यह माइन वर्ष 2011 में चालू हुआ था, जमीन का अधिग्रहण उस समय चालू हुआ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपकी मांग क्या है?

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : सभापति महोदय, जमीन का रेट बीस लाख रुपये से बढ़ाकर चालीस लाख रुपये कर दिया जाए। पारिवारिक लाभ के लिए कट ऑफ डेट का प्रावधान है। कट ऑफ डेट 2016 का तय किया गया है, कोई भी व्यक्ति 2016 में 18 साल का होगा तो उसी को लाभ मिलेगा।

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : माननीय सभापति, मैं आज सदन के माध्यम से देश के लाखों कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवे कर्मचारियों, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लाइफटाइम फाइनेन्शियल सिक्योरिटी प्रदान करती है, जिससे सेवा के बाद वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता था। लेकिन नई पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों को भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं बची है।

मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को तुरंत बहाल किया जाए। इसमें अर्धसैनिक बलों, रेलवे, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और सभी सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाए। यूपीएस को तुरंत वापस लिया जाए।

(1810/MK/VR)

श्री हरीभाई पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। भारत में रेलवे ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। उसी सिलसिल में मेरे लोक सभा क्षेत्र महेसाणा जिले और पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिविजन ने संयुक्त रूप से विकसित महेसाणा सम्मेलन का आयोजन किया। नतीजतन रेलवे ने उस क्षेत्र के किसानों को कुशल लॉजिस्टिक का समाधान प्रदान किया। अभी उंझा में भारत का पहला एक्सक्लूसिव कंटेनर रेल टर्मिनल शुरू हुआ है। उससे व्यापारियों और किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस निर्णय से हमारे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे 100 कंटेनर एक रेल में जा सकेंगे।

मैं अपनी मांग पर आ रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : डॉ. हेमंत विष्णु सवरा जी।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान पालघर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अस्पतालों में आवश्यक मेडिकल उपकरण की कमी है। डॉक्टर और विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। पालघर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जाए। डॉक्टरों की नियुक्ति शीघ्रता से की जाए। आधुनिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर की जो स्वीकृति मिली है, उसको जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Hon'ble Chairman, thank you. I would like to raise an issue which is related to the elderly people and farmers of Maharashtra. The Government had started a very good scheme called EPS 95. People had deposited their hard earned money with this scheme to avail pensionary benefits . The depositors and poor farmers are facing serious problems and they are in distress. A loan waiver scheme was promised by the Government, but that promise has not been fulfilled yet. So, it is my earnest request to the Government to declare MSP for the crops like, Onions, Soyabean, Cotton etc. and it should be procured by the Government agency.

Hence, I would like to request the Union Government to provide relief and assistance to the EPS 95 pensioners and poor and needy farmers of Maharashtra.

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मेवाड़ क्षेत्र में जो अरावली पर्वत है, वह बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और वे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक जाती हैं। वहां अभी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। जगह-जगह, जो अभयारण्य क्षेत्र हैं, चाहे वह फुलवारी की नाल हो, सज्जनगढ़ हो, जयसमल हो, केवड़े की नाल हो या सीता माता हो, उन अभयारण्यों में आग लगी हुई है। आग की वजह से पूरा जंगल भस्म हो रहा है। आस-पास की बस्तियों में आग पहुंच रही

* Original in Marathi

है। उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय अनुकूल योजना बना रही है।

माननीय सभापति : आपकी मांग क्या है?

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : महोदय, मेरे तीन बिन्दु हैं। इन तीनों बिन्दुओं को इसमें शामिल करना चाहिए। पहला यह है कि जो लोकल कम्युनिटी है, वहां जो घास है, उसको काटकर बाहर ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, वहां एनिकट बनाकर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ बिजली और मोटर की व्यवस्था हो, ताकि जब भी इस तरह की चीजें हों, आगजनी हो, तो उसको रोका जा सके। तीसरा, वहां जगह-जगह मनरेगा के द्वारा रास्ते बनाए जाएं। उन रास्तों पर जो घास और पत्तियां हैं, उनको हटाया जाए। … (व्यवधान)

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): Respected Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to raise an important matter of my constituency.

The construction work of the Eklavya Model Residential School (EMRS) has got started at Punshya of Bandwan Assembly area in my Constituency some four years back. As of now, only a portion of boundary wall has been constructed. The construction work of the school building has not been started even after a lapse of over four years. Many tribal children want to get admission into Class-VI at EMRS in my constituency. But due to limitation of seats in the other EMRS, many students are being deprived of getting a quality education in such a reputed school.

If the construction of EMRS in Punshya were completed right now, several tribal children could have been getting better education. Since its work is incomplete, the local people are in the mode of anger and agitation. Therefore, I request the hon. Minister of Tribal Affairs, through you, to kindly look into this matter urgently and intervene immediately so that the construction works of the EMRS in Punshya be completed soon and admission in respective classes could be started from the next academic session itself. Thank you.

(1815/SJN/SNT)

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : महोदय, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र एक बड़ा पौराणिक स्थल है। वहां एक पुरानी मांग है कि हस्तिनापुर से बिजनौर होते हुए एक रेलवे लाइन बनाई जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दौराला, हस्तिनापुर और बिजनौर रेलवे लाइन को जल्द से जल्द जोड़ा जाए।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, the Delimitation Commission has mentioned that the parliamentary seats should not be changed till 2026. It should be done only after the next Census. For 15 years, since the Government has come into power, there has not been a Census. We do not even know what is happening in this country. Thank you, Sir.

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak about my backward parliamentary constituency of Nagarkurnool. In my Nagarkurnool constituency, heavy migration of labour is taking place and they are going to every part of the country for labour work.

Sir, through you, I want to request the hon. Minister for Heavy Industries to set up heavy industries in my constituency so that this migration can be stopped. Thank you, Sir.

श्री मनोज तिग्गा (अलीपुरद्वारस) : महोदय, मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवादा और बेलडांगा की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जहां पर हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार करके उनके घर-द्वार जला दिए गए हैं और उनको अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसका संज्ञान लिया जाए तथा इसके लिए जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): I do not think anyone else is here who wants to raise any concern about his constituency.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Kamakhya Prasad Tasa	Shri Jagdambika Pal
Shri Gurjeet Singh Aujla	Shri Jagdambika Pal
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Jagdambika Pal
Shri Ramvir Singh Bidhuri	Shri Jagdambika Pal
Shri Rajkumar Chahar	Shri Jagdambika Pal
Shri Rajeev Rai	Shri Jagdambika Pal
Shri Tanuj Punia	Shri Jagdambika Pal
Shrimati Shambhavi	Shri Jagdambika Pal

माननीय सभापति : आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस सदन के माध्यम से आपके क्षेत्र की सभी जनता और देशवासियों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग होली को अच्छे ढंग से मनाइए।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1817 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17 मार्च 2025 / 26 फाल्गुन 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।